खण्ड-244, अंक-2
गुरूवार, 28 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(19 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 244 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४७–१५२
प्रश्नोत्तर	१५२–२११
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	२१२–२१३
नेशनल हेरल्ड में विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन ठीक से न करने पर आपत्ति	२१३–२१६
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२१६
श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना	२१६–२१९
प्रयाग महिला विद्यापीठ की बैठक में मारपीट के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२२०–२२१
रिहन्द बिजली घर को सम्भावित क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२२१–२२५
एक मंत्री पर गांजा तथा अफीम के तस्कर व्यापार संबंधित भ्रष्टाचार करने तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	२२५–२३०
कक्षा ३ तथा ४ में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मासिक शुल्क लगाए जाने के संबंध में वक्तव्य	२२०–२३२
रामपुर में रजा हाकी टूर्नामेंट के टिकट सरकारी अधिकारियों द्वारा बेचने के संबंध में वक्तव्य	२३२–२३३
उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय-पर विचार जारी)	२३३–२३४
श्री शारदा भक्त सिंह द्वारा नियम ११३(६) के अन्तर्गत सदन का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव पर निर्णय	२३४
उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३(विधान परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय—स्वीकृत)	२३४–२३७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	२३७–२६२
बही खातों को वापस दिये जाने के संबंध में श्री नरसिंह नारायण पांडेय की मांग	२६२–२६५
गोरखपुर गोलीकांड जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा ..	२६५–२७४
नत्थियां	२७५–३०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १९ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७०

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री

कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भवौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री

गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री

देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री

भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ बौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिव-प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १९ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरी में विज्ञान अध्यापक न होना

**१—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ली अगस्त, १९६३ से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरी, मिर्जापुर में कोई विज्ञान अध्यापक न होने के कारण छात्रों तथा जनता में घोर असन्तोष फैला है तथा १०वीं कक्षा के छात्र जब कि ढाई माह का समय परीक्षा के लिये शेष रह गया है उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने में आशंका पैदा हो गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

इस विद्यालय में अगस्त १, १९६३ से विज्ञान अध्यापक का पद रिक्त है ।

**२—श्री रामप्यारे—

क्या मंत्री महोदय ऐसी परिस्थिति में कोई तात्कालिक व्यवस्था करेंगे जिससे दो सप्ताह के भीतर ही वहां विज्ञान अध्यापक पहुंच जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस पद पर नियुक्ति कर दी गयी है और उसके शीघ्र ही कार्य-भार ग्रहण कर लेने की आशा है ।

श्री रामप्यारे—

मंत्री जी बतायेंगे कि विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति कब हुई थी और क्या वहां की समस्या को देखते हुये जब कि इम्तहान का समय कम है, यह व्यवस्था करेंगे कि दो सप्ताह के भीतर ही वहां अध्यापक पहुंच जाय, क्योंकि शीघ्र में काफी समय लग जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

बहस न कीजिये । सवाल कीजिये कि २ सप्ताह में पहुंच जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि अध्यापक की नियुक्ति शीघ्र होनी चाहिये । किन्तु विज्ञान अध्यापकों के उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है । एक अगस्त को यह चले गये और वहां के उपनिदेशक ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि कोई विज्ञान अध्यापक उनको उपलब्ध हो जांय । कोई मिला नहीं । अब विभाग से इस बात की व्यवस्था की गई है कि वहां अध्यापक पहुंचे ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

विज्ञान अध्यापकों के मिलने में कठिनाई हो रही है इसको दूर करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

एक प्रयास तो यह किया है कि इंटरमीडियेट कक्षाओं कों पढ़ाने के लिये एम० एस-सी० चाहिये, किन्तु वह उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये नये तरीके का कोर्स विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किया है जो बी० एस-सी० पास हों उनको एक साल का कोर्स दिया जाय ताकि उसके बाद इंटर कक्षाओं को पढ़ाने के उपयुक्त हो सकें । यह कोर्स लखनऊ यूनीवर्सिटी में चल रहा है, इस कठिनाई को पूरा करने के लिये कोशिश हो रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो आपत्ति माननीय सदस्य ने यहां उठायी है वह एक संस्था की नहीं है बल्कि प्रान्त के हर कालेज में है । अतः इसे दूर करने के लिये एम०एस-सी० क्लासेज के अन्दर जैसे बी० टी० ट्रेनिंग होती है एम० एस-सी० पढ़ने वालों को एक सब्जेक्ट की टीचिंग एक साथ देकर स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

कठिनाई टीचिंग के सब्जेक्ट की नहीं है । जो एम० एस-सी० हैं, उनकी संख्या प्रदेश में कम है और टेक्निकल विज्ञान की शिक्षा का प्रसार हो जाने के कारण, उनको और जगह अधिक सुविधायें प्राप्त होती हैं, इसलिये हमारे यहां नहीं आते हैं ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि साइंस टीचर्स की कमी है, तो मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरह से बी० एस-सी० के साथ कंडेन्स्ड कोर्स का प्रबन्ध किया गया है जो एक साल का है, तो क्या यह जानते हुये कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के एम० एस-सी० पार्ट १ में जो कोर्स है वह इस कंडेन्स्ड कोर्स के बराबर है, इसलिये वर्तमान अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये उन एम० एस-सी० अध्यापकों को जो वर्तमान समय में इंटरमीडियेट कालेज में ४–५ साल से पढ़ा रहे हैं उन्हीं को मान्यता देंगे, जिससे यह कमी काफी हद तक दूर हो सकती है बिना पैसा खर्च किये हुए ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं विस्तार में समझ नहीं पाया। यदि माननीय सदस्या सुझाव लिख कर मुझे भेज दें तो विचार कर लिया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह देखते हुए कि विज्ञान के छात्र बाद में अन्य अच्छी नौकरियों में चले जाते हैं, जहां उनको वेतन-क्रम अच्छा मिलता है, क्या सरकार अपने यहां के साइंस अध्यापकों के वेतन-क्रम को रिवाइज्ड करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

और जगह चले जाते हैं, इसके क्या अर्थ हैं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

दूसरे डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। जो समस्या विभाग के सामने है उसमें क्या उपचार किया जायगा और क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस बात पर विचार हो रहा है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रश्न में आये हुये विद्यालय की १०वीं कक्षा में विज्ञान की पढ़ाई का काम चलाऊ प्रबन्ध ऐसा था कि पढ़ाई चलती रही और उसका शिक्षा पर बुरा असर पड़ा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न ही था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी पढ़ाई एक दम नहीं हुई या काम चालू प्रबन्ध रहा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मेरे पास इस संबंध में पूरा विवरण नहीं है कि इस दौरान में वहां पढ़ाई का काम कैसे चला।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान के अध्यापकों को पाने की कठिनाई में एक बाधा प्रशिक्षण भी है ? तो क्या जो बी० एस-सी० और एम-एस-सी० पास विद्यार्थी हैं उनको ट्रेनिंग की छट देगी या कोई कन्डैन्सड कोर्स तैयार करने का सरकार का विचार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि बी० एस-सी० के पश्चात् एक कन्डैन्स्ड कोर्स चलाया गया है, जो इन्टरमीडियेट की कक्षाओं को पढ़ाने के लिये है । यद्यपि मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मेरा विचार यह है कि एल० टी० के प्रशिक्षण के क रण ही कमी नही है बल्कि, जैसा मैंने निवेदन किया, बी० एस-सी० और एम० ए-सी० पास व्यक्ति उतने उपलब्ध नहीं हैं जितनी कि शिक्षा विभाग को आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने डा० रघुनाथ के प्रश्न का उत्तर देते हुये यह कहा कि इसका विवरण नहीं है । ऐसा लगता है कि पढ़ाई कुछ नहीं हुई, तो क्या उन विद्यार्थियों के प्रश्न-पत्र दिये जाने या परीक्षा में नम्बर दिये जाने में कोई सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कैसी बात करते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जैसा कि माननीय मंत्री जी को विदित है कि एम० एस-सी० की कक्षाओं के कालिजेज प्रान्त में बहुत कम हैं और जो बच्चे बी० एस०-सी० और एम०एस-सी० करना चाहते है उनको दाखिला नहीं मिल पाता, तो क्या एम०एस-सी० विद्यार्थी बढ़ाने के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विज्ञान की शिक्षा के प्रसार में बहुत काफी धन की आवश्यकता होती है । जितने आर्थिक साधन अपने पास उपलब्ध होते हैं, उनके अन्तर्गत इस बात का प्रयास किया जाता है कि एम०एस-सी० की कक्षायें उतनी बढ़ें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

राज्य नियोजन परिषद् का पुनर्गठन

*१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में (Planning Board) गठित करने के संबंध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ? बोर्ड में किस प्रकार के व्यक्तियों को नामांकित किया जायगा और यह कब तक बन जायगा ?

मुख्यमंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां। राज्य के नियोजन परिषद् के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है। केन्द्रीय योजना आयोग से इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। सैद्धान्तिक रूप से राज्य नियोजन परिषद् बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। परिषद् की सदस्यता तथा उसकी कार्य प्रणाली के संबंध में विचार हो रहा है। इसके बाद ही परिषद् की स्थापना होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयोजना आयोग के गठन के संबंध में केंद्रीय सरकार ने क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में वहां से उपाध्यक्ष का पत्र आया है। यह पत्र बड़ा लम्बा है, लेकिन जो हमने स्वीकार किया है ६२ में उसके क्या फंक्शन होंगे:—

(i) advising the Council of Ministers in preparing long term plans,
(ii) examining the economic situation from time to time in order to facilitate policy decisions,
(iii) assessing and evaluating the progress of the Development Schemes.

इसमें यह है कि समय-समय पर मंत्रिमंडल को सलाह देगा, दीर्घकालीन योजनाओं के संबंध में, उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में वह समय-समय पर जांच करेगी ताकि प्लानिंग योजना उस पर भी कुछ निर्णय ले सके और जो योजना कार्यान्वित हुई हैं उनका इवैल्यूएशन (मूल्यांकन) किया जा सके। तो ये ३–४ बातें मुख्य हैं और भी बातें हैं जैसा सेंट्रल प्लानिंग कमीशन करता है, उसी पैटर्न पर यहां भी होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इस प्रदेश के नियोजन बोर्ड में जो प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्र हैं उनका भी प्रतिनिधित्व उसमें होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

उसके गठन के संबंध में सारी बातें विचाराधीन हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

यह प्लानिंग बोर्ड जो है इसमें व्यक्तियों का नामांकन किस आधार पर होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ये सारी चीजें अभी विचाराधीन हैं और जब तय हो जायगा तो उसके बाद ही बतलाया जा सकेगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

जयपुर रिजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुये इस प्लानिंग बोर्ड का गठन उसी विचारधारा के लोगों के द्वारा होगा जो समाजवादी नियोजन में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस देश की सरकार ने जिस प्रकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना के संबंध में निश्चय किया है उन सारी बातों का खयाल, गठन के समय रखा जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जो प्लानिंग बोर्ड बनने जा रहा है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी और प्रतिवर्ष उस पर क्या खर्च होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके पर्सनल के बारे में कोई डिटेल्ड ब्योरा नहीं है । कितने सदस्य होंगे, क्या कार्यक्रम होगा और उसके क्या एमालुमेंट्स होंगे ये सारी बातें विचाराधीन है । यह तय है कि परिषद् बनेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

लगभग डेढ़ साल पहले यह तय हुआ था कि इस प्रकार का प्रदेश में प्लानिंग कमीशन स्थापित किया जाय और इसके लिये केंद्रीय सरकार तथा सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने भी जोर दिया लेकिन उसकी रूपरेखा तथा पर्सोनल अभी तक तय नहीं हो सका इसका क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार इन सारी बातों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष ने इसके गठन के लिये कब पत्र लिखा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

२० मार्च, १९६२ को वह पत्र लिखा गया है और भूतपूर्व मुख्य मंत्री को लिखा गया था ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस तरह की परिषद् बनाने के कारण क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या विशेषता थी जबकि और प्रदेशों में इसका गठन नहीं हुआ है और उत्तर में जो कहा गया है कि पुनर्गठन किया जा रहा है, तो क्या इससे पहले भी इसका गठन था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की परिषद् कोई नयी नहीं है । पुनर्गठन शब्द ठीक है । सन् ५० में भी इसका गठन हुआ था और ५७ में पुनः इसको रिकांस्टीट्यूट किया गया । सारे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स उसमें थे । ३१ नान-आफिशियल मेम्बर्स उसमें थे । डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज उसमें थे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं माननीय पांडेय जी से जानना चाहूंगा कि सन् १९५० में जो बना था वह तो जिस तरह से जिले में कमेटियां बनी हैं उसी तरह से प्रांतीय लेबिल पर ऐडवाइजरी कमेटी थी । अन्य प्रांतों में राज्य स्तर पर परिषदें नहीं बनी हैं, तो आपके प्रदेश में ही क्या जरूरत पड़ गयी उसे बनाने की ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

पहले तो माननीय सदस्य का यह कहना कि दूसरे किसी प्रांत में ऐसा बोर्ड नहीं है वही गलत है, और प्रांतों में ऐसे बोर्ड बने हुये हैं। दूसरे मार्च, १९६२ में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की तरफ से चिट्ठी आयी थी कि ऐसा बोर्ड बनाया जाय । कारण उन्होंने

जो बताया वह यह कि सलाह दे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स, को, एकोनामिक सेचुएशन समय-समय पर इवैलुएट करे कि कैसी प्रगति हो रही है । इसके अलावा और भी कारण हैं । तो यह बात सोच विचार कर करने की है, इसीलिये इतना समय लगा, नहीं तो जल्दी हो जाती ।

श्री रामायणराय—

यह बोर्ड कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ ।

श्री उग्रसेन—

जो चिट्ठी आयी है उपाध्यक्ष, योजना आयोग की वह माननीय त्रिवेदी की है या माननीय अशोक मेहता की है? और क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उस परिषद् में गैरसरकारी लोग रखे जायें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नन्दा जी की चिट्ठी है । जहां तक सुझाव की बात है, बहुत सी बातें हैं, वे सारी विचाराधीन हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं लगी है ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इसमें कितने ऐसे मिनिस्टर, जो अभी तक कैबिनेट में नहीं आये हैं, रखे जायंगे ?

(हंसी —उत्तर देने के लिये मुख्य मंत्री को पुकारा नहीं गया ।)

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या यह बात सही है जैसा कि पिछली बार भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन मुख्य मंत्री स्वयं होंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ये सारी बातें विचाराधीन हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच लिया है कि इस प्लानिंग बोर्ड से कुछ होने वाला नहीं है? और क्या मैं उनसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि पब्लिक एक्सचेकर पर एक बोझ ही होगा, इसलिये इसको नामंजूर किया जाय और प्लानिंग कमीशन से कहा जाय कि जैसे हमारी ऐड-वाइजरी कमेटी थी उसी तरह विचार करते रहेंगे और यह व्यर्थ का काम न कराया जाय?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो जैसा गेंदा सिंह जी ने सवाल पूछा है वह सवाल नहीं है, वह सजेशन फार ऐक्शन है, जो सवाल के अन्दर नहीं आ सकता है ।

श्री उग्रसेन—आपकी जगह पर मुख्य मंत्री जी व्यवस्था दे रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं तो मैं निवेदन कर दूं ।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमान् मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि जब माननीय गेंदासिंह जी ने प्रश्न किया, आपने स्वीकृति दे दी और मुख्य मंत्री जी को बुलाया, तो वह यह नहीं

कह सकती हैं कि यह सजेशन है, बल्कि वह जवाब दे सकती हैं कि यह विचाराधीन है यह सोचगे ।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, जब आपने पुनः स्वीकृति दे दी, जो कुछ दलील दी और आपने टोका नहीं तो वह भी एक कानून बन गया है । ऐसा मैं समझता हूं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि कुछ लोगों का यह कहना है कि इस समिति में केवल महिलायें ही रहेंगी ?

(हंसी—जवाब के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

जहानाबाद थाने के परेवा वैश्य ग्राम में पी० ए० सी० की तैनाती

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाने के अन्तर्गत ग्राम परेवा वैश्य में हिन्दू मुसलमानों में झगड़े के फलस्वरूप पी०ए०सी० के सिपाही तथा अफसर तैनात कर दिये गये हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)

ग्राम परेवा वैश्य में कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ । व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण उक्त गांव के कुछ मुसलमानों ने दिनांक १०-८-६३ को एक हिन्दू को पीटा । इस घटना को साम्प्रदायिक मोड़ दिए जाने के कारण ग्राम में कुछ साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया । स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये पी०ए०सी० की एक टुकड़ी ग्राम में नियुक्त कर दी गई है ।

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि पी०ए० सी० की तैनाती के बाद भी पथराव की घटनायें हुई हैं और उसकी रिपोर्ट पी०ए०सी० द्वारा की गई है ? यदि हां, तो सरकार वहां अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये क्या विशेष प्रयत्न कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सही है कि पी०ए० सी० की नियुक्ति के पश्चात भी पथराव की कुछ छुट-पुट घटनायें होने की रिपोर्ट पी०ए०सी० ने की । पी०ए०सी० की सहायता से स्थानीय पुलिस ने इन घटनाओं को रोकने के लिये कार्यवाही की और कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की भी कार्यवाही की गई है । अब स्थिति सामान्य है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिस व्यक्ति को पीटा गया है, वह अल्प संख्यक वर्ग का है और एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्त्ता है ? वह सहकारी क्षेत्रीय समिति का उप-सभापति और जिला सहकारी संघ का संचालक है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, वह कोआपरेटिव सोसाइटी के वाइस प्रेसीडेंट हैं और डायरेक्टर भी हैं । अब अच्छे कार्यकर्त्ता हैं या नहीं इतनी बात मुझे पता नहीं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह घटना हुई इसके विषय में पुलिस ने क्या ऐक्शन लिया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, पुलिस ने १०७/११७ में २८ आदमियों का चालान किया और उन पर मुकदमा चल रहा है ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पी०ए०सी० अब भी लग रही है या हटा ली गई है ? यदि हां तो क्यों हटा ली गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी मौजूद है ।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो घटना हुई उसका रिपोर्ट में क्या कारण बताया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका क्या मतलब है ?

श्री रतीपाल—

आपने कहा कि १०७/११७ में २८ आदमियों का चलान किया, लेकिन पीटने की घटना के संबंध में क्या रिपोर्ट है ?

श्री अध्यक्ष—

यह पूछिये कि जो व्यक्ति मारा गया उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिन दो व्यक्तियों ने पीटा था उन पर मुकदमा चल रहा है और १०७/११७ में अलग से मुकदमा चल रहा है ।

गन्ने के मूल्य का भुगतान

*४—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर), श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी चीनी मिलों को रिकवरी बेसिस के बजाय गन्ने की कीमत दो रुपये मन देने का आदेश केंद्रीय सरकार से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रदेश में इस आदेश से कितनी प्रकार की कीमतें लागू हो गई हैं ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

प्रदेश में ७१ चीनी मिलों में से ४१ चीनी मिले ऐसी हैं जो गन्ने का मूल्य २ रु० प्रतिमन की दर से केंद्रीय सरकार की अनुमति से भुगतान कर रही हैं और शेष पूर्वी प्रदेश की चीनी मिलों को, प्रेस में दी हुई सूचनानुसार, दिसम्बर १२, १९६३ से २ रु० प्रतिमन की दर से गन्ने का मूल्य भुगतान करने की अनुमति केंद्रीय सरकार से मिल गई है, यद्यपि रिकवरी बेसिस के आधार पर गन्ने के मूल्य के भुगतान की दर १.७५ न०पै० प्रतिमन निश्चित हुई है ।

*५—श्री कल्पनार्थसिंह, श्री शारदाभक्तसिंह तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गन्ना किसानों ने मिलों को गन्ना देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, त. किन-किन मिलों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पूर्वी क्षेत्र की कुछ मिलों में मिल की दैनिक गन्ने की आवश्यकतानुसार गन्ना नहीं दिया जा रहा था । इसका प्रभाव पूर्वी क्षेत्र की ३२ मिलों में से १६ मिलों पर भिन्न-भिन्न समय पर पड़ा । १६ दिसम्बर, तक किसी मिल के बन्द होने की इत्तला नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि इस सूचना से जो प्रेस की सूचना के अनुसार दी गयी है क्या रिकवरी बेसिस का जो सिद्धांत था वह निरस्त कर दिया गया, दो रुपया मूल्य पाने के कारण?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

टैम्पोरैरिली तो कर ही दिया गया ।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह बात सही है कि १२ दिसम्बर के बाद भी जिन मिलों को कह रहे हैं कि दो रुपया मन कीमत देने की सलाह दे दी गयी है वह नहीं दे रही हैं, गन्ने की पुरजी पर भी कीमत नहीं लिख रही हैं, यह शिकायत सरकार को मिली है ? अगर मिली है तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी कोई सूचना आदरणीय सदस्य को होगी तो यहां से इंस्ट्रक्शंस चली जायंगी । वह तो आदेश हो ही गये ।

श्री रामायणराय—

जैसा बतलाया गया है केंद्रीय सरकार की ओर से दो रुपया मूल्य इस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है और जो उत्तर दिया गया है उसमें बतलाया गया है कि रिकवरी बेसिस को आज भी सरकार मान रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि डोंगे से ले कर चीनी बनने के पूरे प्रासेस तक आपका कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं है, फिर इस बेसिस को इस मूल्य का आधार क्यों मानते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आल इंडिया पालिसी है ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों ने १२ दिसम्बर के पहले गन्ना इस वर्ष दिया है, उनको किस हिसाब से रुपया मिलेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक इसके लिये आदेश नहीं दिया लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को तार दे दिया है कि २ रुपये मन दें, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं हुई है ।

फर्रुखाबाद जिले में डाकुओं का गिरोह

*६—श्री कृष्णा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में अभी हाल में डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह आ गया है और उसके द्वारा कई एक डाके डाले गये हैं तथा एक लड़के का मुहम्मदाबाद थाने से अपहरण भी किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री श्री (हरगोविन्द सिंह)—

एक गिरोह जिसने थाना मुहम्मदाबाद के इलाके से गोवर्धन नाम के एक आदमी का अपहरण किया था, का २९,३०–११–६३ की रात को पता चला ह । भगाया हुआ व्यक्ति

डाकुओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है और इस गिरोह के चार डाकू भी पकड़ लिये गये हैं । यह गिरोह पूर्णतया स्थानीय है और कहीं बाहर से नहीं आया है । उक्त घटना के अतिरिक्त इस गिरोह के कोई अन्य कुकृत्य अब तक रोशनी में नहीं आये हैं ।

*७—श्री कृष्णा—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त आये हुये डाकुओं को खत्म करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह अपराध धारा ३६५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना मुहम्मदाबाद पर और अपराध धारा १४८/१४९/३०८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना नवाबगंज पर इस गिरोह के विरुद्ध अंकित किया गया है, जिसमें जांच की जा रही है ।

[१९ दिसम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[हटा दिये गये ।]

*३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

[हटा दिया गया ।]

*४—कुंवर श्रीपालसिंह—

[१० दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या ९८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५—कुंवर श्रीपालसिंह—

[हटा दिया गया ।]

थानों के पुनस्संघटन एवं पुलिस सिपाहियों को साइकिल एलाउन्स देने पर विचार

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने जा रही है ? यदि हां, तो इस समय कितने थाने हैं और नवीन योजना के अन्तर्गत कितने थानों की बढ़ौती की जायगी और कब तक ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां । इस समय थानों की संख्या ८४३ है । उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, १९६० द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार थानों का पुनस्संगठन सरकार के विचाराधीन है । इस समय यह सूचना देना सम्भव नहीं है कि कितने थानों की वृद्धि होगी और कब तक ।

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार पुलिस के सिपाहियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने पर साइकिल एलाउन्स देती है ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस के सिपाहियों को साइकिल एलाउन्स देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस आयोग ने सन् ६० में यह सिफारिश की थी कि थानों की

संख्या में वृद्धि की जाय, तो तीन साल हो गए अब तक विचाराधीन रखने का क्या कारण है और विचाराधीन स्थिति कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इमर्जेन्सी की वजह से यह कार्य बन्द कर दिया गया था अब इसको फिर शुरू किया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अभी मन्त्री जी ने बताया कि ८४३ थाने हैं और बाकी प्रश्न विचाराधीन है, तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो नये थाने बनाये गये है वे किस योजना के अन्तर्गत बनाये गये हैं जबकि उत्तर यह है कि यह प्रश्न विचाराधीन है ? मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही नये थाने बनाये गये हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह तो मैंने कहा कि वह बनाये जा रहे हैं। कहीं-कहीं तो थाने जो गिर गये थे वह बनाये जा रहे हैं और कहीं-कहीं नये बनाये जा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय माल मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तीनों मौजूद है, क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था होगी जिसमें कानूनगो सर्किल, पंचायतराज सर्किल और थाना इन सबका एक ब्लाक या क्षेत्र हो जाय ताकि व्यवस्था में सुविधा पड़े और जनता को भी उससे लाभ पहुंचे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, लेकिन इस समय यह जरा कठिन है क्योंकि ये चीजें एक दूसरे के बाद बनीं और इस पैटर्न पर नहीं बनीं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सूबे के अन्दर अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, और यह महसूस करते हुए कि थानों और कान्स्टेबिलों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, सरकार इस निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, स्टाफ में भी वृद्धि हो रही है और थानों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि अभी दो चार साल पहले ८१० थाने थे और इस समय ८४३ थाने हो गए, तो यह बढ़े हुए थाने पुलिस कमीशन की सिफारिश पर बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो यह क्यों मंत्री जी कह रहे हैं कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने कहा कि १००५ थाने होंगे और बनाये जा रहे हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि जिलों में थानों का परिसीमन हो रहा है कि नये सिरे से कितने थाने बनाये जायं, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि किन-किन बातों को ध्यान में रख कर जिलों में जो थाने बनाये जा रहे हैं उनको सीमा निर्धारित की जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये सुझाव हर जिले के डी० एस० पी० से मांगे जा रहे हैं ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमीशन की सिफारिश से एलाउन्स न देने का क्या कारण है और इस पर जो सरकार विचार कर रही है वह विचार कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें ३.७ लाख का खर्चा आता है। इसलिये इस संकटकाल में देना मुश्किल है। आइन्दा जब देने का सवाल आयेगा तो सोचा जायगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो थाने के भवन बनाने की योजना है उसमें अंग्रेजी जमाने जैसी खराब हवालात बनेगी या उनमें कोई परिवर्तन किया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो खराब है उसके बदलने की चेष्टा सरकार हमेशा करती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि इस समय संकटकालीन स्थिति है और सुरक्षा के और काम भी करने जरूरी हैं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सिपाहियों को भत्ता दिया जाय ताकि वे और भी मुस्तैदी से काम कर सकें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वह प्रश्न विचाराधीन है। जैसे ही स्थिति अच्छी होगी सरकार एलाउन्स देने का विचार करेगी।

श्री रामप्यारे—

श्रीमन्, मेरा यह प्रश्न था कि हमारे यहां क्षेत्र में पुलिस के थाने की बहुत जरूरत है। कोई घटना हो जाती है तो लाश कई दिन तक पड़ी रहती है तो मन्त्री जी क्या वहां पर पुलिस थानों की संख्या बढ़ायेंगे या ऐसा न कर सकें तो एस० ओ० के लिये आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभी इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया।

सूती मिल

*८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी संस्थान के अन्तर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों में सूती मिलें खुलने के बारे में योजना विचाराधीन है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकारी संस्थान के अन्तर्गत इस प्रदेश में कोई सूती मिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूती मिल सरकारी संस्थान में खोली

आय इसके बारे में कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने विचार किया था और हैन्डलूम कारखाने गोरखपुर और आजमगढ़ में जो चल रहे हैं उनको सरकारी संस्थान में लेने के बारे में एक योजना जो सरकार के विचाराधीन थी उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह कोआपरेटिव सेक्टर में खोला जा रहा है। उनमें से एक इटावा में खुल गया है और दूसरा जौनपुर में खोला जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सदन को यह आश्वासन दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये व्यवस्था भी थी कि पूर्वी जिलों में खास तौर से मऊनाथ भंजन में जहां लाखों की संख्या में बुनकर बसते हैं और हैन्डलूम का केन्द्र है और बस्ती जिले के खलीलाबाद में एक सूती मिल खोलने की व्यवस्था हो उस समय जयपुरिया साहब वहां पर एक प्राइवेट सेक्टर में मिल लगा रहे थे, लेकिन अब जयपुरिया साहब ने इस मिल को वहां से हटा लिया है और वहां नहीं खोल रहे हैं। तो सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां कोआपरेटिव सेक्टर में या राज्य सेक्टर में सूती मिल खोली जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में खोलना चाहता है तो खोल सकता है। सरकार पब्लिक सेक्टर में नहीं खोल सकती है। अगर कोआपरेटिव सेक्टर में क्षमता हो और वे खोलना चाहें तो खोल सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खलीलाबाद में सूती मिल खुलनी थी और सरकार ने उसका सरकारी सेक्टर में प्राविधान किया था। बाद में जयपुरिया साहब ने मिल प्राइवेट सेक्टर में खोलने की बात की और वह खोली नहीं। तो वे खलीलाबाद में या गोरखपुर में या आजमगढ़ में इस तरह की मिल खोलने पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने उत्तर में पहले ही कहा कि इस समय सरकार के विचाराधीन कोई सूती मिल खोलने की योजना नहीं है इसलिये कि जब प्राइवेट सेक्टर में मिल खुल रही है तो सरकार अपनी तरफ से क्यों खोले।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा प्रश्न यह है कि द्वितीय योजना में सरकार ने इस तरह की मिल खोलने का प्राविधान किया था जो खलीलाबाद में कोआपरेटिव बेसिस पर खुलने वाली थी, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग पर कि जयपुरिया साहब अपनी मिल खोलने वाले हैं उसको टाल दिया गया। तो आज जब जयपुरिया साहब वहां मिल नहीं खोल रहे हैं तो द्वितीय योजना को वहां क्यों नहीं लागू किया जाता ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) आपकी योजना में एक मिल वहां सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में खुलने वाली थी। तो जब प्राइवेट सेक्टर में मिल नहीं लगी तो वह सरकारी सेक्टर में क्यों नहीं लगायी जा रही है यह सवाल है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वहां काफी बुनकर हैं और हम चाहते हैं कि वहां का काम बढ़े, लेकिन योजना में एलोकेशन हो चुका है और उसमें वह एरिया नहीं आता। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहां कुछ किया जा सके।

अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ में मुसलमानों पर लाठी चार्ज

*९:—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के अमीनाबाद पार्क में गत २ अगस्त, १९६३ को सांयकाल ७ बजे के लगभग जब मुसलमानों का मजमा सभा के रूप में परिणत हुआ उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया? यदि हां, तो लाठी चार्ज करने का क्या कारण है तथा कुल कितने व्यक्ति लाठी चार्ज से चोटिल हुये?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

गत २ अगस्त, १९६३ को अमीनुद्दौला पार्क में मुसलमानों द्वारा एक जलसे का आयोजन किया गया था। इसमें शिया व सुन्नी सम्प्रदायों के बीच तनाव को रोकने के उद्देश्य से लाउड स्पीकर के प्रयोग पर धारा १४४ के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया था। जब ७ बजे सांयकाल पार्क में एकत्रित भीड़ ने लाउड स्पीकर का प्रयोग किया तो उन्हें चेतावनी दी गई और भीड़ को अवैध घोषित किया गया और मैजिस्ट्रेट तथा उनके पास स्थित पुलिस पर जब ईट व पत्थर फेंके जाने लगे तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। घटनास्थल पर केवल एक लड़का जो भीड़ से धक्का खाकर गिरा था, चोट खाया मिला। ११ अन्य व्यक्तियों ने भी उस रात को अस्पताल जाकर अपनी चोटों का उपचार कराया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि शिया सुन्नी का जो जलसा अमीनुद्दौला पार्क में हुआ उसमें पहले कभी १४४ नहीं लगायी जाती थी, न लाउड स्पीकर पर बैन करके उनको इबादत करने से मना किया जाता था? तो इस साल क्यों सरकार ने लाउड स्पीकर को बैन कर दिया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

४ रिपोर्टें तीन दिन पहले दर्ज करायी गयी थीं और पुलिस कप्तान को झगड़े का अंदेशा मालूम होता था।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मंत्री जी या उपमंत्री जी, जो मुसलमान घायल हुआ, उसे देखने गये थे कि उसके कितनी चोटें आयी हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया था जिस पर लाठी चार्ज हुआ, उसके लिये शिया-सुन्नी दोनों सेक्टर्स ने रिप्रेजेन्ट किया है कि नाजायज तरीके से यह परिस्थिति पैदा की गयी जिसे बचाया जा सकता था, अगर पुलिस कुछ होशियारी से काम करती?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

पहले रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यह प्रयास क्यों नहीं किया गया कि दोनों वर्गों के जलूस अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग निकाले जायं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उस समय दोनों में काफी तनाव था, इसलिए कि अखबारों में निकला था कि करीब ८०—९० शिया कत्ल कर दिये गये हैं पाकिस्तान में। काफी लेख उस बारे में अखबारों में निकलते थे। चूंकि इस बात की आशंका थी इसलिए दफा १४४ लगा दी गयी।

एक सदस्य—

कोई तनाव नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना दे रहे हैं या मांग कर रहे हैं? सूचना देने की जरूरत नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि हमारे देश में और प्रदेश में शिया, सुन्नी और हिन्दू मुसलमान के नाम पर आये दिन झगड़े होते रहते हैं, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि "हिन्दू" और "मुसलमान" दोनों शब्द साहित्य-कोश से निकाल कर "हिन्दुस्तानी" और "भारतीय" शब्द का प्रचलन कराया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर विचार किया जायगा।

श्री के० के० दास रिपोर्ट में पुलिस विभाग के लिपिकों के लिए सिफारिशें

*१०—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार २३ अगस्त, १९६२ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ११ व १२ के क्रम में बताने की, कृपा करेगी कि श्री के० के० दास, आई सी० एस० ने पुलिस के लिपिक वर्ग के पुनः गठन के लिये जो रिपोर्ट दी थी और सरकार के विचाराधीन थी, उसमें अब क्या तय हुआ है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्री के० के० दास द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन पर संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने पर विचार किया जाय।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि श्री के० के० दास ने यह रिपोर्ट संकटकालीन स्थिति से पहले दी थी ? यदि हां, तो इस पर कार्यवाही न होने के कौन-कौन से कारण हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिये कि उसी के बाद संकट कालीन स्थिति पैदा हो गयी।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री के० के० दास ने मुख्य-मुख्य सुझाव व अपनी रिपोर्ट में लिपिक वर्ग के लिये क्या क्या दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब उससे कोई वास्ता नहीं है ।

*११—श्री नरसिंह नारायण पांडेय, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिया गया ।]

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[हटा दिया गया ।]

*१३-१४—श्री कल्पनार्थसिंह, तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिये गये ।]

संयुक्त संचालक, उद्योग विभाग, वाराणसी के शिक्षकों का बकाया

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या लघु उद्योग मंत्री दिनांक १८ अक्टूबर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने शिक्षक सेवा मुक्त हुये और सेवा मुक्त होने का कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

संयुक्त संचालक वाराणसी के अधीन कुल २३ शिक्षक सेवा मुक्त हुये थे और इनके सेवा मुक्त होने का करण मृत्यु होना, त्याग पत्र देना, रिटायर होना और पदों का तथा नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार अस्थायी सेवाओं का समाप्त होना है ।

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवा मुक्त शिक्षकों को पावने का भुगतान कब तक हो जायगा और प्रत्येक का कितना कितना रुपया सरकार के जिम्मे है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७५–२७६ पर)

श्री राम सुन्दर पांडेय—

ये व्यक्ति सेवा मुक्त कब किये गये और इनका भुगतान किस सन् में किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

क्या सबके बताऊं श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—

ये २३ आदमी हैं, अलग अलग सबका विवरण होगा । क्या एक ही साथ सेवा मुक्त किये गये ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जी हां ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

भुगतान एक साथ नहीं हुआ है, सब का अलग अलग भुगतान हुआ है और अलग अलग तिथियों में हुआ है, कुछ का अभी बाकी भी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सूची में नम्बर ४ पर जो नाम है श्री राम औतार वर्मा का, उसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कृपया बतायेंगे कि उन को सेवा से मुक्त कब किया गया और पावने का भुगतान कब किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इनके अभी १८.१६ रुपये बाकी हैं जिसके लिये कार्यालय की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमारे प्रश्न का उत्तर श्रीमन, नहीं मिला । मैंने पूछा था कि सेवा से कब मुक्त हुये तथा यह भी बतायें कि बकाया का कब भुगतान हुआ ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

इस वक्त उनकी तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उनको १२४६ रुपये कब दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—

वह विलम्ब से दिया गया होगा, ऐसा मालूम होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, सेवा से मुक्त करने के बाद ४–५ साल तक पैसा नहीं दिया जाता । तो क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि भविष्य में जब भी ऐसे लोगों को सेवा से मुक्त किया जाय उनके पावने का भुगतान ४ महीने के अन्दर ही हो जाया करे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

भुगतान तो जल्दी करते ही हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ रकम निकलती थी जिसका इन लोगों से हिसाब मांगा गया था, इसलिये इसमें देरी हुई । केवल ११ केसेज रह गये हैं ।

न्याय एवं प्रशासन विभाग का बिलगाव

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय एवं प्रशासन विभाग का विलगांव उनके विचार से किस सन् में पूरे प्रदेश में हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कुमायूं तथा उत्तराखंड के जिलों को छोड़कर न्याय कार्यों को शासकीय कार्यों से पृथक करने की योजना, १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष से समस्त प्रदेश में लागू है । इन दो खंडों के जिलों में न्याय संबंधी कार्य बहुत कम होने के कारण शासन ने इस योजना को वहां न लागू करने का निश्चय किया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं और उत्तराखंड में प्रशासन विभाग पृथक न होने के कारण वहां के लोगों को न्याय मिलने में परेशानी हो रही है और ऐसी दशा में उनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वहां तो लोग ऐसा अनुभव नहीं करते, आप अनुभव करते हों यहां पर तो बात दूसरी है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी भी हाकिम परगनों की अदालतों में न्याय किया जाता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

न्याय का काम वहां बहुत कम होता है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ए० डी० एम० (जे०) के अधीन जुडीशियल आफिसर्स को रखने से उनकी इन्डिपेन्डेन्स खत्म होती है, जुडीशियल आफिसर्स को जिला जज के अधीन रखने की कृपा करेगें ताकि सही तरीके से लोगों को न्याय मिल सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस वक्त ऐसा कोई विचार नहीं है । १९४९ से १९६१ तक धीरे धीरे एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन किया गया । इस वक्त सन् ६१ में जो किया गया है उसी के अनुसार रखने का विचार है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, अब भी हाकिम परगनों के यहां ८० प्रतिशत काम न्याय का ही होता है । तो क्या सरकार इसको पृथक करने के प्रश्न पर फिर से विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी तक तो जो कार्य जिस प्रकार हो रहा है वही ठीक है, अगर भविष्य में किसी परिवर्तन की आवश्यता हुई तो उस पर विचार किया जायेगा ।

मूढ़ा थाने में अपराध एवं थानेदार श्री एम० एन० गुप्त के विरुद्ध स्ट्रिक्चर सम्बन्धी जांच

*१८—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि थाना मूढ़ा, जिला मुरादाबाद में १ जनवरी, १९६२ के बाद कितनी कत्ल, डकती तथा राहजनी की वारदातें हुयीं और उनमें कितने मुकद्दमें अदालत गये छूटे या चल रहें हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७७ पर)

*१९—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि फाजिल जज मुरादाबाद ने दो कत्लों के मुकद्दमों में श्री गुप्ता इन्चार्ज मूढ़ा के खिलाफ सख्त स्ट्रिक्चर पास किये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। भूतपूर्व थानाध्यक्ष मूढ़ा, श्री एम० एन० गुप्ता के विरुद्ध विद्वान् सेशन जज, मुरादाबाद ने दो कत्लों के मुकद्दमों में सख्त स्ट्रिक्चर पास किये हैं। उन पर पुलिस रेगुलेशन्स के नियम ५०० के अनुसार जांच की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि संगीन जरायम की तादाद ज्यादा है और अब तक जो मामले चले वे छूट गये, इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी सी० आई० डी० से जांच नहीं हुआ करती।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, दो सख्त स्ट्रिक्चर पास हुये हैं और उसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि दफा ५०० के मातहत जांच हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जज के इस तरह के स्ट्रिक्चर पास होते हैं तो उनको सरकार किस निगाह से देखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

पुलिस रेगुलेशन्स के मुताबिक यही है कि उसकी जांच होती है।

पुलिस चौकी बुगरासी में विभिन्न अपराध

*२०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस चौकी बुगरासी, जिला बुलन्दशहर में पहली अगस्त, सन् १९६१ से ४ सितम्बर, १९६३ तक कितने कत्ल, कितनी डकैतियां, कितनी चोरियां, और कितने अन्य प्रकार के जरायम हुये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस अवधि में पुलिस चौकी बुगरासी में ७ कत्ल, १ डकैती, ६९ चोरियां, तथा ५२ अन्य प्रकार के जरायम की रिपोर्टें हुई।

*२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दौरान में कितने जरायम, चौकी बुगरासी में ऐसे हुये जिनकी कि छान-बीन करने में पुलिस असमर्थ रही ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

चोरी के १८ मामलों में तथा अन्य जरायम के १४ मामलों में छानबीन नहीं की गयी। ३२ चोरी के मामलों में तथा २ अन्य जरायम के मामलों में पुलिस पता लगा सकने में असमर्थ रही।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय गृह मंत्री जी अपने उन लायक इन्सपेक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जो ९९ जरायम की घटनाओं में से ३२ का पता लगाने में नाकामयाब रहे तथा १८ की छानबीन ही नहीं की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१८ मामलों में शिनाख्त ही नहीं हुई तो फिर चालान कैसे होता ?

*२२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[१७ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

समाचार-पत्र

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सहकारिता योजना के अनुसार इस समय कितने समाचार पत्र चालू हैं तथा सरकार की ओर से उन समाचार पत्रों को किस किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९६०-६१, १९६१-६२, तथा जुलाई, १९६३ तक कौन-कौन समाचार पत्र के प्रकाशन पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई तथा उन समाचार पत्रों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आगरा जिला सुरक्षा कोष

*२५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में मुख्य मंत्री, सुरक्षा कोष में अब तक कितना धन एकत्रित हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आगरा जिले में मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में अब तक कुल ९,८७,६९३.२४ रुपया एकत्रित हुआ है ।

*२६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा कोष की रसीद बहियां तथा एकत्रित किया हुआ धन कुछ व्यक्तियों पर बकाया है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनसे रसीद बहियां तथा धन अभी तक क्यों नहीं लिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रत्येक जिले में जिलाधीश द्वारा गजेटेड अधिकारियों तथा जिले के प्रमुख नागरिकों को रसीद बहियां दी गई हैं । जिलाधीश रसीद बहियों की जांच करा रहे हैं । जांच के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि किसी व्यक्ति पर धन बकाया है कि नहीं ।

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम सभा, कोटरा से सुरक्षित कोष में धन

*२७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के तहसीलदार ने ग्राम सभा कोटरा, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर से कुल कितना रुपया और किन-किन व्यक्तियों से सुरक्षा कोष में अब तक प्राप्त किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

घाटमपुर के तहसीलदार को ग्राम कोटरा से सुरक्षा कोष के लिए कुल ३६६ रु० प्राप्त हुए जिसकी †सूची संलग्न है ।

*२८—श्री उग्रसेन—

क्या यह सच है कि उपरोक्त तहसीलदार ने सुरक्षा कोष में प्राप्त रुपयों की रसीद तब ही जबकि ग्राम सभा ने जिलाधीश के पास तहसीलदार के खिलाफ रसीद न देने का आरोप लगाया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

झांसी में प्रमाण-पत्र बेचने वाला गिरोह

*२९—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी में सितम्बर, १९६३ के दूसरे सप्ताह में कोई ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो कि रुपये लेकर हाई स्कूल तथा इन्टर के जाली प्रमाण-पत्र दिया करता था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हाँ ।

*३०—श्री जगन्नाथ राव—

यदि हाँ, तो पूरी घटना क्या है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७८ पर)

बरेली हवाई अड्डे के लिए अधिगृहीत भूमि

*३१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में हवाई अड्डे के निर्माणार्थ किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि सरकार द्वारा अधिहरण कर ली गई है तथा कृषकों को उनका मुआविजा अब तक न देने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

---

†छापी नहीं गई ।

बस्ती जिला अस्पताल में मृत श्री भानुप्रताप सिंह

*३२—कुँवर श्रीपालसिंह—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री भानु प्रताप सिंह, निवासी ग्राम कमरपुर, पोस्ट सरपथा, जिला जौनपुर जिनकी कि बस्ती, जिला अस्पताल में सितम्बर १९६३ के प्रथम सप्ताह में मृत्यु हो गई वह किसी घातक अस्त्र से घायल होकर अस्पताल में आये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हाँ।

*३३—कुंवर श्रीपालसिंह—

यदि हाँ, तो उनके घायल होने की पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७९ पर)

चीनी मिलों पर बकाया

*३४—श्री गेंदा सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के चीनी मिलों के जिम्मे इस वर्ष कितना बकाया गत वर्ष के गन्ने का दाम, सरकार का टैक्स और केन-यूनियन का कमीशन का पड़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१ नवम्बर १९६३ को प्रदेश की चीनी मिलों पर विगत वर्ष के गन्ने के मूल्य, केन यूनियन का कमीशन और क्रय कर के रूप में जो रकम बकाया थी वह इस प्रकार है :

	(लाख रु० में)
१—गन्ने का मूल्य	७०·५१
२—कमीशन	२४·६०
३—क्रय कर	११४·५१

*३५—श्री गेंदासिंह—

सूद की रकम अब तक कितनी बकाया है और उक्त रकमों की वसूली के लिये प्रत्येक मिलों पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विगत सीजन के गन्ने के मूल्य व कमीशन की रकम पर १ नवम्बर १९६३ को सूद क्रमश ११.४० रु० लाख व रु० १.६३ लाख बकाया था। उक्त बकाया रकमों की वसूली के लिये देनदार चीनी मिलों के विरुद्ध गन्ना आयुक्त ने रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है।

*३६—श्री गेंदासिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त बकायादारों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन के विरुद्ध सरकार ने भारत सरकार को नियंत्रण में लेने के लिये सिफारिश की है ? यदि हां, तो वह कौन सी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां और केन्द्रीय सरकार ने महेश्वरी शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, रामकोला तथा कमलापत मोतीलाल भटनी शुगर मिल्स जिला देवरिया के लिये अधिग्रहण कंट्रोलर नियुक्त कर दिया है।

राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में प्राध्यापक की नियुक्ति

*३७—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में लीनों कट, उड कट तथा एंविग आदि विषयों को पढ़ाने के लिये किसी नये प्राध्यापक की नियुक्ति की गई है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां ।

*३८—श्री नेकराम शर्मा—

यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्राध्यापक ने इसके पूर्व उल्लिखित विषयों की कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं पाई है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

*३९—श्री नेकराम शर्मा—

यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार अनट्रेंड तथा उक्त विषयों में अभिज्ञ प्राध्यापक की नियुक्ति के विषय में जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर जिले के थाना पुरानी मंडी व मेला पिरानकलियर में गिरफ्तारियां

*४०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना पुरानी मंडी, सहारनपुर में २५ अगस्त, १९६३ के आस-पास कुछ लोग एक औरत को ले जाते हुये पकड़े गये ? यदि हां, तो क्या उनमें कोई सरकारी कर्मचारी भी था ? उस केस में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, दिनांक २५-८-६३ को थाना पुरानी मंडी, सहारनपुर में दो औरतों को ले जाते हुये ८ व्यक्ति जिनमें एक सरकारी कर्मचारी भी पकड़े गये थे । उनका चालान सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट की धारा ३-८ के अन्तर्गत किया गया ।

*४१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि सहारनपुर जिले के मेले पिराने कलियर शरीफ के मौके पर रुड़की पुलिस ने कुछ स्वर्णकारों को धारा १०९, सी० आर० पी० सी० के अधीन पकड़ा जो नगर सहारनपुर से अपना सामान बेचने के लिए मेले में आये थे ? यदि हां, तो उनका पूरा विवरण क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेला पिरान कलियर थाना रुड़की जिला सहारनपुर में पुलिस ने तारीख ५-६ अगस्त, १९६३ की रात को २.३० बजे संदिग्ध अवस्था में छिपे हुए २ व्यक्तियों को जाब्ता फौजदारी की धारा १०९ के अन्तर्गत पकड़ा था । उनके विरुद्ध मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

४२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं कृषि संबंधी नयी योजनाओं को तैयार करने हेतु विशेष सहायता प्रदान किया है ? यदि हां, तो कितना रुपया मिला है और राज्य सरकार उसका उपयोग किस प्रकार करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अल्प सिंचाई योजनाओं के लिये १ करोड़ रुपये की विशेष सहायता राज्य सरकार को दी है इसमें से ३३ लाख रुपया किसानों को निजी अल्प सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण के रूप में दिया जायगा तथा ६७ लाख रुपया राज्य द्वारा नलकूपों पर व्यय किया जायगा । नई योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की तालिका माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे २८० पर)

*४३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[हटा दिया गया ।]

*४४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री विजयसिंह—

[६ ठे गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

कारतूसों की चोरबाजारी के सम्बन्ध में कथित स्मृति-पत्र

*४५—श्री चन्द्रभौं सिंह (जिला देवरिया)

क्या पुलिस मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक २५ अगस्त, १९६३ को जब गृह मन्त्री, गोरखपुर गये हुये थे तो क्या वहां की राजनीतिक पार्टियों द्वारा कारतूस की चोरबाजारी से सम्बन्धित स्मृति-पत्र दिया गया था ? यदि हां तो क्या मन्त्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि उसमें सभी उठाये गये सवालों पर क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २५-८-६३ को गोरखपुर की राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस प्रकार का कोई भी स्मृति-पत्र मुझे नहीं दिया गया था । प्रश्न का अगला भाग नहीं उठता ।

*४६-४७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री जगन्नाथ राव—

[६ ठे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

हरगांव थाने में कत्ल

*४८—श्री टम्भेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना हरगांव में १५ अगस्त से सितम्बर, १९६३ तक कितने कत्ल हुये तथा उस सम्बन्ध में अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त अवधि में थाना हरगांव में २ कत्ल हुए । दोनों घटनाओं में जांच में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।

मेरठ निवासी फौजी सिपाही स्वर्णसिंह का प्रार्थना-पत्र

*४९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या पुलिस मन्त्रीजी बतायेंगे कि गत १४ जुलाई, १९६३ को किसी राज्य सभा के सदस्य ने मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर मेरठ शहर के सदर बाजार के किसी फौजी व्यक्ति की बीबी बच्चों एवं तमाम मलमत्तों के अपहरण और उसको मारने पीटने की दो घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना दी है; यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की हिन्दी प्रतिलिपि को मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उस सम्बन्ध में अब तक कितन लोगों का चालान हुआ और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हर गोविन्दसिंह—

डा० मिर्जा अहमद अली, सदस्य, राज्य सभा का दिनांक १४-७-६३ का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ सदर बाजार मेरठ के निवासी भूतपूर्व फौजी सिपाही सरदार स्वर्ण सिंह का दिनांक १४-७-६२ का प्रार्थना पत्र भेजा गया था। उक्त फौजी सिपाही ने अपने पत्र में अपनी पत्नी के अपहरण, सम्पत्ति मालियती लगभग ३०,००० रु० के लूटे जाने व स्वयं को कुछ व्यक्तियों द्वारा पीटे जाने का उल्लेख किया था। उक्त दोनों पत्रों की हिन्दी प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि सरदार स्वर्ण सिंह ने सन् १९६१ में अपनी सम्पति के संबंध में चोरी की एक घटना की सूचना दी थी जिसके आधार पर धारा ३८० भा०द० विधान कामुकदमा कायम किया गया था और ८ अभियुक्तों का चालान किया गया था, पर मुकदमा न्यायालय से छोड़ दिया गया। प्रार्थी की पत्नी के अपहरण के संबंध में भी एक मुकदमा धारा ३६३/३६८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया था और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया परन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि उनकी पत्नी ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपने बालिग होने तथा अभियुक्त के साथ अपनी रजामंदी से रहने का बयान दिया था। प्रार्थी के पीटे जाने के संबंध में भी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा चालान किया गया।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २८१-२८२ पर)

*५०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त दोनों काण्डों की छान बीन में स्थानीय पुलिस की ढिलायी की सूचना सरकार को मिली है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी स्पेशल सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ? क्या पुलिस मन्त्री बतायेंगे कि उक्त मामले की छानबीन कर सोल्जर बोर्ड के उच्चाधिकारियों ने भी कोई सूचना उचित कार्यवाही हेतु डिप्टी कलेक्टर, मेरठ को दी है ? यदि हां, तो क्या उसकी हिन्दी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री स्वर्ण सिंह ने स्वयं अपने पत्र में इस प्रकार के आरोप लगाये थे जिनकी जांच करने पर वे सही नहीं पाए गए। ऐसी स्थिति में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक सोल्जर्स बोर्ड, मेरठ ने एक रिपोर्ट कलेक्टर मेरठ को भेजी थी जिस की हिन्दी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २८३ पर)

लोहा व इस्पात का कोटा

*५१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया दिनांक १७ अक्तूबर, १९६३ के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २६, २७ और २८ के क्रम में बताने का कष्ट करेंगीं कि लोहे और इस्पात के कोटे की कटौती का कारण क्या है और इस कटौती का प्रदेश के किन-किन उद्योगों पर क्या-क्या असर पड़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६२-६३ के प्रारम्भ से ही हाट रोल्ड बी० पी० शीट की सप्लाई के पुराने आर्डर्स पूर्ति हेतु उत्पादकों के पास शेष थे। इस कारण लघु उद्योगों के लिये राज्य सरकार को इन श्रेणियों के निमित्त कोई कोटा प्राप्त नहीं हो सका। हाट रोल्ड बी० पी० शीट के न मिलने से फर्नीचर, सन्दूक आदि उद्योगों को धक्का लगा। जी० पी० शीट के न मिलने के कारण कृषि यंत्र, सन्दूक, कूलर्स तथा टंकी इत्यादि उद्योगों को धक्का लगा।

सत्तरिख निवासी बाबूलाल ठठेर की पत्नी का आबकारी इन्सपेक्टर व पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*५२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत २७ सितम्बर, १९६३ को बाराबंकी जिले के कस्बा सत्तरिख में किसी ठठेरे के घर कोई आबकारी इन्स्पेक्टर ने अपने स्टाफ सहित जबरदस्ती घुस कर तलाशी ली जब कि उक्त घर का मालिक मौजूद न था और साथ ही उक्त ठठेरा की पत्नी को बुरी तरह से पीटा भी ?

*५३—यह सही है कि उक्त घटना के बाद जब कस्बे के नागरिक जिलाधीश, बाराबंकी के पास शिकायत लिखाकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में पुलिस की मदद से रोका गया और उन्हें हवालात में बन्द किया गया और उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २७-९-६३ को जिला बाराबंकी के कस्बा सत्तरिख के श्री बाबू लाल ठठेर की पत्नी ने जिलाधीश को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया था।

आबकारी इंस्पेक्टर ने थाना कोतवाली पर २७-९-६३ को ही १०-२० पर सुबह श्री बाबू लाल ठठेर की पत्नी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा १४७/३५३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कायम किए गए मुकदमें के सिलसिले में अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह सत्य नहीं है कि कोतवाली में झूठी रिपोर्ट लिखी गई थी।

*५४— श्री उमाशंकर तथा श्री राजनारायणसिंह —

क्या यह भी सही है कि कोतवाली थाने के विरूद्ध सिकन्दरपुर के जालपा अहीर द्वारा रिश्वत वसूल होने के सम्बन्ध में एक बार किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी और वह भी इस मामले में कोतवाली की हवालात में बन्द थे और उनसे उक्त विरोध का बदला लेने के लिये उन्हें कोतवाली में रस्सों तथा लाठियों से पीटा गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त घटना की पूरी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कोतवाली थाने के विरूद्ध सिकन्दरपुर के जालपा अहीर द्वारा रिश्वत वसूल होने की कोई शिकायत किसी व्यक्ति ने नहीं की। उपरोक्त धारा १४७/३५३ भा० दं० वि० के मामले के संबंध में कुछ अभियुक्त हवालात में बन्द थे। किसी को रस्सों व लाठियों से पीटा नहीं गया। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

प्रधान मंत्री के लखनऊ आने पर व्यय

*५५—श्री बसन्तसिंह (जिला जालौन)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ सितम्बर, १९६३ को प्रधान मंत्री के लखनऊ आगमन पर राज्य सरकार ने कितना व्यय स्वीकृत किया था तथा कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस सम्बन्ध में कुल बिल अभी प्राप्त नहीं हुये । अतः निश्चित आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

महाराजगंज थाने में हरखपुर ग्राम बलवा तथा बसन्तपुर ग्राम के श्री सन्तूसिंह की हत्या

*५६—श्री उमाशंकर—

क्या गृह मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि विगत १२ मार्च ,१९६३ को आजमगढ़ जिले के महराजगंज थाने के हरखपुरा ग्राम में किसी के खेत काटने के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ था और क्या यह सच है कि उसमें डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार कई व्यक्तियों को बन्दूक ,पिस्तौल तथा धारदार हथियारों से चोटें आयी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, ऐसा एक झगड़ा हुआ था । डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों को रिवाल्वर की गोली से चोट आना पाया गया । बन्दूक अथवा अन्य धारदार हथियारों से किसी को चोट नहीं आई ।

*५७—श्री उमाशंकर—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त थाने के बसन्तपुर ग्राम के श्री सन्तू सिंह को कुछ लोगों ने जान से मार डाला ? उसमें किन –किन लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट है और वह मुकदमा क्यों अभी तक नहीं चलाया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री सन्तू सिंह को घायल करने तथा सामान लूटने के बारे में अम्बिका सिंह, पुत्र सन्तू सिंह ने थाना महराजगंज पर १९–६–६३ को एक लिखित सूचना दी जिसमें गिरजा सिंह, सत्यदेव सिंह, जय बहादुर सिंह, राजबहादुर सिंह, सूरत सिंह, रंगी सिंह, सम्पत सिंह, राधे सिंह, विशुनीसिंह, प्रभुनाथसिंह, झिन्डू अहिर, राजबली, सत्यदेव अहिर, फूलचन्द्र अहिर, राम अवध अहिर तथा सन्तू अहिर नामजद अभियुक्त थे । चोटों के कारण सन्तू सिंह की मृत्यु अस्पताल में हो गयी । विवेचना के फलस्वरूप डकैती की घटना असत्य पायी गयी । अस्तु श्री सन्तू सिंह के कत्ल के संबंध में धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत विवेचना की गयी । विवेचना में उपरोक्त १६ अभियुक्तों की नामजदगी रंजिशवश पायी गयी । सही अपराधी का पता नहीं चल सका । अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ललितपुर में श्री रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी

*५८—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ललित पुर की भरी बाजार में ६ अक्तूबर को सायं सात बजे एक मोटर, जिसका नम्बर प्लेट नहीं लगा था, आकर एक जनसेवी श्री रघुनाथ सिंह को बरियाई पकड़ कर उठा ले गई, जब इस घटना की सूचना एस० डी० एम० को दी गई तो उन्होंने अपने तहसीलदार द्वारा पता लगवाया तो ज्ञात हुआ कि उक्त मोटर मध्य प्रदेश पुलिस की थी तथा रघुनाथ सिंह को पुलिस पकड़ कर ले गई है । यदि हां, तो पुलिस को बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तथा उसे इस अवैधानिक कार्य के लिये अपनी पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ६–१०–६३ को ७ बजे शाम बहरौल, जिला सागर (मध्य प्रदेश) की पुलिस अपने किसी मुकदमे के सम्बन्ध में मुल्जिम की गिरफतारी के सिलिसिले में ललितपुर आई थी और

उक्त अपराध के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके ले गई थी। मध्य प्रदेश की पुलिस की बिना नम्बर प्लेट की किसी मोटर के सम्बन्ध में न तो कोई सूचना थाने में अंकित हुई और न ऐसी मोटर देखी गई। यह सूचना एस० डी० एम० ललितपुर के पास नहीं थी कि गाड़ी में नम्बर प्लेट थी या नहीं और नहीं जांच करने के उपरान्त यह मालूम हो सका। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हरिहरपुर निवासी श्री बिजय बहादुर सिंह को दिया गया उद्योग ऋण

*५९—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को यह पता है कि जिला शाहजहांपुर में कुछ साल पहिले इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से १०,००० रुपये कर्जा श्री विजय बहादुर सिंह, निवासी हरिहरपुर, डाकखाना खुदागंज को दिया गया था, जिसका उपयोग आज तक नहीं हुआ और न सरकार ने उस रुपये की वसूली की? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग समिति द्वारा केवल ६,०००) रुपये का ऋण सन् १९५९-६० में श्री विजय बहादुर सिंह को वितरित किया गया था, परन्तु ऋणी के कार्य न चलाने तथा वाजिब किस्तें व ब्याज न जमा करने पर जिलाधीश, शाहजहांपुर द्वारा समस्त ऋण वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

लखनऊ में पुराने कान्सटेबिल

*६०- श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)

क्या गृह मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में कितने ऐसे कांसटेबिल व हेड कांसटेबिल हैं जो बराबर २० वर्ष से लखनऊ में तैनात हैं और उनके नाम क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह —

सम्बन्धित विषय में पूर्ण सूचना अभी एकत्रित नहीं हुई है।

शिकारपुर थाने में गंगासरन के मारे जाने की घटना

*६१- श्री बिपिनबिहारी तिवारी —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंगासागर, ग्राम सलेमपुर, थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर को २७-२८ सितम्बर, को पुलिस ने पेड़ से बांध कर गोली से मार दिया? यदि हां, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह —

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६२- डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी —

[९ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या १०५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मलाक राज बस्ती, इलाहाबाद में पुलिस की ज्यादती के विरुद्ध शिकायत

*६३- डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २१ सितम्बर की रात ग्यारह बजे इलाहाबाद शहर के मलाकराज बस्ती (रामबाग स्टेशन के पास) में जी० आर० पी० के करीब बत्तीस व्यक्तियों ने घरों में घुसकर स्त्रियों को पीटा और अपशब्द कह कर पूरी बस्ती में आतंक फैला दिया?

*६४- डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या गृह मंत्री को स्थानीय विधायक ने इसकी जांच करने का अनुरोध करते हुये लिखित सूचना दी थी? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जगदीशसिंह के मामले में बांसगांव के थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही

*६५– श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के बांसगांव थाने के थानेदार ने सोशलिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता, श्री जगदीश सिंह को गैर कानूनी ढंग से पिछले पखवारे में गिरफतार किया, उन्हें अपमानित किया ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगदीश सिंह को थाना बांसगांव के थानेदार ने गिरफ्तार नहीं किया । समाचार पत्र भारत के २९–९–६३ के अंक में थानेदार के विरुद्ध श्री जगदीश सिंह का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था । उसी को लेकर थानेदार श्री रामधारी सिंह और श्री जगदीश सिंह में थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे रोषपूर्ण बातचीत हुई ।

*६६– श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री कैलाश —

क्या गृह मंत्री को इस बात की सूचना है कि श्री जगदीश सिंह के साथ उक्त कृत्य होने पर वहां रोष और क्षोभ का वातावरण फैला जिसके फलस्वरूप भारत सेवक समाज,कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों और स्थानीय ब्लाक प्रमुख ने कोई शिकायत जिलाधीश और जिला पुलिस कप्तान से की ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

जी हां, राजनीतिक पार्टियों आदि से एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें थानेदार के विरुद्ध पास किए गए एक प्रस्ताव की प्रति भी थी और थानेदार के विरुद्ध जांच की मांग की गई थी । इसके आधार पर कराई गई जांच से प्रश्न ६५ के उत्तर में बतलाए गए तथ्य पाए गये । थानेदार के अमालनामें में दुराचरण की एक प्रविष्टि कर दी गई है ।

*६७–६८ — श्री जगन्नाथ राव —

[हटा दिये गये ।]

मलवां विकास क्षेत्र में हरिजनों को गृह निर्माणार्थ अनुदान

*६९– श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के मलवां विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा रेना के ग्राम वैसानापुर के रंजीत, बाबूलाल, जुराखन, प्रहलाद, पित्तन और लालदास हरिजनों को मकान बनाने के लिये सन् १९६१ में ७५० रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो किस तिथि को मंजूर हुआ और किन-किन तिथियों में कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

डाक्टर सीताराम —

जी हां । ये अनुदान ११ जुलाई, १९६१ को स्वीकृत किये गये थे । सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २८४ पर)

*७०— श्री रघुवीरसहाय कैथवार —

क्या नियोजन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हरिजनों ने अपने-अपने मकान सन् १९६२ में पूरे करके कुल वाउचर श्री रामगोपाल बाजपेयी, बी०डी०ओ० मलवां को दे दिया था, परन्तु उक्त बी० डी० ओ० ओवरसियर ने उक्त हरिजनों के जिले से प्राप्त तक लिखने व बार-बार दौड़ने के बावजूद भी उनका बकाया रुपया अब तक नहीं दिया ? यदि हां, तो उक्त हरिजनों का कितना-कितना रुपया मिलना बाकी है और उसे अब तक न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम —

जी नहीं । सर्व श्री बाबूलाल, जुराखन और पित्तन को प्रत्येक को १०० रु० का भुगतान होना शेष है । इन लोगों ने कार्य पूर्ण होने के समस्त वाउचर इत्यादि विकास अधिकारी के कार्यालय में समय से प्रस्तुत नहीं किये ।

*७१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार —

[हटा दिया गया ।]

स्वीटजरलैंड में मथुरा म्यूजियम की बुद्धमूर्ति

*७२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाज कल्याण मंत्री डाक्टर सीताराम जी ने २ मार्च ,१९६३ को विधान सभा की बैठक में सन् १९६३–६४ के आय-व्ययक अनुदान संख्या १६ पर भाषण देते हुये कहा था कि मथुरा म्यूजियम की एक बुद्ध की मूर्ति खो गई है, जो पता लगा है कि स्विटरलैंड के म्युजियम में मौजूद है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मूर्ति मथुरा म्यूजियम से किसी ने चोरी की थी या किसी दूसरे तरीके से ले जाई गई थी और वह मूर्ति अब तक वापस आ सकी है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम —

जी हां । मूर्ति के गैरकानूनी रूप से स्वीटजरलैन्ड जाने के सम्बन्ध में पुलिस जांच कर रही है और अभी जांच समाप्त नहीं हुई है । मूर्ति को स्वीटजरलैन्ड से लाने के लिए जो Indian Embassy स्वीटजरलैन्ड में हैं उसके द्वारा कानूनी और अन्य कार्यवाही की जा रही है । अभी मूर्ति वापस नहीं आ सकी है ।

सचिवालय में विभागों का संगठन

*७३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभागों का जून, सन् १९६३ में पुनः संघटन किया गया है, जिसके फलस्वरूप विभागों के अधीक्षकों के पदों की संख्या में वृद्धि की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

जी हां, परन्तु ऐसा पुनर्गठन जून के माह में न होकर अगस्त, १९६३ में हुआ ।

*७४—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सही है कि उक्त समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक अधीक्षकों के पद के एक Cadre का निर्माण किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, सहायक अधीक्षकों के केडर का निर्माण अगस्त के महीने में हुआ ।

*७५–७७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[७ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

हरगांव थानेदार के तबादले

*७८— श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिले में थाना हरगांव इंचार्ज १ अक्टूबर, सन् १९६३ को लाइन हाजिर किये गये और दो दिन बाद ही उनका तबादला प्रतापगढ़ हो गया? इसके फौरन बाद ही इनका तबादला हरदोई किया गया और फिर फौरन इन्हीं दरोगा को सीतापुर उसी हरगांव थाने में चार्ज लेने का आदेश मिला ? हरगांव में जब इन्होंने चार्ज लिया तो फिर इन्हें आदेश मिला कि प्रतापगढ़ जाओ ? यदि हां, तो ये सब तबादले किन-किन तारीखों में हुए और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

जी हां, थाना हरगांव के इनचार्ज को फाइन हाजिर किये जाने के बाद पहले प्रतापगढ़ फिर हरदोई, तदुपरान्त थाना हरगांव और इसके बाद फिर प्रतापगढ़ स्थानान्तरित किये जाने के आदेश क्रमशः अक्टूबर ३,१६,२२ तथा २७,१९६३ को शासन के हित में जारी किये गये थे। परन्तु यह सही नहीं है कि अक्तूबर २७, १९६३ को प्रतापगढ़ स्थानान्तरण के आदेश के पूर्व उन्होंने हरगांव थाने का चार्ज लिया था ।

*७९—श्री लखपतराम शर्मा—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

रायबरेली जिले में रेलवे ऐक्सीडेंट

*८०—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९६३ से सितम्बर, १९६३ तक रायबरेली जिले के अन्तर्गत कितने रेलवे ऐक्सीडेंट हुये और उनमें कितने मवेशी तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जुलाई, १९६३ से सितम्बर, १९६३ तक रायबरेली जिले के अन्तर्गत ५ रेलवे एक्सीडेन्ट हुये जिसमें ५ व्यक्तियों की अचानक रेल से कट कर मृत्यु हुई । इस अवधि में किसी मवेशी की रेल से कट कर मृत्यु नहीं हुई ।

*८१—श्री रतीपाल—

क्या यह सही है कि जुलाई, १९६३ से सितम्बर, १९६३ तक कोई ऐसी लाश रायबरेली जिले में मिली है, जो कि किसी के द्वारा मार कर लाइन पर डाली हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं । कोई लाश जुलाई, १९६३ से सितम्बर, १९६३ की अवधि में रेलवे लाइन पर डाली हुई नहीं मिली ।

*८२–८३—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८४—श्री रतीपाल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कायमगंज में चीनी मिल खोलने पर विचार

*८५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में एक फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

*८६--श्री शिवनाथसिंह--

यदि नहीं, तो क्या सरकार फर्रुखाबाद जिले की बेकारी तथा दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई अन्य उद्योग खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले में कोई बड़ा कारखाना खोलने का प्राविधान नहीं है । सहकारी क्षेत्र में कायमगंज में एक चीनी मिल खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र भेज दिया गया है । यह प्रार्थना-पत्र अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । निजी क्षेत्र के अन्तर्गत किसी उद्योगपति ने उक्त जिले में कारखाना खोलने के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है ।

*८७-८९--श्री रघुनाथसिंह--

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९०--श्री गणेशचन्द्र काछी--

[हटा दिया गया ।]

२० सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ५ के उत्तर का शोधन

*९१--श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री दिनांक २६ सितम्बर, १९६३ में नत्थी (ख) के संशोधित उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने वाले अधिकारी ने प्रार्थी से भी पूछ-ताछ की थी ? यदि हां, तो उसका बयान तथा प्रमाण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं, जांच अधिकारी के प्रयत्न के बावजूद भी प्रार्थी उनको न मिल सका । इसी कारण प्रार्थी से पूछ-ताछ नहीं हो सकी और न उनका कोई बयान ही लिया जा सका ।

अनुसूचित घोषित आदिम जातियां

*९२--श्री रामप्यारे--

क्या समाज कल्याण मंत्री दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ८६ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कितनी आदिम जातियों को अनुसूचित घोषित करने के लिये भारत सरकार से सिफारिश की है ?

डाक्टर सीताराम--

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २८५ पर)

*९३--श्री रामप्यारे--

क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार ने (१) गोंड, (२) खरवार, (३) पनिका, (४) पठारी, (५) भुइयां, (६) मुईहार कौल, (८) अगरिया, (९) घसिया, (१०) कोरवा, (११) बैगा, (१२) चेरो, (१३) धांगर आदिम जातियों से केवल ६ जातियों के लिये ही सिफारिश की है और शेष की नहीं, जब कि वे आदिम हैं तथा दूसरे प्रदेशों में अनुसूचित आदिमजाति स्वीकृत की गयी हैं ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं । १३ जातियों में से ८ जातियों के लिये सिफारिश की गई है न कि ६ जातियों के लिये ।

*९४—श्री रामप्यारे—

क्या सरकार जिन जातियों की सिफारिश अनुसूचित आदिम घोषित करने के लिये अभी तक नहीं की गयी है उन जातियों की भी सिफारिश करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सीताराम—

अभी कोई विचार नहीं है ।

कालीन उद्योग अनुदान

*९५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालीन उद्योग सहकारी समिति, ज्ञानपुर, भदोही, वाराणसी तथा कछवां, मिर्जापुर और कालीन उद्योग फेडरेशन, भदोही, वाराणसी को चालू और पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितना रुपया अनुदान, कर्ज तथा और दूसरे मदों में दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कालीन उद्योग सहकारी समिति ज्ञानपुर, भदोही, वाराणसी तथा कछवां, मिर्जापुर और कालीन उद्योग फेडरेशन, भदोही, वाराणसी को चालू वितीय वर्ष तथा वितीय वर्ष १९६२-६३ में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है । इन समितियों को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में निम्नलिखित रुपया अनुदान दिया गया है :

	रु०
१—कालीन उद्योग सहकारी समिति, ज्ञानपुर	२४,९००
२—कालीन उद्योग सहकारी समिति, भदोही (वाराणसी) ..	२४,९००
३—कालीन उद्योग सहकारी समिति, कछवां (मिर्जापुर) ..	२४,९००
४—कालीन उद्योग फेडरेशन, भदोही (वाराणसी)	२२,४००

आनन्दराज, एस० डी० एम०, बांदा के विरुद्ध सुरक्षा कोष सम्बन्धी जांच

*९६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें किरण महाविद्यालय, बांदा में हुई १८ जुलाई, १९६३ को सभी राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित मीटिंग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें एस० डी० एम०, आनन्दराज, बांदा के विरुद्ध सुरक्षा कोष के धन में की गयी धांधली की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । जिलाधीश, बांदा द्वारा जांच हो रही है ।

*९७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सम्बन्ध में ही १७ जुलाई, १९६३ को भी मतोलासिंह, एम० एल० ए० के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल, जिलाधीश, बांदा से मिला था ? यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के बताये गये तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । जांच हो रही है ।

*९८—श्री शिवनाथसिंह—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पवई थाने में नकबजनी, डकैती

*९९—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १३ १४ सितम्बर, १९६३ के बीच की रात को आजमगढ़ जिले के पवई थाने के अन्तर्गत ओरिल गांव में किसी व्यक्ति के घर डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस की जांच से डकैती की घटना का होना प्रमाणित नहीं हुआ ।

*१००—श्री दौलतलाल—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, से सितम्बर, १९६३ तक पवई थाने के अन्तर्गत कितनी डकैती,नकबजनी की घटनायें हुयीं और उनमें से कितनी घटनाओं का पुलिस ने चालान किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में केवल एक डकैती तथा ९ नकबजनी की घटनायें हुईं । डकैती का मामला चालान किया जा चुका है और न्यायालय के विचाराधीन है । नकबजनी के केवल एक मामले में अभियुक्त का पता चल सका और उसके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में चल रहा है ।

*१०१—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सहकारी चीनी मिलें

*१०२—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किन-किन जिलों में किन-किन स्थानों पर सहकारी चीनी मिलों के खोलने का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक प्रदेश में सहकारी चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में कोई लाइसेन्स केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

* १०३—श्री भीमा प्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चीनी मिलें कब से गन्ना पेरने का काम प्रारम्भ करेंगी और प्रतिदिन की पेराई की क्षमता क्या होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

* १०४—श्री भीमा प्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सहकारी चीनी मिलों में सरकार का अलग-अलग क्या हिस्सा होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी यह प्रश्न भी नहीं उठता ।

बांदा जिले में कत्ल व डकैतियां

*१०५—श्री ब्रजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, १९६३ ई० में कितने कत्ल हुये तथा डाके पड़े ह ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना इस प्रकार है :

माह	कत्ल	डकैती
जुलाई	६	१
अगस्त	६	२
सितम्बर	३	१

*१०६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें रोकने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये आवश्यकतानुसार (Preventive Sections) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

राजकाज की भाषा

*१०७—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास केन्द्रीय मंत्रालय से कोई आदेश या सुझाव आया है कि १९६५ के पश्चात् भी अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाये रखने के लिये एक विधेयक पारित किया जाये ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश या सुझाव की प्रतिलिपि आदरणीय सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राजकाज की भाषा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई आदेश अथवा सुझाव राज्य सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामनगर थाने में हरिजन की हत्या

*१०८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला के अन्तर्गत ग्राम हबीबपुर, थाना रामनगर में सितम्बर, सन् १९६३ के प्रथम सप्ताह में किसी हरिजन की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना पर प्रकाश डालेगी और यह भी बतायेंगी कि पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । सितम्बर ५-६, १९६३ की रात को ग्राम हबीबपुर में एक हरिजन की हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में थाना रामनगर की पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और एक अन्य अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । तीनों अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है और अब मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है ।

रामनगर थाने में विभिन्न अपराध

*१०९—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६३ से सितम्बर, १९६३ तक बाराबंकी जिले के थाना रामनगर में प्रत्येक तिमाही में कितनी कत्ल, डकैती, राहजनी और चोरी हुई तथा पुलिस कितने मामलों में मुलजिमों का पता लगाने में कामयाब हुई, कितने मुकदमे अदालत में भेजे गये और कितने मुकदमे सजायाब हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ २८६ पर)

बाराबंकी जिले में लघु उद्योग

*११०—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला में १९६२–६३ वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कौन-कौन से लघु उद्योग खोले गये, सरकार की ओर से कितनी-कितनी सहायता दी गई और उसमें से कौन-कौन से उद्योग प्रगति पर है और कौन-कौन से बन्द हो गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९६२–६३ में बाराबंकी जिले के प्रत्येक विकास खंड में खोले गये लघु उद्योगों की तथा सरकार द्वारा दी गई सहायता की। सूचना संलग्न परिशिष्ठ "अ" और "ब" में दी गई है। केवल फल संरक्षण तथा मछली कैनिंग उद्योगों को छोड़कर शेष सभी सहायता-प्राप्त उद्योग प्रगति पर हैं।

*१११–११२—श्री लखीसिंह—

[६ ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १२३–१२४ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

*११३—श्री गंगाप्रसादसिंह—

[हटा दिया गया।]

*११४—श्री बालोजी अग्रवाल—

[६३ मंगलावार के लिए प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में कत्ल व डकैतियां

*११५—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में सन् १९६१ जनवरी माह से लेकर सितम्बर, १९६३ के अन्त तक पृथक-पृथक वर्षों में प्रत्येक पुलिस थाने के अन्तर्गत कितनी-कितनी डकैतियां और कत्ल हुये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २८७–२८८ पर)

विसंडा थाने में श्री शिवलोचनप्रसाद की रिपोर्ट

*११६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख १५ सितम्बर, १९६३ को ११ बजे दिन में ग्राम कुर्रही, थाना विसंडा, जिला बांदा में पं० शिवलोचन प्रसाद, आत्मज पं० शिवनाथ प्रसाद कांग्रेस कार्यकर्त्ता तथा मंडल ओरन के पदाधिकारी को गुंडों ने मारा पीटा है ? यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वादी श्री शिवलोचन प्रसाद, पुत्र श्री शिवनाथ प्रसाद ने थाने में यह सूचना दी कि दिनांक १५ सितम्बर, १९६३ को कुछ व्यक्तियों ने उन्हें थप्पड़, घूंसे व बन्दूक के कुंदे से मारा। इस सूचना पर धारा १४७/१४८/४५२/३२३ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है। विशेष व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

---

* छापी नहीं गई।

*११७–११९—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

[हटा दिये गये ।]

*१२०–१२१—श्री झारखण्डेराय—

[हटा दिये गये ।[

चोरबाजारी, भ्रष्टाचार

*१२२—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि इस राज्य के जिलों के अधिकारियों को किसी प्रकार की यह गुप्त आज्ञा दी गई है कि वे चोरबाजारी करने वाले व भ्रष्टाचारी व्यापारियों के विरुद्ध भारत रक्षा कानून का प्रयोग कड़ाई के साथ न करें ? यदि हां, तो ऐसा आदेश क्यों दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया । बल्कि आदेश यह दिये गये हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तेजी से और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ।

बंथरा निवासी, जनकनारायण का कत्ल

*१२३—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी अक्तूबर, सन् १९६३ ई० के प्रथम सप्ताह में ग्राम बन्थरा, थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर के किसी व्यक्ति का कत्ल दिन डूबने के पूर्व ही गांव में कर दिया गया और उस की मां को कातिलों ने चोट पहुंचाकर कत्ल किये हुये व्यक्ति की लाश को सवारी में ६–७ सात कोस दूर जमुना या किसी नदी में डालकर गायब कर और सूचना पाकर भी घटनास्थल से केवल ४ मील दूर स्थित थाना की पुलिस कातिलों के हाथ से मकतूल की लाश को छीनने में असफल रही ? इस हत्या की प्रथम रिपोर्ट और मजरूह व्यक्तियों की डाक्टरी रिपोर्ट तथा अब तक तफतीश का संक्षिप्त विवरण क्या मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम बन्थरा अन्तर्गत थाना जहानाबाद , फतेहपुर में दिनांक ४ अक्तूबर, १९६३ को जनक नारायण नामक व्यक्ति की हत्या ४ बजे शाम को हुई । कातिलों ने उक्त व्यक्ति की मां को चोट पहुंचाकर मृतक की लाश को उनसे छीन लिया । पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व ही कातिलों ने लाश हटा दी थी । अत : मृतक की लाश को कातिलों के हाथ से पुलिस द्वारा छीनने व असफल रहने का प्रश्न नहीं उठता । अब तक की जांच से यह निश्चय नहीं हो सका है कि लाश को किस तरफ ल जाया गया व गायब किया गया । मामले में जांच की जा रही है ।

उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतक की मां की डाक्टरी रिपोर्ट की प्रतिलिपियां तथा अब तक की तफतीश का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये मत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २८९–२९२ पर)

सूचना विभाग की पत्र-व्यवहार भाषा

*१२४—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ने सन् १९६२–६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भेजे हैं ? उसमें हिन्दी के कितने हैं तथा अंग्रेजी के कितने हैं ?

*१२५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग लखनऊ में पूरे प्रांत से १९६२-६३ में कितने पत्र हिन्दी में आये और उनमें कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत सरकार को भेजे गये व अन्य विभागों से प्राप्त हिन्दी व अंग्रेजी पत्रों की सूचना अलग-अलग नहीं रखी जाती। अत : वांछित सूचना के एकत्रित करने में जितना समय, श्रम तथा धन व्यय होगा वह उसकी उपयोगिता के अनुरूप नहीं होगा।

*१२६—श्री शारदानन्द—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर जो अंग्रेजी में दिये गये हैं उनका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर साधारणतया हिन्दी में ही दिया जाता है।

विद्युत् करघे

*१२७—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खादी उद्योग आयोग के अन्तर्गत कहां पर कितने विद्युत् करघे चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

खादी आयोग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कोई विद्युत करघे नहीं लगाए गए हैं।

*१२८—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में कितने और विद्युत करघे उक्त जिलों में चलाने की योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शून्य।

*१२९—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

[७वें गुरुवारे के लिये स्थगित किया गया।]

बाल अपराधियों का भागना, समाज कल्याण संस्थाओं के लिए खाद्य पदार्थ पूर्ति का ठेका

*१३०—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालक अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत स्थापित अनुमोदन विद्यालय, लखनऊ से अधीक्षक की असावधानी के कारण बहुत बड़ी संख्या में बाल अपराधी भाग गये हैं और क्या यह सत्य है कि भागने वाले बच्चों ने बाल न्यायालय के सम्मुख यह बयान किया है कि उन्हें स्वीकृत मात्रा के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—

यह सही है कि बाल अपराधी भागे, समय-समय पर भागने वालों की कुल संख्या २४ है। पर भागने का कारण अधीक्षक की असावधानी नहीं थी और न सभी भागने वालों ने न्यायालय के सामने बयान किया कि उन्हें कम खाना मिलता था। उनमें से केवल दो ने ऐसा बयान किया।

*१३१—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि बाबू खां एन्ड संस नामक फर्म को खाद्य पदार्थ पूर्ति का ठेका दिया गया है परन्तु इस नाम की कोई गल्ले की फर्म लखनऊ में नहीं है ? अगर है, तो कहां है ?

डाक्टर सीताराम—

यह सही है कि बाबू खां एन्ड संस नामक फर्म को खाद्य पदार्थ पूर्ति का ठेका दिया गया है। पर यह गलत है कि इस नाम की फर्म लखनऊ में नहीं है। यह फर्म महेश प्रसाद स्ट्रीट, मौलवीगंज, लखनऊ में स्थित है।

*१३२—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत लखनऊ में चलने वाली विभिन्न संस्थाओं में एक ही फर्म का ठेका है, पर खाद्य पदार्थों का दर विभिन्न संस्थाओं के लिये अलग-अलग है ? अगर यह सही है, तो उपरोक्त दर के भिन्न होने के क्या कारण हैं, और इसमें सरकार को कितने रुपये प्रति माह की हानि हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं, ठेकेदार अलग-अलग हैं।

गोंडा जिले में मिठाईलाल डाकू की गिरफ्तारी

*१३३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के कुख्यात डाकू, श्री मिठाईलाल अक्तूबर सन् १९६३ में गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कितने चोरी, राहजनी, डकैती और कत्ल में डाकू मिठाईलाल के नाम रिपोर्ट है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। डाकू मिठाईलाल १४ अक्तूबर, १९६३ को गिरफ्तार किया गया। चोरी, राहजनी, डकैती व कत्ल के कुल मामलों को मिलाकर उसके विरुद्ध ७ अपराधों की रिपोर्ट है।

*१३४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि उपरोक्त कुख्यात दस्यु की गिरफ्तारी के लिये इनाम की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कितने धन की घोषणा हुई है और किस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम, पद और स्थान क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। उसकी गिरफ्तारी के लिये ५०० रु० के इनाम की घोषणा की गई थी। गिरफ्तारी सब-इंन्सपेक्टर श्री नन्दकिशोर सिंह तथा कांस्टेबिल सर्वश्री कालिकाप्रसाद व शिवराजसिंह ने की जो थाना कोतवाली गोंडा पर तैनात हैं।

*१३५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को समाज में उत्साहित करके पद उन्नति करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा कोई विचार नहीं है।

रायबरेली जिले में होम गार्ड्स पदाधिकारियों का चुनाव

*१३६—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में होमगार्ड्स के जो पदाधिकारी चुने गये हैं उनके चुनाव किस अधिकारी ने किये हैं और किस आधार पर चुनाव किये गये हैं ? क्या यह सही है कि किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को ही वह जगहें दी गई हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

रायबरेली जिले में होम गार्ड्स में बटालियन कमान्डेन्ट, सेकन्ड-इन-कमान्ड तथा बटालियन एडजूटेन्ट के पदों पर नियुक्ति के लिये जिलाधीश द्वारा प्रार्थना-पत्र उनकी संस्तुति के साथ निदेशक, नागरिक सुरक्षा को भेजे गये, निदेशक की स्वीकृति के पश्चात् इन पदों पर नियुक्तियां की गयीं। कम्पनी कमान्डर व कम्पनी सेकन्ड-इन-कमान्ड की नियुक्तियां जिलाधीश द्वारा की गईं। इन पदों पर चुनाव में अवकाश प्राप्त सैनिकों तथा अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई। वांछित योग्यता वाले व्यक्तियों के उपलब्ध न होने पर एन० सी० सी०, प्रान्तीय रक्षक दल तथा स्काउटिंग आदि में प्रशिक्षित व्यक्तियों में से चुनाव किया गया। यह असत्य है कि किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को ही जगहें दी गयीं।

एटा जिले में हाकिम अदालत के देर में आने की शिकायत

*१३७—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में अदालत माल व फौजदारी के आफिसर समय पर नहीं आते हैं और पेशकार तारीखें दे देते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस देर से आने की प्रथा को समाप्त करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

एटा जिले में विभिन्न अपराध

*१३८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला एटा में कितने कत्ल, डकैती व चोरी, जनवरी, १६६३ से ३१ अक्तूबर, १६६३ तक हुए और कितनों की तहकीकात की और कितने मुकदमे चलाये गये और सफल हुए?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २६३ पर)

*१३६—श्री दीपनारायणसिंह, रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[हटा दिया गया।]

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातीय प्रतिनिधित्व

*१४०—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की कौन-कौन सिफारिशों को मान्यता अब तक दी है?

डाक्टर सीताराम—

सरकार ने मुख्यतः ८ सिफारिशों को स्वीकार किया है जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २६४ पर)

*१४१—श्री गनेशीलाल चौधरी—

जिन सिफारिशों को अब तक मान्यता दी है उनकी प्रगति अक्तूबर, १६६३ तक क्या है?

डाक्टर सीताराम—

कमेटी की सिफारिश संख्या २४ के आधार पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है। यह अधिकारी नियुक्ति विभाग के अधीन कार्य करेगा। उक्त अधिकारी की नियुक्ति हो गयी है और अब सिफारिशों को क्रियात्मक रूप देने की अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

*१४२—श्री शारदाभक्तसिंह, श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री हिम्मत सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४३-१४४—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव के चौकीदार लूदुर का प्रार्थना-पत्र

*१४५—श्री श्यामलाल तथा श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मन्त्री को पता है कि सन् १९६१-६२ तक के दरमियान जिला उन्नाव प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (Training-cum Production Centre) में हजारों रुपयों का गबन हुआ है जिस की मुखालिफत करने पर चौकीदार लूदुर को सन् १९६२ में १० सितम्बर, को मुअत्तल कर दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी नहीं।

(ख) चौकीदार श्री लूदुर की नौकरी सहायक अधीक्षक उत्पादन के साथ अनुचित व्यवहार करने के कारण समाप्त की गयी।

*१४६—श्री श्यामलाल तथा श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार बतायेगी कि लूदुर चौकीदार का एक पिटीशन इसी सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को गत १५ अक्तूबर, १९६३ को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या अमल हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां।

(ख) यह पिटीशन सरकार के विचाराधीन है।

पुलिस अधीक्षक, बस्ती को जेठू चमार की कथित हत्या के सम्बन्ध में पत्र

*१४७—श्री श्यामलाल—

क्या मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता का ९ सितम्बर, १९६३ का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गांव बैसिया कलां, थाना कलवारी, जिला बस्ती के एक जेठू चमार के कत्ल होने की आशंका की गयी है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। मुख्य मन्त्री जी को इस प्रकार का कोई शिकायती पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया। लेकिन जेठू चमार की स्त्री ने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बस्ती को दिया था जिसमें यह आशंका की गयी थी कि कुछ लोगों ने जेठू चमार को मार डाला है तथा लाश को गायब कर दिया है। जांच से यह आरोप गलत पाये गये। जेठू चमार अब भी जिन्दा है।

*१४८-१४९—श्री विजयसिंह—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्री जी० पी० श्रीवास्तव, सिटी मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१५०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी० पी० श्रीवास्तव, सिटी मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर बार-बार स्थानान्तरित किये जाने के बावजूद लगभग ५ वर्षों से गोरखपुर में ही क्यों पड़े हुए हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनका स्थानान्तरण आगरा को हो गया है। वे गोरखपुर में केवल २ वर्ष और २ माह रहे।

*१५१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी हाल में प्राप्त शिकायत में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे, किन्तु वे निराधार पाये गये हैं।

पीलीभीत जिले में मारे गये डाकू

*१५२—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पीलीभीत जिले के समस्त थानों में सन् १९६१ से अब तक कुल कितने और कौन-कौन डकैत जनता तथा पुलिस द्वारा मारे गये और क्या मारने वाले को कोई पुरस्कार भी दिया गया ? यदि हां, तो किस को कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला पीलीभीत के समस्त थानों के अंतर्गत सन् १९६१ से ९.१२.६३ तक कुल ८ डकैत पुलिस द्वारा तथा एक डकैत स्वयं दल के डकैतों द्वारा मारा गया। इस अवधि में जनता द्वारा कोई डकैत नहीं मारा गया। मारे गये डकैतों के नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अभी तक किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया है। केवल एक मामले में पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। दल के डकैतों द्वारा मारे गये डकैत के मामले में पुरस्कार देने का प्रश्न नहीं उठता। शेष मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २९५ पर)

*१५३—१५४—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१५५—श्री ऊदल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

औरास थाने में वृद्धा की हत्या

*१५६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग दस माह हुए ग्राम रामपुर गढ़ौवा, थाना औरास, जिला उन्नाव में एक वृद्धा स्त्री का कत्ल हो गया था और उसकी लाश कुछ समय बीतने पर नहर में मिली थी ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। ग्राम रामपुर गढ़ेवा, थाना औरास, जिला उन्नाव में एक वृद्धा स्त्री का कत्ल हुआ था जिसकी लाश दिनांक ३१-१-६३ को एक नहर में मिली।

इस सम्बन्ध में धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना औरास में एक मुकदमा कायम किया गया। इस मुकदमें की जांच की गई किन्तु कोई सबूत न मिलने के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*१५७-१५६—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

*१६०—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ श्रेणी के अमले के कर्मचारियों को जो हाई स्कूल पास हैं उनको तृतीय श्रेणी में (क्लर्क) के पद पर तरक्की के बारे में क्या कायदे हैं? अगर इन कर्मचारियों की तरक्की के बारे में कोई कायदा नहीं है, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति क्लर्क के पदों पर नहीं होती है और इसलिये इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं हैं। हाई स्कूल पास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की पदोन्नति क्लर्क के पद पर नहीं होती है। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी का चपरासी तृतीय श्रेणी के लिये शैक्षिक व अन्य योग्यता रखता है तो वह सीधी भरती के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का क्लर्क के पदों पर पदोन्नति का प्राविधान इसलिये नहीं है क्योंकि उनके अनुभव का लाभ क्लर्क के पदों पर नहीं उठाया जा सकता।

*१६१—श्री बसन्त सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१६२—श्री बसन्तसिंह—

[हटा दिया गया।]

*१६३—श्री नाथूराम शिक्षक—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१६४—श्री शिवनाथसिंह—

[हटा दिया गया।]

*१६५—श्री रणबहादुरसिंह तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर के कर्मचारी

*१६६—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि १५ जुलाई, सन् १६६३ से अब तक कितने कर्मचारी कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर को छोड़ कर चले गये और कितनों को नौकरी से निकाल दिया गया? उसके क्या कारण हैं और कितना रुपया उनका फैक्ट्री की तरफ बकाया रह गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार निर्दिष्ट तारीख से दिसम्बर ९, १९६३ तक इस फैक्ट्री के जितने कर्मचारी जिन कारणों से विघटित हुए और त्याग-पत्र दिया उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इन कर्मचारियों को फैक्ट्री ने नियमानुसार उनका सारा रुपया भुगतान कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ २९६ पर)

*१६७-१६८—श्री ऊदल —

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

अल्मूनियम फैक्टरी को सुरक्षित स्थान घोषित करने पर विचार

*१६९—श्री रामप्यारे—

क्या सरकार अल्यूमिनियम फैक्टरी (रेनकूट, मिर्जापुर) क्षेत्र को, जब कि यहां पर दो महत्वपूर्ण उद्योग, अल्युमिनियम फैक्टरी तथा रिहन्द पावर जेनरेशन है, भारतीय सुरक्षा कानून (डी० आई० आर०) के अन्तर्गत (सुरक्षित) प्रोटेक्टेड घोषित करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार तत्काल सुरक्षा के समुचित कदम उठाने का विचार करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) अल्मुनियम फैक्टरी को भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत सुरक्षित स्थान घोषित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) रिहन्द बांध क्षेत्र को इन्डियन आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट के अन्तर्गत २३ जनवरी, १९६० को ही सुरक्षित स्थान घोषित किया जा चुका है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में अमरीकी मशीन के स्थान पर पत्थर

*१७०—कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, १९६३ में मेडिकल कालेज, लखनऊ में कोई मशीन अमरीका से मंगाई गई थी जिसकी पैकिंग, कालेज में खोले जाने पर मशीन के स्थान पर पत्थर भरे हुये मिले? यदि हां, तो घटना किस प्रकार है तथा उक्त मामिले में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। अमरीका की रौकफैलर फाउन्डेशन द्वारा मेडिकल कालेज, लखनऊ के फार्मेकालोजी डिपार्टमेंट को प्रदत्त एक २६,००० रु० की कीमत के यंत्र का पार्सल २७ जुलाई, १९६३ को मेडिकल कालेज में खोला गया। उसमें यंत्र के बजाय पत्थर निकले। मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच जारी है।

कानपुर में कुर्कशुदा कार की पुलिस द्वारा बिक्री, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कार्यवाही

*१७१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) —

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का १९ फरवरी, १९६३ का एक पत्र एक कुर्क की गई नई फियट कार को कानपुर के पुलिस अधिकारियों द्वारा एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को केवल पन्द्रह सौ रुपये में बेच देने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का वितरण बताने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। प्रश्नकर्त्ता का १९-२-६३ का एक पत्र इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था।

मामला अभी विचाराधीन है।

*१७२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में लड़कियों को छेड़ने, छुराबाजी आदि घटनाओं की वृद्धि की सूचना विशेष रूप से किदवईनगर, दक्षिणपुरवा आदि की सरकार को हाल में मिली है? यदि हां, तो वहां पर शांति व्यवस्था को नियमित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

जी हां, ऐसी सूचना मिली है। कानपुर नगर के समस्त पुलिस कर्मचारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं की सूचना मिलते ही मुकदमा कायम किया जाय और अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

चालू वर्ष में ३१ अक्तूबर तक १२७ मुकदमे लड़कियों से छेड़छाड़ करने के विषय में धारा २६४ भारतीय दंड विधान में कायम किये गये और १६८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। सभी ऐसे स्थानों पर जहां इन घटनाओं के होने की रिपोर्ट मिलती है या सम्भावना पाई जाती है सादे कपड़ों में एवं वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी आवश्यकतानुसार नियुक्त किये जाते हैं जो सम्बन्धित व्यक्तियों को नजर आते ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के लिये रेडियो पैट्रोल कारें, घुड़सवार पुलिस तथा एन्टी गुन्डा स्क्वायड नियुक्त किये गये हैं जो गश्त किया करते हैं। नगर पुलिस कप्तान और क्षेत्रीय कोतवाल भी समय-समय पर वर्दी में अथवा सादे कपड़ों में स्वयं जाकर ऐसे स्थानों का निरीक्षण करते हैं जहां से इस प्रकार की शिकायतें अधिक आती हैं और अन्य पुलिस कर्मचारियों को उचित आदेश देते हैं।

विशेषकर छुरेबाजी की घटनाओं के रोकने के लिये कानपुर नगर के सब थानों को स्थायी आदेश हैं कि धारा ३२४ भारतीय दण्ड विधान (छुरेबाजी) के हर केस की तफसीश की जाय जिससे अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जा सके। इन स्थानों पर जहां छूरेबाजी की घटनायें अधिक होती हैं वर्दी में अथवा सादे कपड़ों में पुलिस लगा दी जाती है और रेडियो पैट्रोल कारें भी गश्त करती हैं। दो पार्टियों में तनाव होने पर धारा १५१ जाब्ता फौजदारी अथवा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

नैनी इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में कारखाने

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कारखानों की संख्या क्या है तथा इन कारखानों में कौन-कौन सा सामान तैयार होता है तथा पांच वर्षों में इन कारखानों ने कितनी प्रगति की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि नैनी इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में पांच वर्षों में कितने कारखाने नये खोले गये और कितने बन्द हुये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

विदेशों से सामान आयात करने का प्रबन्ध

३—श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या मुख्य मन्त्री कृपया दिनांक १७ अक्तूबर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९–३१ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि विदेशों से सामान आयात करने का कौनसा माध्यम है और वह माध्यम किस-किस आधार पर प्रदेश को सामान देता है और वस्तुओं के मूल्य कैसे तय किये जाते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विदेशों से सामान आयात करने का प्रबन्ध डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज ऐन्ड डिस्पोजल्स, भारत सरकार (Director General of Supplies and Disposals) के द्वारा किया जाता है। डाइरेक्टर जनरल यह प्रबन्ध मूल्य, स्पेसीफिकेशन (Specification) और विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुये करता है।

दारुलशफा 'बी' ब्लाक से छात्रा की बरामदगी

४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि गत १९ अक्तूबर को कोई छात्रा दारुलशफा स्थित किसी विधायक के कमरे से उड़ाका पुलिस दस्ते द्वारा उद्धार की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनों का चालान हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

जी हां। १८–१९ अक्तूबर, १९६३ की रात को एक छात्रा दारुलशफा "बी" ब्लाक से उड़ाका पुलिस दस्ता द्वारा ले जायी गयी। जांच से मामले में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया, अतः किसी के चालान का प्रश्न नहीं उठता।

नकहा विकास खण्ड में लकड़बग्घों का आतंक

५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी जनपद के नकहा विकास खंड में २ मास के भीतर ही ५० बच्चों को लकड़बग्घे चहार दीवारी को फाँद कर उठा ले गये हैं तथा इसी प्रकार जनपद के और ग्रामों में भी जनता भय-ग्रस्त एवं प्रभावित है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त घटनाओं को रोकने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

२ मास के भीतर नकहा विकास खंड में लकड़बग्घे करीब १४ बच्चों को उठा कर ले गये। ज्यादातर बच्चों को लोगों के दरवाजों से ले गये लेकिन कुछ चहार दीवारी फाँद कर उठा ले गये। नकहा की पुलिस लकड़बग्घों को मारने की कोशिश कर रही है।

पुलिस विभाग के लिपिकों का वेतन

६—श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के लिपिकों का वेतन-क्रम क्या कलेक्टरी, शिक्षा आदि विभागों के वेतन-क्रम से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

पुलिस विभाग के लिपिकों का वेतन-क्रम कलेक्टरी के लिपिकों के वेतन-क्रम से कुछ कम है किन्तु कई और विभागों के लिपिकों से अधिक भी है। यह वेतन-क्रम सन् १९४७ की पे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासकीय आवश्यकताओं को देखते हुये निर्धारित किये गये हैं।

७–८—श्री कल्पनार्थसिंह —

[१६ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या ९७–९८ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

९—श्री रघुनाथसिंह—

[हटा दिया गया।]

बाराबंकी जिले में सुरक्षा कोष के लिए कथित वसूली

१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में भारत सेवक समाज की ओर से सुरक्षा सहायता कोष एकत्र करने की रसीद बुकें छपवाकर धन वसूल किया गया है? यदि हां, तो कितनी रसीदें छपीं और कितना धन वसूल किया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त वसूल धन सरकारी रक्षा कोष फण्ड में जमा कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना और कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि गैर सरकारी रसीदों पर सुरक्षा कोष न वसूलने के बावजूद भी यह रसीद बुकें छपीं जिन पर कोई नम्बर नहीं हैं और उन पर धन वसूला गया। यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कार्यालयों के लिए आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट

१३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार विधान सभा के २६ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि जिन नौ जिलों में आफिस सुपरिन्टेंडेंट अब तक नहीं पहुंचे हैं उनमें कब तक पहुंचा दिये जायेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन पदों को तुरन्त भरने के लिये पुलिस महा निरीक्षक को आदेश दिया जा चुका है।

कानपुर जिले में सुरक्षा कोष संबंधी रसीदें

१४—श्री शिवनाथसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में सुरक्षा कोष की कुल कितनी व किस-किस नम्बर की रसीद बुकें दी गयीं? उनमें से कितनी कटी व कितनी सादी बाकी बची हैं, कुल कितना रुपया वसूल किया गया है और वह सब रुपया सुरक्षा कोष में अब तक जमा हुआ या नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कानपुर जिला के अन्तर्गत सुरक्षा कोष की जो रसीद बुकें तहसीलों को दी गयी हैं उनका विवरण संलग्न है।

कुल कितनी रसीदें कटीं व कितनी सादी बाकी बची हैं यह कहना तभी सम्भव होगा जब सम्पूर्ण रसीद बहियां वापस आ जावें ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ २९७ पर)

१५—श्री शिवनाथसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सुरक्षा कोष की कितनी रसीद बुकें गायब हैं और उनका वसूल किया हुआ रुपया अब तक जमा हुआ या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सुरक्षा कोष की कितनी रसीद बुकें गायब हैं या नहीं गायब हैं यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

बाराबंकी जिले में अपराधों की जांच

१६—श्री नत्थाराम रावत—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६३ से २५ सितम्बर, १९६३ तक बाराबंकी जिले में तिथि तथा थानेवार कितने कत्ल, डकैती, चोरी, फौजदारी, राहजनी एवं मोटर दुर्घटनायें हुयीं ? इनमें से कितने मामले ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक रिपोर्ट में अदम तफतीश लिखकर मामला खत्म कर दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न† तालिका में दी गई है ।

कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ में हरिजन छात्रों से फीस

१७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ की कक्षा १२ के हरिजन छात्रों को सन् १९६२–६३ के वर्ष में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा फीस की छूट देने पर भी वहां के शिक्षा अधिकारियों ने सरकार से और उन छात्रों से दोहरी फीस वसूल की है? यदि हां, तो किन-किन से और कब से कब तक की फीस वसूल की है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ २९८ पर)

१८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालेज की कक्षा १२ के हरिजन छात्रों द्वारा अपनी फीस वापस पाने के लिये कालेज के अधिकारियों और हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारियों की सेवा में प्रार्थना-पत्र देने पर भी उनकी गत वर्ष की फीस अब तक वापस न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

फीस कालेज द्वारा वापस की जानी है और कालेज के अधिकारियों ने कार्य की अधिकता के कारण वापसी में विलम्ब होना बताया है और आश्वासन दिया है कि फीस शीघ्र ही वापस कर दी जायगी ।

---

†छापी नहीं गई ।

१९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानन्द विद्या मन्दिर पाठशाला, लखनऊ के एक हरिजन छात्र को २ फरवरी, १९६२ को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ से ४८ रुपये अन्यवर्तीय सहायता मंजूर हुई थी ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उक्त धन उसे अब तक न देने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम —

जी नहीं।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

जिलाधीश, जौनपुर को हरिजनों के साथ ज्यादती के सम्बन्ध में पत्र

२०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत २६ जुलाई, १९६३ को जौनपुर के जिलाधीश को जौनपुर जिला के संसद सदस्य, श्री गणपतिराम , जौनपुर जिला कम्यूनिस्ट पार्टी के मंत्री, श्री राममूर्तिसिंह और जिला के विधायक, श्री माताप्रसादसिंह ने एक पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम कूही चन्दापुर, थाना बदलापुर के हरिजनों के साथ स्थानीय कुछ लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं और उनके भयवश हरिजन ग्राम छोड़कर भाग गये हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। दिनांक २६ जुलाई, १९६३ को संसद सदस्य, श्री गणपतिराम, जौनपुर जिला कम्यूनिस्ट पार्टी के मंत्री, श्री राममूर्तिसिंह तथा जिले के विधायक, श्री माताप्रसाद ने जिलाधीश जौनपुर को इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत किया था। जांच से हरिजनों द्वारा भयवश गांव छोड़ देने की शिकायत सही नहीं पाई गई। विरोधी पार्टी द्वारा हरिजनों के साथ की गई उदंडता के संबंध में उनके विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

२१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव की ही हरिजन महिलायें श्रीमती सूबा, रम्पा, सोनवरसा आदि ने २६ जुलाई, १९६२ को कोतवाली जौनपुर में एक रिपोर्ट लिखाई है ? यदि हां, तो किस संबंध में तथा किन धाराओं में और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। इन हरिजन-महिलाओं ने कोतवाली जौनपुर में चित्रसेन आदि के विरुद्ध १४७, ३२३/४५२ व ३७९ भा० द० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई। चूंकि घटनास्थल थाना बदलापुर के अधिकार क्षेत्र में है अतः कागजात वहां आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे गये हैं। उक्त थाने की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

२२—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

२३—श्री जसरामसिंह—

[हटा दिया गया।]

बुलन्दशहर जिले में अस्पृश्यता निवार्णार्थ व्यय

२४--श्री जसरामसिंह--

जिला बुलन्दशहर में अस्पृश्यता निर्वाणार्थ (कैम्पों को) कितना रुपया सन् १९६१-६२, १९६२-६३ में सरकार द्वारा दिया गया और कहां-कहां किसके द्वारा खर्च किया गया ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२५--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[हटा दिया गया ।]

२६-२८--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सहारनपुर जिले में संवाददाताओं को प्रेस कार्ड, पत्रिकाओं को विज्ञापन

२९--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में कितने पत्रकारों को Accredition Cards जारी किये गये तथा इन मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा-पत्रिकाओं को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कुल छः संवाददाताओं को प्रेस कार्ड जारी किये गये हैं । मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को साधारणतया निम्न सुविधायें प्राप्त हैं--

(१) जिला पत्रकार सम्मेलन में प्रवेश । किन्तु विशेष आयोजनों में केवल आमंत्रित संवाददाताओं को ही सुविधा दी जाती है।

(२) ऐसी सूचना जो मंत्रिगण एवं सरकार के अन्य सदस्य, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ट अधिकारी अपने भ्रमण काल में समय-समय पर देना चाहें, प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार की सुविधा ।

(३) जिला सूचना अधिकारी द्वारा प्रचार सामग्री तथा पत्रकारिता संबंधी अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना ।

मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को पत्र-पत्रिकाओं को कोई सुविधा देने की व्यवस्था नहीं है ।

३०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सूचना मंत्री यह बतायेंगे कि सहारनपुर जिले की किन-किन पत्रिकाओं (weeklies) को सरकारी विज्ञापन इस समय दिये जा रहे हैं और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सहारनपुर जिले के दो साप्ताहिक पत्रों "हिन्दू" तथा "जागरण" को विज्ञापन दिये जा रहे हैं क्योंकि ये साप्ताहिक पत्र विज्ञापन संबंधी नियमों की पूर्ति करते हैं ।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, आगरा की अदालत से रामबाबू को पुलिस द्वारा घसीटना

३१--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या यह सच है कि तारीख ३० सितम्बर, १९६३ को रामबाबू, पुत्र गंगासिंह, साकिन नाला भैरो, थाना छत्ता, आगरा के श्री शम्मनलाल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में

आत्म समर्पण करने आया था और उसने अदालत को यह प्रार्थना पत्र दिया था कि अदालत के बाहर पुलिस लाठियों से लैस होकर उसे पकड़ने खड़ी हुई है और उसका जीवन खतरे में है इसलिए उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सच है कि ३०-९-६३ को राम बाबू पुत्र गंगा सिंह साकिन नाला भैरों थाना छत्ता, जिला आगरा, श्री झम्मन लाल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में आया और उसने मौखिक प्रार्थना की कि उसे हिरासत में ले लिया जावे। मैजिस्ट्रेट महोदय उस समय निर्णय लिखाने में व्यस्त थे। अतः उन्होंने राम बाबू से अदालत के कमरे में एक तरफ बैठने को कह दिया। निर्णय लिखाते दो बज गया और मैजिस्ट्रेट महोदय लंच को उठ गये। राम बाबू ने जब वे अदालत में उपस्थित हुए थे कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, लेकिन जब मैजिस्ट्रेट महोदय लंच को जाने लगे तो राम बाबू के वकील महोदय ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया था जिसपर मैजिस्ट्रेट महोदय ने लंच से लौटने पर आदेश देने को कहा था।

३२—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या यह भी सही है कि उपर्युक्त अदालत ने उस मुल्जिम को जुडीशियल कस्टडी में ले लिया, जब अदालत लंच के लिये उठ गई, तो अदालत के कमरे में हथियारों सहित पुलिस घुस आई और जबरदस्ती खींचकर मुल्जिम को थाने पकड़ कर ले गई और उससे मारपीट किया और पुलिस की इस हरकत से अदालत के कमरे का फरनीचर टूट गया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपरोक्त अदालत ने मौखिक आदेश दिया था कि मुलजिम को अदालत के कमरे में आदेश होने तक बिठा लिया जावे। यह सही है कि पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और मैजिस्ट्रेट महोदय ने लंच से लौटने पर देखा कि आदलत के कठहरा को क्षति पहुंची है। एक आवेदन पत्र मैजिस्ट्रेट महोदय को दिया गया जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राम बाबू को पुलिस अदालत से पीटते हुए ले गई। सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, आगरा जांच कर रहे हैं।

३३—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या यह भी सच है कि इस संबंध में पेशकार का कोई बयान हुआ है ? यदि हां, तो वह बयान क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस संबंध में पेशकार का कोई बयान नहीं हुआ है, लेकिन मैजिस्ट्रेट महोदय ने लंच से लौटने पर कठहरा को टूटा देखकर अपने स्टाफ से पूछताछ की। पेशकार ने इस पर रिपोर्ट किया कि पुलिस रामबाबू को अदालत के कमरे से ले गई है।

आगरे में सुरक्षा कोष के लिए फिल्म स्टार्स शो

३४—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री शिवचरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ सितम्बर, १९६३ को आगरा में सुरक्षा कोष के लिये जो फिल्म स्टार शो किया गया था, उसके संबंध में सरकार की ओर से जिलाधीश, आगरा को कोई आदेश भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। आदेश की प्रतिलिप संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९९ पर)

३५—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री शिवचरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त फिल्म स्टार शो के प्रबन्धक कौन-कौन थे ? उक्त शो से कितनी आय हुई और कितना धन सुरक्षा कोष में प्राप्त हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस फिल्म स्टार शो के प्रबन्धक निम्नलिखित व्यक्ति थे—

(१) श्री एन० करुणेश ।
(२) श्री कल्याणदास जैन मेयर, नगर महापालिका, आगरा ।
(३) श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल, सभापति ।
(४) श्री वीरेन्द्रकुमार एडमिनिस्ट्रेटर क्लर्क शीराज होटल आगरा ।
(५) श्री शिवनारायण जी अग्रवाल ।
(६) श्री फूलसिंह शर्मा "नीरव" ।

अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार १,५२,०२० रु० की आय हुई जिसमें से ५७,३५० रु० सुरक्षा कोष में प्राप्ति हुई है । हिसाब पूर्णरूप से हो जाने पर शेष धनराशि भी सुरक्षा कोष में दे दी जायेगी ।

३६—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री शिवचरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उसने इस शो के हिसाब का आडिट कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कई कारणों से प्रबन्धक अभी हिसाब पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाये । हिसाब जब तक पूर्ण रूप से दाखिल न हो जाये तब तक उसके आडिट का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजीपुर की जीप दुर्घटना में बालक की मृत्यु

३७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि उन्हें ३० मई, १९६२ को गाजीपुर जिला के संसद सदस्य, श्री सरजू पाण्डेय का कोई पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि गाजीपुर के एक वरिष्ट अधिकारी की जीप से दबकर एक लड़के की मृत्यु हो गई, परन्तु पुलिस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कथित घटना से संबंधित श्री सरजू पाण्डेय का ३१ मई, १९६३ का न कि ३० मई, १९६२ का पत्र प्राप्त हुआ था । घटना के संबंध में आवश्यक जांच अभी जारी है जिसका ब्योरा देना जनहित में उचित न होगा ।

पुलिस द्वारा मतौरा ग्राम लूटने की शिकायत

३८—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सितम्बर, १९६३ में गाजीपुर जिला के गहमर थाना के अन्तर्गत ग्राम मतौरा को पुलिस कर्मचारियों ने लूट लिया था, जिसके विरुद्ध जिला कम्यूनिस्ट पार्टी, गाजीपुर ने गृह मंत्री के पास निवेदन-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगस्त, १९६३ में एक प्रार्थना पत्र जिला कम्यूनिस्ट पार्टी के मंत्री से प्राप्त हुआ था जिसमें पुलिस के विरुद्ध ग्राम मतौरा को लूट लेने की शिकायत की गई थी। जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई। वास्तविक घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ३०० पर)

सैदपुर में ताजियों के लिये रास्ता

३९—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के सैदपुर कस्बा में कुछ व्यक्तियों ने ताजिया निकालने के रास्ते पर मकान बना लिया है जिसके विरोध में वहां के मुसलमानो ने सरकार के पास आवेदन पत्र दिया है और उसी संबंध में गाजीपुर के संसद सदस्य श्री सरजू पाण्डेय ने भी ४ जून, और ११ जून, १९६३ को मुख्य मंत्री को पत्र लिखे थे? यदि हां, तो क्या कार्य वाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, कुछ स्थानीय मुसलमानों ने एक आवेदन पत्र सरकार के पास भेजा था। इस संबंध में श्री सरजू पाण्डेय एम० पी० के ४ तथा ११ जून, १९६३ के पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुए थे। इस संबंध में सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई कि रास्ते पर दीवाल खड़ी किये जाने का मामला न्यायालय में चल रहा था। अतः ताजिया दूसरे रास्ते से ले जाने के लिये कहा गया था। पहले तो ताजियादारों ने इसे मान लिया था पर दूसरे दिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। किन्तु अन्त में उन्होंने अधिकारियों द्वारा बताए गए दूसरे मार्ग से ताजिया निकालने की अनुमति मांगी और ताजिया शान्तिपूर्वक निकल गया। यह सूचना श्री सरजू पाण्डेय संसद सदस्य को दे दी गई थी।

४०–४१—श्री बालोजी अग्रवाल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

४२–४३—श्री गिरजाप्रसाद—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

४४—श्री शिवनाथसिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

आगरे में सुरक्षा कोष के लिए "संगीत की मधुर रात" का आयोजन

४५—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा में भारतीय कला संगम द्वारा "संगीत की मधुर रात" का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के नाम पर किया गया था? यदि हां, तो इसके आयोजक कौन थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । इसके आयोजक निम्न सज्जन थे—

१—सरदार अवतार सिंह	.. ..	.. सभापति
२—श्री राम मोहन दुबे	.. ..	.. मंत्री
३—श्री वीरेन्द्र गोस्वामी	.. ..	.. प्रोग्राम मंत्री
४—श्री शान्ति स्वरूप	.. ..	.. कोषाध्यक्ष
५—श्री लक्षमण माकरू	.. ..	.. मेम्बर
६—श्री सुरेन्द्र किशोर	.. ..	.. ,,
७—श्री रमेशचन्द्र	.. ..	.. ,,
८—श्री जवाहर लाल बालूजा	.. ..	.. ,,
९—श्री कृष्ण अरोरा	.. ..	.. ,,
१०—श्री राजेन्द्र दुबे	.. ..	.. ,,
११—श्री सतीन्द्र मोहन	.. ..	.. ,,
१२—श्री राजेन्द्र खन्ना	.. ..	.. ,,

४६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस आयोजन से कितने रुपये की आय हुई और कितना रुपया सुरक्षा कोष में प्राप्त हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस आयोजन से कुल रु० ९९१९.०५ टिकटों की बिक्री से एकत्रित हुए और खर्च करीब १५,००० रु० सूचित किया गया है । अतः इस आयोजन से हानि होने के कारण सुरक्षा कोष में कोई धन नहीं दिया गया है ।

४७—४८—श्री जगन्नाथ राव—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

न्यायपालिका, कार्यपालिका का अलगाव

४९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार सब जिलों की न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग कार्य करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब तक पूरा किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुमायूं तथा उत्तराखंड के जिलों को छोड़कर न्याय कार्यों को शासकीय कार्यों से पृथक करने की योजना, १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष से, पूरे प्रदेश में लागू है । इन दो खंडों के जिलों में न्याय सम्बन्धी कार्य बहुत कम होन के कारण शासन ने इस योजना को वहां न लागू करने का निश्चय किया है ।

५०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई ऐसी सलाह दी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग कर दिया जाय और इसके बावजूद भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केन्द्रीय सरकार से इस राज्य सरकार को ऐसी कोई सलाह प्राप्त नहीं हुयी है । इस प्रदेश में तो यह योजना १९४९ से ही लागू है । अतः प्रश्न के दूसरे भाग उठते ही नहीं ।

केन्द्रीय एवं विदेशी सहायता से स्थापित होने वाले उद्योग, इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन

५१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से कौन-कौन बड़े उद्योग या योजनायें स्थापित हो रही हैं ? उनके स्थान पर उन पर अनुमानित रकम, उनके पूरे होने की अवधि, उनकी रोजगार देने की क्षमता और किन-किन देशों की सहायता से वह बन रही है, सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यथा उपलब्ध अभीष्ट सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ३०१ पर)

५२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में बड़े उद्योगों के समुचित विकास के लिये राज्य सरकार ने किसी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना की है ? यदि हां, तो उस कारपोरेशन द्वारा किये गये कार्यों के अनुभव के आधार पर सरकार उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार का ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

५३—५४—श्री बालोजी अग्रवाल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

इन्दरगढ़ में सोशलिस्ट पार्टी के जलसे में गड़बड़ी

५५—श्री शिवनाथसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, स्थित इन्दरगढ़ में १९ सितम्बर, १९६३ को सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सभा में गुन्डों व असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी करने की शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, परन्तु जांच से शिकायतें निराधार पाई गईं ।

५६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि इस घटना में स्थानीय थाना इन्चार्ज के शामिल होने की भी शिकायत की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, किन्तु जांच से थाना इंचार्ज पर लगाया गया आरोप असत्य पाया गया ।

इटावा जिले में मुहर मनिया डाकू का मारा जाना, हसायन थाने में अपराध, श्री सरनामसिंह का अपहरण

५७—श्री नेकरामशर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला इटावा में सन् १९५९ में कुख्यात अन्तर प्रदेशीय डाकू मुहर मनिया पुलिस की मुठभेड़ में गोली से मारा गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

५८—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त डाकू पर २,००० रुपये का इनाम उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारों की ओर से घोषित था और उस डाकू की अनेक कत्ल व डकैतियों के अभियोगों में तलाश थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

५९—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि आई० जी० पुलिस और जिलाधीश ने सरकार को श्री वीरेन्द्रसिंह पचौरी एवं हेड कांस्टेबिल, जगदेवसिंह को प्रेसीडेंट पुलिस मेडल के लिये सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । उपयुक्त कार्यवाही की गयी ।

६०—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना हसायन (अलीगढ़) के किसी गांव से डाकू दल किसी नागरिक का अपहरण कर ले गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

डाकू दल द्वारा किसी भी व्यक्ति के अपहरण किये जाने की कोई सूचना नहीं है अलबत्ता २६/२७-३-६३ की रात्रि को एक व्यक्ति श्री सरनामसिंह, निवासी नगला देवला, थाना हसायन का अपहरण हुआ जिसके लिये उन्हीं के ग्राम निवासी उत्तरदायी थे परन्तु २३/२४-४-६३ की रात्रि को वह बरामद हो गये ।

६१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ के थाना हसायन के अन्तर्गत सन् १९६२ और अप्रैल, १९६३ तक कितनी डकैतियां और चोरियां हुई हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१९६२ में ६ डकैतियां, ४० चोरियां तथा ४१ नकबजनी के और १-१-६३ से अप्रैल, १९६३ तक १ डकैती, १० चोरियों तथा ४ नकबजनी की घटनायें घटित हुई हैं ।

६२—श्री नेकराम शर्मा—

[हटा दिया गया ।]

६३—६५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रुद्रपुर थाने के माहीगंज ग्राम संबंधित मुकदमा

६६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के माहीगंज नामी ग्राम से १ फरवरी, १९६३ से लगायत आज तक किसी दिन दहाड़े की डकैती, चोरी या इसी किस्म के इसी मुकदमें का चालान हुआ है ? यदि हां, तो इसमें कितने लोगों का चालान हुआ और

और चार्जशीट देने के बाद भी यह मुकदमा अब अदालत के विचाराधीन है या नहीं और यह मुकदमा रपटी है कि दरख्वास्तो ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां। १ फरवरी, १९६३ से ९-१२-६३ तक देवरिया जिले के थाना रुद्रपुर ग्राम माहीगंज से सम्बन्धित केवल एक मुकदमा धारा ३९४ भा० द० वि० के अन्तर्गत दिनांक ११-४-६३ को कायम होकर तफतीश करने के बाद चालान था। इसमें एक व्यक्ति का चालान अदालत किया गया। मुकदमा अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) महोदय के न्यायालय से धारा ३७९ भा० द० वि० में परिणत किया गया और वादी व प्रतिवादी दोनों ने आपस में दिनांक ९-८-६३ को सुलह कर लिया। यह मुकद्दमा वादी के एक प्रार्थनापत्र, जो कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक देवरिया को दिया था, के आधार पर कायम हुआ था।

६७---श्री सुरजनराम विशारद---

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

६८-७०---श्री रियासत हुसैन---

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

७१---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[हटा दिया गया।]

लखनऊ के सहायक गन्ना आयुक्त

७२---श्री दीनदयाल करवरिया---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना विभाग, लखनऊ में कितने असिस्टेंट केन कमिश्नर हैं और कितने साल से लखनऊ में हैं ? क्या ऐसा भी कोई नियम है कि एक स्थान पर कोई ३ साल से अधिक न रहें ?

डाक्टर सीताराम---

गन्ना विकास विभाग लखनऊ में ४ सहायक गन्ना आयुक्त हैं। इनमें से एक ५ साल ५ महीने से, दूसरा ४ साल १ महीने से, तीसरा २ साल ५ महीने से और चौथा १ साल ११ महीने से लखनऊ में नियुक्त है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई असिस्टेंट केन कमिश्नर ३ साल से अधिक लखनऊ में न रहे। जिले में नियुक्त अधिकारियों के लिये ३ साल के बाद तबादले करने की नीति है। विभाग अध्यक्ष के कार्यालय में ४ साल तक नियुक्त किये जाने की नीति है। नियम कोई नहीं है।

७३---श्री दीनदयाल करवरिया---

जो अधिकारी ३ साल से अधिक से लखनऊ में रह रहे हैं सरकार उनका तबादला क्यों नहीं करती है।

डाक्टर सीताराम---

२ असिस्टट केन कमिश्नर की अवधि ४ साल से कम है और दो ने ४ साल हाल ही में पूरे किये हैं। इनमें से एक २ १/२ साल से गन्ना फेडरेशन में कार्य कर रहे हैं और जो कार्य भार पहले उनके सुपुर्द था वह अब उनके सुपुर्द नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में ४ साल की अवधि का पालन करना कठिन हो जाता है। ज्येष्ठ और उपयुक्त गन्ना अधिकारियों को ही असिस्टेंट केन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यू० पी० हाई पावर शुगर इन्डस्ट्री ऐडवाइजरी कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि गन्ना विभाग में रीजनल अधिकारी नियुक्त किये जायं। इस पर अभी शासन का निर्णय नहीं हो पाया है। वह निर्णय हो जाने के बाद ही असिस्टेंट केन कमिश्नर के तबादले पर विचार किया जायगा। तबादले यथासम्भव मई-जून

के महीनों में किये जाते हैं और जिन लोगों को ४ साल से अधिक लखनऊ में सहायक केन कमिश्नर के पद पर हो गये हैं उनके तबादलों पर मई-जून के महीनों ने विचार करना उचित होगा ।

७४—७६—श्री जगन्नाथ चौधरी—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली की रबर फैक्टरी के लिए अधिगृहीत भूमि

७७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली की रबर फैक्टरी के लिये भूमि अधिग्रहण करने के कितने मामले सरकार के पास पड़े हैं उनमें कितनों के विरुद्ध किसानों ने एतराज किये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उल्लिखित फैक्ट्री के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है और उस पर फैक्ट्री को कब्जा भी दिलाया जा चुका है । इस सम्बन्ध में अब कोई एतराज बाकी नहीं है ।

७८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार इन मामलों को केन्द्रीय सरकार की नई प्राइवेट कम्पनियों को भूमि अधिग्रहण कराने वाली नीति के अनुसार तय करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि अब कोई मामला बाकी नहीं है अतः नई नीति के अनुसार तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

७९—श्री रियासत हुसैन—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

८०—श्री रियासत हुसैन—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

८१—८३—श्री रघुनाथ सिंह—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

८४—८५—श्री मुकुट बिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

डी० पी० ओ०, आजमगढ़

८६—श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० पी० ओ०, आजमगढ़ का स्थानातन्तरण आजमगढ़ से झांसी को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ।

कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर के जनरल मैनेजर के खिलाफ शिकायत

८७—श्री गेंदासिंह—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग सचिव तथा उप सचिव को कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज, बाजपुर (नैनीताल) के डिप्टी चीफ एकाउन्टेंट द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक १६ अगस्त, सन् १९६३ के अन्तर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त फैक्टरी के नये जनरल मैनेजर ने प्रार्थी श्रमिक की पत्नी पर अन्याय किया और स्वयं उसको भी नौकरी से निकाल देने की धमकी दी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

जी हां, किन्तु जांच से ज्ञात हुआ कि निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतें तथ्यहीन हैं।

८८—श्री गेंदासिंह —

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत २२ सितम्बर, सन् १९६३ को उपरोक्त श्रमिक को नौकरी से निकाल दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

डिप्टी चीफ एकाउन्टेंट का पद विघटित हो जाने से उक्त आवेदक की सेवायें निर्दिष्ट तारीख को समाप्त कर दी गईं।

८९-९०—श्री श्रीराम—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में सिनेमाओं से आमदनी

९१—श्री लखपतराम शर्मा —

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में सिनेमाओं में १९६० से मई, सन् १९६२ तक सरकारी टैक्स के रूप में कितने रुपयों की सरकार को आमदानी हुई व जून,सन् १९६२ से २० सितम्बर, सन् १९६२ तक कितनी आय हुई? यदि दोनों में अन्तर है, तो उसका कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

सरकारी टैक्स	१ अप्रैल, १९६० से मई, १९६२ तक	१ जून, १९६२ से २० सितम्बर, १९६२ तक
	रुपये	रुपये
मनोरंजन कर	७,८३,१५९	१,३९,६२४
लाइसेंस फी	३,५२५	३७५
आपरेटर्स फी	३००	२०
कुल आय ..	७,८६,९८४	१,४०,०१९

दोनों आय में अन्तर होना स्वाभाविक हैं क्योंकि पहली आय २ साल १ माह की अवधि की है जब कि दूसरी आय केवल करीब ४ माह की अवधि की ही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्याणचन्द मोहिले के प्रश्न संख्या २३ और २४ का उत्तर अभी तक नहीं आया है, इसका क्या कारण है, मंत्री जी कृपया बतायें।

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसी ही बात थी तो भी ऐसा मालूम हो जाना चाहिये था। जो भी प्रश्न हो उसके बारे में जो भी सूचना हो वह हमें एक दिन पहले प्राप्त हो जानी चाहिये ताकि हम माननीय सदस्य को सूचना दे सकें, हमारे पास उत्तर एक दिन पूर्व सायंकाल ५ बजे तक आ जाना चाहिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे इसका दुख है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने यह बताया था कि मुरादाबाद में टी० बी० के रोगी कानपुर से ज्यादा हैं। अध्यक्ष महोदय, कानपुर में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक दल आया था, उन्होंने कानपुर शहर के बारे में यह कहा कि कानपुर शहर में उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में टी० बी० रोगियों की संख्या ज्यादा है। फिर स्वास्थ्य मंत्री जी ने टी० बी० के रोगियों की संख्या मुरादाबाद में किस आधार पर बतायी? क्या मंत्री जी उस रिपोर्ट को संक्षेप में पढ़ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से प्रश्न पूछने का मौका नहीं है। आप इसके लिये अलहदा से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, प्रति दिन हम जो कार्यक्रम देखते हैं उसको देखने से हमें यह मालूम होता है नित्य अतारांकित प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाती है। यह तारांकित प्रश्नों को किस नियम के अनुसार अतारांकित कर दिया जाता है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। इस सचिवालय के सम्बन्ध में भी जो प्रश्न थे उनको भी अतारांकित कर दिया गया और माननीय गेंदासिंह जी का भी प्रश्न था उसको भी अतारांकित कर दिया गया?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आपने मुझे इंगित करके कहा कि आप ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। क्या आप उस समय खड़े होने पर कोई व्यवस्था दे रहे थे?

श्री अध्यक्ष—

जब दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे तो आप खड़े हो गये थे, इसलिये मैंने कहा था, क्योंकि यह नियम विरुद्ध है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, २१ सवाल जो कल सदन द्वारा स्वीकार हो चुके थे और जिनका उत्तर मांगने में हजारों रुपया खर्च किया गया था, उनका उत्तर न दिया जाकर, आज उनको हटा दिया गया है, इसका क्या कारण है? या तो प्रश्नों को प्रारम्भ में ही अस्वीकार कर दिया जाय अन्यथा स्वीकार हो जाने पर सदन में उनका उत्तर दिलाया जाना चाहिये, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं, मैं उसको देख लूंगा।

नेशनल हेरल्ड में विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन ठीक से न करने पर आपत्ति

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही आवश्यक चीज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नेशनल हेरल्ड की जो कल की प्रोसीडिंग है इस सदन की उसकी रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि कल जो विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में उठा था और उसके सम्बन्ध में जिस प्रकार की बातें यहां लोगों ने कहीं उसकी रिपोर्टिंग जो आज के नेशनल हेरल्ड में आई है उसका एक दूसरा प्रभाव आम जनता पर और उसके पढ़ने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनतंत्र में जितना महत्व इस सदन की कार्यवाहियों का है उतना ही महत्व हमारे अखबारों का भी है और अखबारों के द्वारा ही लाखों करोड़ों आदमी जानते हैं कि इस सदन में यहां क्या होता है। इसलिये पूरी स्वतंत्रता अखबारों को है, उनके प्रतिनिधि यहां आते हैं और यहीं की रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिये यह भी आवश्यक है कि एक समुचित ढंग से रिपोर्टिंग की जाय ताकि उसका एक सही प्रभाव जनता पर पड़े। कल का विशेषाधिकार का प्रश्न एक बहुत ही गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में था और पिछले ४-५ दिनों की कार्यवाही उससे सम्बन्धित रही है और उसमें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये थे और रोष में जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई उसके विषय में आपकी भी राय थी कि सदन की गरिमा इन चीजों से बढ़ती नहीं है और एक सुव्यवस्थित ढंग से यहां भाषा का प्रयोग होना चाहिये, लेकिन जो मुख्य चीज इन आरोपों के सम्बन्ध में थी और सदन में जब मुख्य रूप से आरोप और प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे और सदन की मांग थी कि अगर ऐसे आरोप हैं तो उनकी जांच होनी चाहिये..

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, उन्होंने कोई विशेषाधिकार का सवाल किया है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको इजाजत दी है, आप बैठें।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं कह रहा था कि उनका मुख्य केन्द्र विन्दु यह था कि चूंकि इस सम्बन्ध में आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये हैं और माननीय सदस्य और मंत्री जी भी इससे सम्बन्धित हैं इसलिये उन पर जांच होनी चाहिये, इस तरह की राउन्ड-एबाउट बात हो रही थी। लेकिन इस प्रोसीडिंग से लगता है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपने जो उसको पढ़ दिया और उससे सदन में जो स्थिति पैदा हुई उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है और आपके खिलाफ भाषण किये गये। जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

प्रकार यह रिपोर्टिंग की गई है उसमें चेयर पर लांछन लगाया गया है । आप पेज ६ पर जो रिपोर्टिंग है उसको देखें तो पता लगेगा कि एक बायस्ड और पक्षपातपूर्ण ढंग से वह की गई है, तमाम मसलों को देखने का उसका अपना अलग-सा एक ढंग है और उसका अपना दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण से बहुत से तथ्य ऐसे हैं कि सरकारी पक्ष की बात के समर्थन में, पक्ष में रिपोर्टिंग होती है और निष्पक्ष व सही रिपोर्टिग नहीं होती । मैं चाहता हूं कि आप इस अखबार की आज पृष्ठ ६ पर और पिछले २ दिन की रिपोर्टिग को देखें कि किस प्रकार श्री नरसिंहनारायण और और दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ फर्स्ट पेज पर न्यूज छापी गई . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, अखबारों की पालिसी निर्धारित करने के लिये यह सदन नहीं है, हर अखबार को स्वतंत्रता है और उसका अपना दृष्टिकोण है और उसके अनुसार वह छापता है . .

श्री अध्यक्ष—

सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक मौलिक बात पर एक सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो जाते हैं, यह कौनसा तरीका है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—

दूसरे जब नरसिंहनारायण और उग्रसेन जी के बीच में कुछ गर्म बातें हो रही थीं तो आपने कुछ शब्द इस्तेमाल कर दिये थे [* * *] जिनको कि आपने वापस भी कर लिया था और मान लिया था कि यह रिकार्ड में नहीं आने चाहिये, लेकिन फिर भी उनको पूरा छाप दिया गया, इस प्रकार की रिपोर्टिंग होती है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहदूं कि यह सदन अपना एक गौरव केवल इस राज्य के अन्दर नहीं, भारतवर्ष में रखता है और हमें अपने उस गौरव का संरक्षण करना है । इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी भाषा और हमारा व्यवहार शिष्टतापूर्ण और भद्र होना चाहिये । उसके लिये तो हमीं लोगों को ध्यान रखना चाहिये कि हम क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं । लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी आवेश में या बहस के उद्वेग में किसी के मुंह से कोई बात निकल जाय तो उसको समाचार-पत्र बड़ी-बड़ी हेडिंग बना कर या प्रधानता देकर छाप दें, उससे मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं । जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि वे हमारे देश की डिमोक्रेटिक नीतियों का संवर्द्धन करें, यदि वे ही उसमें क्षति पहुंचायेंगे, तो अनुचित है । तो मैं समझता हूं कि जो भी न्यूज वैल्यू हो, उसको तो वही समझते हैं, लेकिन न्यूज वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की अप्रतिष्ठा हो । तो मैं जरूर यह कहूंगा कि हमारे समाचार-पत्रों का यह कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि यहां की केवल उद्वेगात्मक बातों को छापने में अपना गौरव न समझें । जहां चार आदमी बैठेंगे और कोई बात हो जावे, और हो ही जाती है, लेकिन उसको मोटे हरफों में छापना यह शोभा की बात नहीं है ।

अब जो प्रश्न उठ गया है इसको मैंने देखा नहीं है । मैं देख लूं और उसके बाद यहां जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन यह ऐसी चीज जरूर है जो अवांछनीय है ।

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं सब समाचारपत्रों के विषय में नहीं कहना चाहता लेकिन नियमावली में यह लिखा हुआ है और अब तक सदन में यह व्यवस्था रही है कि जिन शब्दों को आपके आदेश से निकाल दिया जाता है, वह नहीं छपना चाहिये। इस सम्बन्ध में विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं यह कहना चाहता था कि जो आपने कहा कि जो आप कह दें कि निकाल दिया जायगा वह न छपे, लेकिन अखबार वाले तो अपनी नीति के मुताबिक छापते हैं और अगर यह हो गया कि जो माननीय अध्यक्ष के आदेश से चीजें निकाल दी जाती हैं वह समाचारपत्रों में न छपें तो यह पूर्णतया अजनतांत्रिक होगा। यह समाचारपत्रों का अधिकार है कि वह किसी समाचार को किस तरह से किस प्रकार की हेडिंग से छापते हैं, उस पर यहां चर्चा इस सदन में नहीं होनी चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय चन्द्रजीत यादव जी ने उठाया है वही बात मैं तीन दिनों से बराबर इसीलिये कह रहा था, लेकिन मेरी बात माननीय उपाध्यक्ष जी ने और न आपने मानी। अब जब वह प्रश्न उठ गया है तो संविधान के आर्टिकिल १९ और १९४ को देखें। उसमें समाचार-पत्रों और सदन को और सदन के माननीय सदस्यों को वाक्स्वातंत्र्य दिये गये हैं। उसकी जिम्मेदारी किस पर है। आर्टिकिल १९४ में 'acts done' और 'words spoken' दोनों ही चीजें हैं। [* * *]।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आप बैठ जाइये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल हेरल्ड का जो पर्चा है उसमें अक्सर रिपोर्टिंग इधर की उधर हो जाती है और वह इसलिये हो जाती है कि वे उनके रिप्रेजेंटेटिव अपना अधिक समय मंत्रियों के कमरों में लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त। मैं यह निर्णय देता हूँ कि माननीय दीपनारायण सिंह ने जो कुछ कहा है वह इस सदन की परम्पराओं के विरुद्ध है। पार्लियामेंटरी पद्धतियों के विरुद्ध है। अगर आदेश में दे दूं कि अमुक बात रेकार्ड में नहीं आयेगी या उसे ऐक्सपंज कर दिया जाय और फिर भी, वह छपे, तो वह ब्रीच आफ प्रिवलेज है और उस सम्बन्ध में कार्यवाही हो सकती है।

श्री दीपनारायणसिंह—

हाउस आफ कामन्स में...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं, या सदन छोड़ें।

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

निवेदन यह है कि जब कोई आक्षेप या इस तरह की बातचीत कोई हो, चूंकि अब रोज हिस्सा निकलने लगा है, कल जब विशेषाधिकार पर बहस हो रही थी तो उपाध्यक्ष ने आज्ञा दे दी, एक सदस्य जो बोल रहे थे, कि इसका हिस्सा निकाल दिया जाय। इसलिये मैं चाहता हूँ आप या उपाध्यक्ष या जो भी आप की चेयर पर बैठें उनको अधिकार है कि जो भाषण हम दें उसको निकलवा दें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कोई आक्षेप न करें और हमारी बातों को सुन रहा हो और हमारा उत्तर दे रहा हो तो निकालने के सम्बन्ध में कोई नियम घोषित कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्न इस समय नहीं है। तो यह निश्चित है कि आप दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं। उस सम्बन्ध में क्या नियम हों वह हम बैठ कर तय कर लेंगे, लेकिन एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि जो भी ऐक्सपंज हो जाय वह नहीं छपना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है आप उस पर रूलिंग दे दें। सीधी बात है कि अगर सदन का एक मेम्बर दूसरे सदन के मेम्बर पर आरोप करता है और उसकी जांच आप विशेषाधिकार समिति को नहीं देते तो विशेषाधिकार की अवहेलना है, और ऐसा भाषण देने की इजाजत उन्हें रही है तो सदन का अपमान [* * *]।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री दीपनारायण सिंह—

[* * *] मैं वाक आउट करता हूँ ५ मिनट के लिये।

(श्री दीपनारायणसिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूँ कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३, जो विधान सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के १८ दिसम्बर, १९६३ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री बलवान सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, गाजियाबाद का दिनांक १६-१२-६३ का पत्र आया है।

नोट—[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

"I have to inform you that Sri Balwan Singh, a member of the Legislative Assembly from Akbarpur (Kanpur) constituency was arrested at Ghaziabad.

(मुझे यह सूचना देनी है कि श्री बलवानसिंह सदस्य, विधान सभा, अकबरपुर (कानपुर) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित गाजियाबाद में बन्दी किये गये।)

....."under section 3(*a*) of U. P. Gur (Restriction on Border Movement) Order, 1963 read with rule 125(9) Defence of India Rules."

उन्हें बन्दीकरण किया गया धारा ३ (क) यू० पी० गुड़ (रेस्ट्रिक्शन आन बार्डर मूवमेंट) आर्डर, १९६३ तथा नियम १२५ (९) डी० आई० आर० के अधीन उनकी गिरफ्तारी साढ़े १० बजे १६-१२-६३ को हुई। वह ६ किलोग्राम गुड़ ले जा रहे थे। श्री बलवान सिंह डिस्ट्रिक्ट जेल, मेरठ म इस समय बन्द किये गये। यह सूचना मुझे कल १८-१२-६३ को मिली।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, कब मिली?

श्री अध्यक्ष—

शाम को आई। सदन उठने के बाद मिली है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियम में यह है कि सब काम को छोड़ कर सदन में सुनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

सचिव, विधान सभा, श्री मित्थल ने जो नोट लिखा है वह यह है कि मेरे दफ्तर से ४ बजे मित्थल जी को मिला था कल। तो अब इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था, वह अब नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आप की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आप से, कि यह जो खास तौर से काफी तादाद, १०० से ऊपर इधर बैठने वाले सदस्यों की है, हम लोगों पर सरकार की ओर से जो बड़े-बड़े अफसर हैं, उनकी ओर से ज्यादती होती है। मान्यवर, उनकी रक्षा और नियमों की रक्षा आपके द्वारा होनी चाहिए। नियम ८४ में दिया हुआ है कि जब किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो तो उसकी तत्काल सूचना प्राधिकारी को देनी चाहिए। उसके लिए अनुसूची में प्रपत्र है कि कब गिरफ्तार हुआ, कहां रखा गया। इसकी सूचना उपरोक्त नियम के अनुसार तत्काल आप को मिलनी चाहिए। और नियम ८५ और ८६ में आपके लिए यह निर्देश है कि जब वह सूचना प्राप्त हो, स्पीकर महोदय, सारे काम को छोड़ कर, उसकी सूचना दें। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य १६ तारीख को १० १/२ बजे गिरफ्तार हुए। १६ तारीख को आपके दफ्तर में उस वक्त कोई सूचना नहीं दी गयी और ७-३५ बजे पर आपको सूचना दी गयी। तो नियमों के अनुसार तुरन्त कुछ न हुआ। अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में भी वह सूचना नहीं आई। जो तार आया और जिसको आपने १७ को पढ़ कर सुनाया वह भी अनुसूची में दिए हुए प्रपत्र के अनुसार नहीं था। आप को जो १८ तारीख को सूचना मिली आज आपने पढ़ी। १६, १७ और १८, तीन दिन लगातार बीत गये। नियम ८४ में यह सूचना सदन को नहीं दी गयी तो जो शब्द तत्काल का प्रयोग किया गया है उसके क्या माने समझे जायें? अगर तत्काल हमारा १० दिन, १५ दिन का है या २४ घंटे का यह परिभाषा आपको देखनी पड़ेगी और यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि इस प्रकार से मैजिस्ट्रेट आदि को

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

छोड़ देंगे कि ३-३ और ४-४ दिन तक गिरफ्तार रखें, कहां रखा, अनुसूची के अनुसार कार्यवाही नहीं होती तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के हकों की रक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिये हमने विशेषाधिकार और अवमान का सवाल उठाया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह आवश्यक हो गया है कि जब आप हमारे हकों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम लोगों को बड़ा नुकसान होगा और आये दिन माननीय सदस्य गिरफ्तार किये जायेंगे, मैजिस्ट्रेटों द्वारा और थानेदारों द्वारा।

इन शब्दों के साथ मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में दी हुई अनुसूची के प्रपत्र में कोई सूचना नहीं है और ३ दिन बाद वह सुना दी गई, वह तुरन्त भी नहीं है। इसलिये प्रार्थना है कि इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की व्यवस्था दें जिससे आये दिन विरोधी दलों के सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना समय से मिले।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

१६ तारीख को मैजिस्ट्रेट गाजियाबाद भी वहां मौजूद थे और अगर गिरफ्तार हुए तो गाजियाबाद से लखनऊ आने में डाक का समय १ दिन लगता है, लेकिन यह जानबूझ कर डिले की गयी और तारीख १६ डाल दी गयी। यहां आपके पास ४ बजे कल यह पहुंच गया और सदन का समय साढ़े पांच बजे है, तो उस समय हमको सूचना मिलनी चाहिये थी। इस तरह आपके दफ्तर की तरफ से और मैजिस्ट्रेट के जरिये भी हम सदस्यों के हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसका ध्यान रख कर हम इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और वहां निर्णय हो जाय कि सदस्यों के क्या अधिकार हैं और आप कहां तक उनकी रक्षा कर सकते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

आप उस लिफाफे पर मोहर देखिये कि गाजियाबाद से किस तारीख को डाला गया ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

विशेषाधिकार समिति को यह जाय या न जाय और यह बहस कि कै बजे खबर आई कोई खास महत्व नहीं रखती। अधिकारियों को चाहिये कि समय से सूचना दें, लेकिन सत्याग्रह में गांधी जी का सिद्धांत है कि स्वयं को सत्याग्रही गिरफ्तार कराता है। किसी तरह का प्रोटेस्ट उनकी पार्टी की मान मर्यादा के खिलाफ है। वहां ज्यादती हुई है तो जनता की ताकत पैदा करके लड़िये, विधान सभा में इसके लिये स्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, आपने एक नीति की बात कही। जहां तक मेरा संबंध है और सदन का संबंध है वह तो नियमों से है। तो हमको तो नियम देखना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप क्या चाह रहे हैं ? आपने अभी कहा कि अब इसका सवाल नहीं होता। आप पहले खारिज कर चुके हैं। तीन दिन से मैं यह सुन रहा हूं। [* * *]।

श्री अध्यक्ष—

यह आलोचना आप करते हैं, यह गलत है।

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री उग्रसेन—

पहले आपने खारिज क्यों कर दिया, आपको पहले खारिज नहीं करना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । साधारण नियम है, सदन की कार्यवाहियों को आप उठा कर देखें कि सदन में कोई कुछ कहना चाहता है तो प्रायः इजाजत दे दी जाती है । माननीय सदस्य कहना चाहें तो इस संबंध में कह लें इस वास्ते कि मेरे फैसले की अपील तो कहीं नहीं होती, और अपने विचारों में, मैं परिवर्तन कर सकता हूं आपको सुनकर ।

श्री उग्रसेन—

तो विशेषाधिकार समिति में आप इसे भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

बीच में मत बोलिये । आप बैठ जांय । मैं कह रहा था कि मैं अपने विचार बदल सकता हूं और आपको चाहिये कि अपने विचार बदलने का मुझे मौका दें, यह नहीं कि बहस करते चलें जायं और उस बहस से मैं कोई फायदा न उठा सकूं ।

एक प्रश्न उठा "तुरन्त" का । "तुरन्त" का मतलब यह है, जहां तक मैं समझता हूं, अनावश्यक बिलम्ब नहीं होना चहिये, यानी एवायडेबिल डिले नहीं होनी चाहिये । तो तुरन्त के मतलब यह नहीं हैं कि एक तरफ पकड़ा, तो दूसरी तरफ मुझे खत लिख रहे हैं । इस प्रपत्र के आखिर में लिखा हुआ है "उन्हें फंला जेल में रखा गया है" । इसको देखने पर यह प्रतीत होता है कि जब माननीय सदस्य गिरफ्तार होकर जेल भेज दिये जायं तब वह प्रपत्र लिखेंगे । दूसरी बात यह है कि मौके पर गिरफ्तारी होती है, वे आखिर अपने दफ्तर जायेंगे, लिखेंगे, कुछ समय लगेगा । तो जब तक मेरी बुद्धि इस परिणाम पर न पहुंचे कि इसमें इतना विलम्ब हुआ है जो कि नहीं होना चाहिये तब तक मैं इसके ऊपर क्या बयान दूं ? १६ तारीख को यह पत्र लिखा हुआ है । इसके पूर्व १६ तारीख को तार आ चुका था । कल मैंने आपके सामने वायरलेस पढ़कर सुनाया था । यह हो सकता था कि मैं सचिव से कह देता कि इसको भेज दो, माननीय डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, ताकि सदन को बता दिया जाय, लेकिन उस वक्त इतना ध्यान नहीं आया कि इसको भेज दिया जाय । तो जो आपत्ति की है, दोनों माननीय पांडेय ने उनके संबंध में मेरा विश्वास हो गया है कि कोई अनरीजनेबिल डिले नहीं है । तो मैंने उस सूचना को अस्वीकार करना उचित समझा । अब यह समाप्त हुआ ।

श्री उग्रसेन—

इसको आप अभी समझने के लिये रख छोड़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं । अब यह समाप्त हो गया ।

श्री उग्रसेन— —

तो आपने हम लोगों को तो सुना ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

प्रयाग महिला विद्यापीठ की बैठक में मारपीट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक मेरे पास कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आया है माननीय टम्बेश्वरप्रसाद का और माननीय राममूर्ति अंचल ने नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है। दोनों एक ही विषय के बारे में हैं इसलिये मैंने नियम ५२ में ले लिया है। मैं दोनों को पढ़े देता हूं। माननीय अंचलजी का इस प्रकार है—

"१५-१२-६३ को शाम के ९ बजे इलाहाबाद से फोन पर मैंने प्रार्थना की थी कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की सभा में हंगामा, मार-पीट आदि अत्यन्त अभद्र बातें हुई हैं।"

दूसरी बात जो आपने लिखी है वह यह कि—

"१५-१२-६३ को अपरान्ह में प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद छात्रावास के प्रांगण में विद्यापीठ के साधारण अधिवेशन की कार्यवाही जब डा० ईश्वरीप्रसाद की अध्यक्षता में हो रही थी तो दो आपसी गुटों में घनघोर उपद्रव मचा, मारपीट और अभद्र गाली गलौज होने लगी जबकि वहां मंच पर १५० महिला सदस्यायें बैठी थीं। उपद्रव और मार-पीट के बीच महिला सदस्याओं में छात्राओं में भगदड़ मच गई और सैकड़ों पुलिस के जवान जो वहां खड़े थे निष्क्रिय तमाशबीन की तरह असहाय हो कर कुछ न कर सके।

सारे भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के लिये महिलाओं की एक मात्र संस्था महिला विद्यापीठ अपने संचालकों एवं प्रबन्धकों के कुत्सित व्यवहार, मुनाफाखोरी, भ्रष्ट आचरण, कुनबापरस्ती और शोषण का अड्डा बना हुआ है। ऐसे क्षुब्ध एवं अभद्र वातावरण में विद्यापीठ के अन्दर आज शिक्षण कार्य बिलकुल ठप्प पड़ गया है। प्रयाग के विशेषकर और साधाराणतया सारे उत्तर प्रदेश के बौद्धिक वर्ग में इस घटना से भय, असंतोष और क्षोभ का वातावरण व्याप्त है।

अत : नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर हम लोग सम्बद्ध मंत्री महोदय और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।"

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद का इस प्रकार है—

"प्रयाग महिला विद्यापीठ की जो बैठक गत दिनों डा० ईश्वरी प्रसद की अध्यक्षता में वार्षिक चुनाव हेतु हुई उसमें खुलकर मुक्केबाजी हुई व भीषण हंगामा हुआ। सभा स्थगित हो गई। उसके बाद भी पीठ के प्रांगण में मुक्केबाजी होती रही। प्रदेश की हिन्दी सेवी महिला संस्थाओं में प्रमुख एवं महत्वपर्ण संस्था में इस अराजकता के कारण शिक्षण अब भी बन्द है तथा छात्राओं का वहां पढ़ने जाना संभव नहीं प्रतीत होता।

सरकार द्वारा उक्त स्थिति पर काबू करने के लिये अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। अस्तु, सरकार के प्रति असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है।"

इसको नियम ५२ के अन्तर्गत लिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे या गृह मंत्री जी देंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से मैंने भी यह विषय दिया था। कल भी दिया था और परसों भी दिया था।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, २३ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि कौंसिल ने हाईकोर्ट के संबंध में बिल पास किया है जिसकी वजह से हाईकोर्ट के वकीलों में काफी परेशानी हो गई है। उसको यदि आप पढ़ दें तो सदन को भी जानकारी हो जायगी और उस पर निर्णय लेने में सुविधा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं जरूरत नहीं समझता।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, दो वक्तव्य देने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष—

विद्वान दोनों हैं, कोई भी वक्तव्य दे देगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, विधान परिषद् ने जो क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने का बिल पास कर दिया है उससे अब न्याय का काम गृह मंत्री जी करेंगे। इसलिये लोगों में बड़ा क्षोभ है। उसको कम से कम बढ़ा दिया जाय और वक्तव्य दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसमें वक्तव्य नहीं होगा। कानून बन रहा है, जब आपके सामने आये, बहस कर लीजिये।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, सरकार से कह दीजिये कि वह बिल वापस ले ले।

रिहन्द बिजली घर की सम्भावित क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, रिहन्द बांध में दो स्लूश गेट्स बनाये गये हैं पर उनका आशय किसी सिल्ट या मिट्टी को निकालने का नहीं है। वे स्लूश इसलिये बनाये गये हैं कि यदि कभी ऐसी स्थिति हो जब रिहन्द पावर हाउस की एक भी मशीन न चल रही हो तब भी इन स्लूश गेटों को खोलकर रिहन्द नदी पर नीचे की तरफ जो गांव पड़ते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पानी पास किया जा सके। ऐसे अवसर शायद ही कभी आयेंगे, लेकिन फिर भी इस प्रकार का प्रबन्ध ऐसे डैम में रखा जाया करता है और रिहन्द में भी रखा गया है। जब से रिहन्द का पावर हाउस चालू किया गया है तब से अभी तक तो इस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया और न बहुत दिनों तक आने की कोई संभावना है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि इन स्लूश गेटों में कुछ खराबी भी हो तो उससे डैम या रिहन्द पावर हाउस के ऊपर किसी प्रकार भी संकट नहीं पड़ सकता और जो शंका नोटिस देने वाले माननीय सदस्यों को हो रही है वह नितांत निर्मूल है।

इन स्लूशों पर लगाये गये फाटक और उनको चलाने की मशीनें आस्ट्रिया देश से मंगाई गई हैं। ठेके की शर्त के अनुसार इन फाटकों को आस्ट्रिया के विशेषज्ञों की देखरेख में ही फिट कराया गया था, परन्तु अब उन फाटकों को फिट करने के उपरांत १९६१ में टेस्ट किया गया तो यह देखा गया कि इन फाटकों को आपरेट करने में कुछ कठिनाई होती थी और वे सुचारुरूप से और आसानी से खुलते या बन्द नहीं होते थे। जांच करने पर मालूम हुआ कि इन फाटकों के गाइड व सील में कुछ त्रुटियां थीं। इन फाटकों के बनाने वाले इस बात पर सहमत हैं कि वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

अपने खर्चे पर ही ये गाइड या सील लाकर स्लूशों में फिट करेंगे। यह नये गाइड व सील आस्ट्रिया के कारखाने में बनकर तैयार हैं और केवल उनको यहां लाकर फिट करना बाकी है। इसके लिये भारत सरकार से इम्पोर्ट परमिट जारी करने के लिये प्रार्थना की गई है। उन्होंने इस संबंध में सलाह दी है कि कुछ औजार जो आस्ट्रिया के विशेषज्ञ अपने साथ इन गाइड और सील को लगाने के लिये लाना चाहते हैं उनको विदेशों से न मंगाया जाय बल्कि यहीं पर वे चीजें मिल सकती हैं और उनको अपने देश में ही खरीदा जाय। ये औजार कुछ विशेष प्रकार के हैं। इनके बगैर फाटकों पर कार्य करना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि इन गाइड, सील और औजारों के लाने के लिए हमको न कोई कीमत देनी होगी और न कोई विदेशी मुद्रा ही देनी पड़ेगी क्योंकि इन चीजों को आस्ट्रिया की फर्म अपने ही खर्चे में ला कर फिर से लगायेगी। अत: भारत सरकार से फिर अनुरोध किया गया कि वे इस में कोई आपत्ति न करें और इम्पोर्ट परमिट जारी कर दें ताकि यह सामान ला कर स्लूश गेटों में लगाया जा सके।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री महोदय को यह सूचना है कि सिल्ट जमा होने के संबंध में कोई कमियां इस प्रकार की नोटिस में आयी हैं जिनको दूर करने में विदेशी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य से मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसी नोटिस देने के पहले अगर इस चीज को पूछ लेते तो इससे जो बड़ा भ्रम फैल गया है न फैलता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्हें याद है कि इस सदन में एक बार प्रश्नकर्ता न प्रश्न दिया था कि रिहन्द बांध में दरार पड़ गई है, उसका पांच दिन के बाद जवाब दिया गया और बीच में दरार ठीक करवा ली गई और कह दिया कि इससे उत्तर प्रदेश में भ्रम फैल गया है ? यह तो कोई दरार थी ही नहीं। इसी किस्म का 'तिकड़म' क्या इस बार भी कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

'तिकड़म' शब्द तो अच्छा नहीं है कृपया वापस लीजिये।

[× × ×]

श्री उग्रसेन—

मैं वापस ले रहा हूं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही नहीं है। मैं आदरणीय सदस्य की जानकारी के लिये बतला दूं कि अभी पावर की जो कमेटी हुई थी उस में माननीय गेंदासिंह ने अपने आप प्रस्ताव रखा था कि जिन इंजीनियरों नें बांध बनाया है, इतने अच्छे ढंग से बनाया है वह हमारी बधाई के पात्र हैं।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्हीं इंजीनियरों ने इसका एस्टीमेट २५ करोड़ का बनाया था और ४६ करोड़ लग चुका है, तो क्या उनकी बुद्धिमता का यही प्रमाण है ?

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि जब से प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बनाया जाता है उसके बाद कितनी बातें ऐसी हुआ करती हैं जिनमें तब्दीलियां हो जाती हैं। प्रोजेक्ट खत्म होने तक विशेषज्ञों से सलाह होती रहती है। जरूरत होने पर खर्चा बढ़ भी जाता है। कीमतों की बढ़ोत्तरी होती रहती है। इसलिये कास्ट बढ़ जाती है।

श्री उग्रसेन—

किसी देश में ऐसा नहीं होता।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

जैसा कि माताटीला बांध बनाया गया उसमें मूलभूत प्लानिंग हुई। जब रिजर्वायर बन जाता है तो उसकी फुल कैपेसिटी ले लेते हैं। और एक डेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जब कि पानी कम रहता है और फ्लड टाइम्स में पीक कैपेसिटी या फुल कैपेसिटी मानी जाती है। इसी प्रकार माताटीला में भी बना था। लासेज भी दो तरह के निकाले जाते हैं। एक तो एवापोरेशन लासेज होते हैं जो ऊपर के सरफेस पर होते हैं और दूसरे नीचे सरफेस पर सिल्टिग लासेज होते हैं। शुरू में वह सिल्टिग लासेज शून्य होते हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष जमा होते होते....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री कृष्णपालसिंह—

टेक्निकल प्रश्न है इसलिये विस्तार से कहना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

टेक्निकल बात का जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री कृष्णपालसिंह—

इसीलिए मैं सिम्प्लीफाई कर रहा हूं।

तीस साल में माताटीला में १८९६ मिलियन क्युबिक फीट सिल्ट आ जायेगा और जैसे ही सिल्ट बढ़ता जायगा वाटरहेड गिरता जायगा और जनरेशन का पोटेंशल गिरता जायगा। यह माताटीला की प्लानिंग में मिला। रिहन्द डैम की प्लानिंग में जितने कागजात मुझे देखने को मिले, उसकी मूलभूत प्लानिंग में कहीं सिल्टिग का कंसिडरेशन नहीं किया गया है तो स्लूश गेट्स खराब हो जाते हैं। सिल्टिग की प्राबलेम इतनी हो जायगी कि पावर पोटेंशल गिरता चला जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि रिहन्द की जो प्लानिंग की गई है उसमें सिल्टिग का कंसिडरेशन क्यों नहीं किया गया, अगर किया गया है तो वह ३० वर्ष के अन्दर कितनी सिल्टिग होगी और सिल्टिग को हटाने के लिये क्या प्राविजन किया गया है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे खयाल में रिहन्द में सिल्टिग का प्राविजन है। साधारणतया यह प्राविजन रखा जाता है कि सौ वर्ष में भर जायगा। रिहन्द में भी सौ वर्ष हैं। मैं यह भी बता दूं कि रिहन्द में ४६ करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ, ४० करोड़ भी खर्च नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही है कि शुरू में जो डिजाइन बनाया गया था उसमें खराबी हो गई थी, उस हिसाब से मशीनें लगायी गयीं, इसलिए गेट को कुछ काटना पड़ा और उसकी वजह से जो विदेशी इंजीनियर हैं उन्होंने उसको बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात बिलकुल सही नहीं है, बिलकुल गलत है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि जब प्रदेश के समस्त अखबारों में यह समाचार छपा कि रिहन्द बांध में सिल्टिंग होने के कारण विद्युत उत्पादन को खतरा पैदा हो गया है तो इसका कंट्रेडिक्शन विभाग नें पहले क्यों नहीं किया और अगर उनको इसमें कोई भी शक है तो क्या इसकी जांच हाई कोर्ट लेविल से करवाने का प्रयास करेंगे

श्री राममूर्ति—

अखबारों ने जो छाप दिया यह उनके देखने की बात है, लेकिन जहां तक रिहन्द डैम का ताल्लुक है वह बिलकुल जिस परपज के लिए बनाया गया है ठीक है और अपनी जगह पर ठीक चल रहा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अभी यह बताया गया कि एस्टीमेट इस लिए बढ़ जाते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पांच दस परसेंट का मार्जिन फाइनेन्शियल हैंडबुक में भी रहता है तो कीमतों को नजर में रखते हुये सरकार किस परसेंटेज तक बढ़ना सही मानेगी और किस परसेंटेज तक यह महसूस करेगी कि एस्टीमेट्स गलत हुये और अनप्लांड हुये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एस्टीमेट बनाने में यह भी खयाल रखा जाता है कि परिस्थितियां बदल जाया करती हैं। पूना में पंचम बांध टूट गया तो एक परिस्थिति पैदा हो गई, जिस तरह से बांध बनाया करते थे आगे वह बांध ऐसे बनाये जायं कि उनकी ताकत, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा कर दी जाय, तो नेचुरल है कि जब क्षमता ज्यादा कर दी जायगी तो खर्चा ज्यादा बढ़ जायगा।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द डैम में जो एस्टीमेट्स बढ़े वह किस वजह से बढ़े ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कीमतों के बढ़ने के साथ-साथ और भी बातों का जिक्र किया था। मैंने कहा कि जब कोई प्रोजेक्ट बन गया तो यह नहीं है कि प्रोजेक्ट बन गया तो उसकी देखभाल नहीं होती है। उसकी भी जांच हुआ करती है। नये-नये इंजीनियर्स बुलाये जाते हैं, डिजाइन्स में फर्क किया जाता है और जिस बात की जरूरत समझी जाती है वह किया जाता है और उसके मुताबिक कीमत घटती बढ़ती रहती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि गाइड और सील जो आस्ट्रिया से आने हैं और जिसके लिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है, वह कब तक आ जायेंगे और यह काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने बताया इसमें उनको कुछ थोड़ी सी भ्रान्ति हो गई थी कि शायद फारेन एक्सचेंज की जरूरत इसमें पड़ेगी। लकिन यह उनको लिख दिया गया है कि उसकी जरूरत नहीं है और यह वहां बनकर तैयार हैं। जैसे ही इम्पोर्ट परमिट मिल जायगा, वह आ जायेंगे और यह पूरा हो जायगा। लेकिन इनके न आने से भी कोई नुकसान नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि एस्टीमेट्स में सिल्ट का विचार किया गया है। तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि रिहेड प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स १९६० पार्ट वन उनके पास है, उसको वह पढ़ लें, उस में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। तो वह इस बात को देख लें कहीं उन्होंने गलतबयानी तो नहीं कर दी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं तो फिर कैटेगोरिकली कहता हूं कि सिल्ट जमा होने का है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे गुरुवार के प्रश्न संख्या २० में माननीय मन्त्री जी ने यह बताया था कि इस डैम की मशीनों की खराबी ठीक कराने में कोई खर्चा नहीं हुआ। इसके पहले २१-३-६३ को यह बताया गया था कि सवा दो करोड़ रुपये मशीनों की खराबी पर व्यय किये गये। तो दोनों में से कौन बात सही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपने कौन-सी मशीन की बात कही है, यह तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो सलूश वाली मशीनें हैं उनमें कोई खर्चा हमको नहीं देना है।

श्री हरीशकुमार मंगवार—

इस सलूश गेट के कुछ हिस्सों को काट देने के कारण डैम में सिल्ट आनी आरम्भ हो गई है, तो क्या वह पुनः किसी हाई पावर कमेटी या किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपकी सूचना बिना किसी आधार के है, उसमें कोई तथ्य नहीं है।

एक मंत्री पर गांजा तथा अफीम के तस्कर व्यापार संबंधित भ्रष्टाचार करने तथा श्री नरसिंह नारायण पांडेय के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब मद नम्बर ८....

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वजह है कि बाज-बाज सदस्यों को दो-दो तीन-तीन बार मौका मिलता है और उन्हीं को बगल में बैठे हुए....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। यह बिलकुल निश्चित समझिये कि जो बार-बार मुझे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कहकर बुलायेगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा।

[* * *]

विशेषाधिकार के सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है। अब आप लोग कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। मैं संक्षेप में अपने विचार रख देता हूं।

अनुच्छेद १९४ (१) के अन्तर्गत उपबन्धित है कि संविधान के उपबन्धों तथा विधान मण्डल की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल में वाक् स्वातन्त्र्य है। इस प्राविधान को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि बड़ी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि सदन में कही गई बातों के सम्बन्ध में

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

अन्वेषण की प्रथा डाली जाय। मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन में सम्मानित सदस्य सरकार द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्य की दक्षता, पवित्रता आदि कायम रखने के लिये आलोचनात्मक टिप्पणियां कर सकते हैं और इसकी उनको स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यह सदस्यों का विशेषाधिकार है कि उनकी इस स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यदि विचाराधीन सूचनाओं को स्वीकार कर लिया गया तो कोई भी सदस्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार निर्भय हो कर प्रकट न कर सकेगा। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय के भाषण के सम्बन्ध में बहस हो सकती थी कि उन्होंने कदाचित् नियम २८९ में अंकित मर्यादाओं अर्थात् 'व्यक्तिगत आरोप न लगाना न मान हानिकारक शब्दों का कहना' का अतिक्रमण किया, किन्तु माननीय सदस्यों का कर्तव्य था कि उसी समय व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन यदि उस समय नहीं उठाया गया तो उस घटना के उपरान्त उसी प्रश्न को विशेषाधिकार के रूप में नहीं उठाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं इस आदरणीय सदस्यों का ध्यान खंड ५, नियम ३०० के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। एक बात अवश्य कहूंगा और वह यह है कि जिस वक्त सप्लीमेंट्री बजट या बजट पर सामान्य बहस होती है उस समय मैं समझता हूं कि प्रत्येक मन्त्री को इस सदन में उपस्थित रहना चाहिये जब तक कि उनको दूसरी जगह काम न हो। यह बिलकुल गलत है कि सामान्य बहस में या सप्लीमेंट्री बजट की बहस में मन्त्रिगण यह समझें कि हमसे मतलब नहीं है। प्रत्येक मन्त्री के विभाग के सम्बन्ध में आलोचना हो सकती है, इसलिये उनको मौजूद रहना चाहिये ताकि यदि उनके सम्बन्ध में कोई बात हो तो वे उसी वक्त जवाब दे सकें। इसकी व्यवस्था, मैं आशा करता हूं माननीय मुख्य मन्त्री करेंगी। किसी न किसी वरिष्ठ मन्त्री को रहना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक मन्त्री के विरुद्ध यहां पर आक्षेप रखे गये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुख्य मन्त्री अपना ध्यान देंगी ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे बहुत खेद है कि जिस समय यह विषय यहां पर चल रहा था उस समय मैं इस सदन में उपस्थित नहीं थी। अगर मैं रहती तो शायद यह चर्चा इस ढंग से न हो पाती। मैं यह उचित समझती हूं कि हरएक मन्त्री के सम्मान की सुरक्षा रहनी चाहिये और सरकार का सम्मान भी इसी में है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि अगर कोई शिकायत है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिये। अब मैं खुद ही इस विषय की जांच करूंगी और उसके बाद उचित कार्यवाही करूंगी।

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी है कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने जब किसी मन्त्री के खिलाफ कहा तो उस समय किसी माननीय सदस्य के द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस दिन की कार्यवाही को आपने देखकर यह बात कही है कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा, या शायद है इसलिये यह बात कही या आपने ऐसा अनुमान कर लिया ?

श्री अध्यक्ष—

कायदा यह है कि अगर व्यवस्था का प्रश्न उस समय उठा और जो माननीय सदस्य पीठासीन थे उन्होंने कोई व्यवस्था दे दी तो वह समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

फिर आप बीच में बोलने लगते हैं। यह बड़ा गलत है। दूसरी बात है कि अगर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा तो सदन ने पास ओवर कर दिया। अब हमारे नियम ३०० (५) में यह है कि व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता। इसलिये अब इसको समाप्त किया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठिये। अभी नेकराम जी बोलेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं आप के द्वारा कि कल माननीय गृह मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वह भी इसकी इन्क्वायरी करायेंगे। तो माननीया सुचेता जी सारे प्रश्नों को देखेंगी या....

श्री अध्यक्ष—

शी ओवर राइड्स आल। जब मुख्य मन्त्री कहते हैं कि इसको हम देखेंगे तो किसी और का जुरिस्डिडक्शन नहीं रहता। शी विल गाइड।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि कल होम मिनिस्टर साहब ने इस बात की वजाहत की थी कि वह उस पोर्शन की जांच करेंगे जो गांजे आदि से सम्बन्ध रखता है....

श्री अध्यक्ष—

वह भी ठीक है। उस सब को मुख्य मन्त्री देखेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव दिया है और कार्य-स्थगन का भी प्रस्ताव है। चूंकि वह बिना नोटिस के भी दिया जा सकता है इसलिये उसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने उसे देखा नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं और मुख्य मन्त्री जी का भी कि उन्होंने इस सब की जांच कराने का आदेश दिया है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने यह कहा था कि हमारे दोनों बहीखातों को मंगा कर आप स्वयं अपनी संरक्षता में लें और उसको अपने सामने विभिन्न पार्टियों के नेताओं के सामने सील मोहर कर दें। श्रीमान्, मुझे जो कुछ मालूम हुआ है उसे मैंने लिख कर भेज दिया है कि ठेम्परिंग की....

श्री अध्यक्ष—

आप रिपीट कर रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वह कहने की जरूरत इसलिये नहीं है कि ... (व्यवधान)

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अब वीरसेन जी बोलेंगे। आप बैठ जाइये।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपने इन दोनों प्रिविलेज मोशन्स के बारे में अपनी राय जाहिर की है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने उन दोनों मोशन्स को प्राइमाफेसी प्रिविलेज का प्रश्न माना या नहीं माना?

श्री अध्यक्ष—

नहीं माना।

श्री दीपनारायणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज की व्यवस्था से कई उलझे हुए प्रश्न उपस्थित हो गये हैं, उनको भी आप साफ कर दें। पहला प्रश्न यह है कि एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य पर अगर सीवियर चार्ज लगावें जिससे सदन की प्रतिष्ठा कम हो और दूसरा सदस्य उन पर चार्ज लगावे तो क्या यह सदन के अवमान का विषय नहीं है? यहां माननीय नरसिंह नारायण ने एक मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज लगाया, सोशलिस्ट पार्टी ने उन पर चार्ज लगाया और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी पर, तो यह तीन तरह के चार्जेज हैं जो वे एक दूसरे पर लगाते रहे। तो इससे क्या विशेषाधिकार का या सदन के अवमान का प्रश्न बनता है या नहीं?

दूसरा प्रश्न है बहीखाता लिखने वाला अपने बहीखाते से पाबन्द हो गया। अगर बहीखाते में आपका नाम आ जाय, वित्त मन्त्री का नाम आ जाय, मेरा नाम आ जाय या नरसिंह-नारायण पांडेय का नाम आ जाय और उसमें करप्शन के चार्जेज लगाये जायं, इस तरह का इन-ऐडमिसिबिल डाक्युमेंट जबकि लाया गया तो जबकि माननीय उपाध्यक्ष जी पीठासीन थे तो मैंने तुरन्त व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि यह इनऐडमिसिबिल है। फिर क्यों ऐसी चीज जांच को भेजी गयी, अखबारों में छपी और इस तरह से सदन की मर्यादा तोड़ी गयी? अब या तो इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय और यदि झूठे चार्जेज लगाये गये हैं तो जिसने लगाये हैं उनको दण्ड दिया जाय और अगर चार्जेज सही हैं तो माननीय मन्त्री जी को दण्ड दें। तो यह रांग निर्णय हुआ है, इस पर आप फिर व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, मैं इसे ओवर रूल करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय नरसिंहनारायण ने एक जाली बहीखाता आपके सामने पेश किया और उसका सबूत सोशलिस्ट पार्टी के चार माननीय सदस्यों ने दिया।

श्री अध्यक्ष—

यह उनका एलीगेशन है कि जाली है, सबूत कोई नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र—

जब वह जाली है तो ऐडमिसिबिल नहीं है। पहले वह यह साबित करें कि जाली नहीं है वरना इसपर तहकीकात संभव नहीं है और मैं आपके जरिये से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो तहकीकात का आश्वासन दिया है तो तहकीकात जाली डाक्यूमेंट पर हो नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय जाली बहीखाता या सही बहीखाता तो हम देख नहीं रहे हैं। यदि आप को विश्वास है कि जाली है तो मुख्य मन्त्री से उनके कमरे में जाकर कह दीजियेगा।

माननीय नरसिंहनारायण का एक प्रश्न है, वह यह है कि बही खाते में टेम्परिंग न हो। इस सम्बन्ध में मैंने उनसे कहा था कि वह सील मुहर जो दफ्तर में है वह देख लें और अगर दिक्कत पायें तो मुझे बतलायें, मैं उन कागजात को अपने कार्यालय में मंगा लूंगा आप देख लीजियेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जिस समय बही खाता उपाध्यक्ष महोदय को दिखाने के लिये सदन में लाया था उसके पूर्व उस आदमी के साथ जिसने बहीखाता दिया था मैं गृह मन्त्री के दफ्तर में गया था और उनको सब मामला बता दिया था। मैंने बहीखाते को आपके माध्यम से इसलिये दिया ताकि आप उसकी हिफाजत कर सकें और टेम्परिंग न हो सके।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं कह चुका हूं, आप बेकार परेशान हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आदरणीय नरसिंहनारायण ने जो बहीखाता पेश किया यह विवाद वहीं से उठा। आज जो बात कह रहे हैं, अगर वह मुख्य मन्त्री को बहीखाता दे सकते थे तो दे देते, उन्होंने यहां का वातावरण गन्दा कर दिया। बहीखाता उन्होंने पहले पेश किया, उसके बाद जो हमने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया कि वह बहीखाता जाली है तो उसे आप विशेषाधिकार समिति को भेजे ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस विषय पर कुछ नहीं सुना जायगा, आप सब लोग बैठ जायं। जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसके ऊपर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं और वह मैंने दो दिन यहां पर बहस सुनने के बाद काफी गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त दी है। अतः मेरे निश्चय में अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वह विषय अब समाप्त हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपने व्यवस्था देते हुए कहा था कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के समय या साधारण बजट के समय पर हर एक मद के मन्त्री को यहां रहना चाहिये। उसके बाद अन्त में आपने यह भी कहा कि किसी न किसी वरिष्ठ मन्त्री को रहना चाहिये। इससे आपकी पहले वाली व्यवस्था कि हर मद के मन्त्री को रहना चाहिये, वह समाप्त हो जाती है, तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और उसे स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसमें कहा था कि यथाशक्ति सब मन्त्री रहें, अगर कोई न हो तो वरिष्ठ मन्त्री रहे।

श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया था, जितनी बातें हाउस में हुई हैं और माननीय मुख्य मन्त्री ने उसकी जांच का आश्वासन भी दिया है, उसी के सम्बन्ध में मैंने एक मोशन भी दिया है कि उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। अब अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो उस मोशन का महत्व नहीं रह जाता....

श्री अध्यक्ष—

इस समय यहां कोई प्रश्न तो है नहीं। अब अगर आप कोई प्रस्ताव लाते हैं तो उसको अलग से देखा जायेगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं यह निवेदन करने जा रही हूं कि चूंकि माननीय नरसिंहनारायण जी ने यह शंका प्रकट की है कि किताब को Tamper किया जायेगा और दूसरी ओर दूसरे सदस्यों ने यह शंका प्रकट की है कि किताब जाली है, तो यह अच्छा होगा कि माननीय नरसिंहनारायण जी किताब के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक, अब यह समाप्त हुआ।

कक्षा ३ तथा ४ में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मासिक शुल्क लगाये जाने के संबंध में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

यह अनुभव हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों में जो अंग्रेजी विषय पढ़ते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। जिसके फलस्वरूप वे अखिल भारतीय सेवाओं और विशेषकर सुरक्षा विभाग में अच्छी सफलता नहीं पाते और इस प्रकार इस प्रदेश की बहुत बड़ी हानि हो रही है। भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में जो अपने यहां क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अनिवार्य हिन्दी पढ़ा रहे हैं उन्होंने प्रारम्भिक स्कूलों में ही अंग्रेजी प्रारम्भ कर दी है। जिससे जो विद्यार्थी अंग्रेजी आगे ले वे उस भाषा को भली भांति सीख सकें। इस प्रकार दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुकाबले में अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं और वे अखिल भारतीय सेवाओं में अधिक संख्या में सफल होते हैं।

अगस्त, १९६१ में मुख्य मन्त्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें यह संस्तुति की गई थी कि अंग्रेजी की पढ़ाई महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है इसकी अच्छी तरह जानकारी देश के बाहर जाने वाले और ऐसे विभागों में काम करने वाले जिनका दूसरे देशों से सम्बन्ध है, के लिये अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी की जानकारी विज्ञान, चिकित्सा, उद्योग एवं टेकनोलोजी के लिये भी आवश्यक है। इस सम्मेलन में यह भी संस्तुति की गई थी कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उनको अधिक समय अंग्रेजी के लिये दिया जाय जिससे उनका अंग्रेजी का स्तर गिरने न पाये।

आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों से यह पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि छोटी उम्र के विद्यार्थी आसानी से कई भाषायें सीख सकते हैं और उन पर कोई अनुचित भार भी नहीं पड़ता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि इस प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कक्षा ३ में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारम्भ कर दी जाय।

शिक्षा सत्र १९६२-६३ में उक्त निर्णय के अनुसार ८,७३२ प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा ३ से अंग्रेजी की पढ़ाई आरम्भ हुई। इस विषय को पढ़ाने के लिये आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं था कि नये अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। अतएव यह निश्चय किया गया कि प्राइमरी स्कूलों में जो हाई स्कूल पास ट्रेन्ड अध्यापक हो उन्हीं से अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य लिया जाय।

इस शिक्षा सत्र से करीब ८,००० अन्य प्रारम्भिक स्कूलों में भी कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ाने के आदेश दिये गये हैं। गत वर्ष जिन विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने के आदेश दे दिये गये थे उनमें इस वर्ष कक्षा ४ में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है।

चूंकि अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य उन्हीं अध्यापकों को दिया गया है जो प्राइमरी स्कूलों में अन्य विषयों को पढ़ाते थे, अतएव उनके ऊपर यह अतिरिक्त भार पड़ा। इसलिये शासन ने उनको पारिश्रमिक के रूप में १० रुपया प्रति मास भत्ता दिये जाने का निश्चय किया जो स्थानीय निकायों एवं प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों के प्रबन्धकों से उनको प्राप्त होगा। चूंकि स्थानीय निकायों एवं प्राइवेट प्रारम्भिक स्कूलों के लिये यह सम्भव नहीं था कि वे इस अतिरिक्त व्यय भार को अपने साधनों से वहन करें। अतएव शासन ने यह निर्णय लिया कि स्वेच्छा से अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों से कक्षा ३ में २५ न० पै० , कक्षा ४ में ५० न० पै० एवं कक्षा ५ में ७५ न० पै० प्रति मास शुल्क वसूल किया जाय जो स्थानीय निकायों एवं प्राइवेट स्कूलों के कोष में जमा हो और जिससे वे अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों को १० रु० विशेष भत्ता दे सकेंगे।

अंग्रेजी विषय केवल ऐच्छिक विषय ही रहेगा इसमें असफल होने वाले विद्यार्थी फेल नहीं माने जायेंगे और यदि उन्होंने दूसरे विषयों में सफलता पाई है तो उन्हें ऊपर की कक्षा में चढ़ा दिया जायगा। जो विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं लेना चाहेंगे उनको किसी प्रकार अंग्रेजी पढ़ाने के लिये बाध्य करने का विचार नहीं है।

स्थिति यह है कि अंग्रेजी का पढ़ना स्वेच्छा पर निर्भर है और शुल्क केवल उन्हीं को देना पड़ेगा जो अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे। सब के लिये अनिवार्य नहीं है। अतएव छात्रों की पढ़ाई पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ने की आशंका नहीं प्रतीत होती।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) —

श्रीमन्, हमारे संविधान के आर्टिकल ४५ में यह दिया हुआ है कि —

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

श्रीमन्, एक तो यह है कि हमारे संविधान में इबारत की व्यवस्था है कि १४ साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जायगी। इसके बाद सदन का भी यह निश्चय हुआ था कि हम प्राइमरी एजूकेशन फ्री देंगे। इसके बाद डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने ६ठी कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि संविधान के प्राविजन्स को और सदन के निर्णय को क्या कोई मन्त्रिमन्डल या उसका सदस्य बदल सकता है और उसकी मंशा के खिलाफ ८ या ४ आना फीस अंग्रेजी पढ़ाने के नाम पर लगा सकता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद १७ को अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है सन् १९४७ के बाद १५ वर्ष तक हिन्दी का चढ़ाव रहेगा और अंग्रेजी का उतार रहेगा। हिन्दी का विकास होगा और अंग्रेजी का घटाव होगा, यह संविधान की मंशा थी। और सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी न रहे और हिन्दी ही रहे, यही संविधान की मंशा और मर्यादा है, लेकिन माननीय मन्त्री जी जब कि उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी खत्म हो गई तो कक्षा ३ व ४ में अंग्रेजी पढ़ाने का प्रबन्ध कर रहे हैं, यह संविधान की मंशा और उस की मर्यादा के विरुद्ध है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब कक्षा ३ तथा ४ में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मासिक शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य होने की बात थी तो मासिक

[श्री रघुनाथ सिंह]

शुल्क क्यों लगा इतने तक ही उनका सीमित वक्तव्य होता तो ठीक था, लेकिन यह सब कहना कि इस प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी किस लिये पढ़ाई जाय, विदेशों में हमारे शिक्षित लड़के नहीं चल सकेंगे क्योंकि सारे विश्व में अंग्रेजी का बोलबाला है और साथ ही भारतीय परीक्षाओं में वह नहीं आ पाते है। अंग्रेजी पढ़ाने का लाभ बताने का यह प्रकारन्तर से अवसर क्यों निकाला गया और दूसरे जब काशीनाथ जी कुछ कह रहे थे तो आप का जो रिमार्क हुआ कि 'उधर की बेंचों में ही कुछ खराबी है' यह कहां तक प्रासंगिक, उचित और मुनासिब चीज है, इस पर आप व्यवस्था दें या आप अपने शब्दों को वापस लें कि "इन बेंचों में ही खराबी है"!

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

आप मन्त्री जी से पहले पूछ लें, आप उत्तर न दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इन सब व्यवस्थाओं से एक ही चीज सम्बन्धित है। एक बात साफ है कि जब कोई राज्य सरकार बजट पेश करती है तो वह उस वक्त तमाम रियायतें या छूट देती है और बजट के अवसर पर ही उन की घोषणा की जाती है बजट के अवसर पर यहां यह घोषणा की गई कि सरकार छटे दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा देगी, लेकिन अभी माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस को कबूल किया कि बच्चों को फीस देना पड़ रही है और यह उस आश्वासन के प्रतिकूल है कि जो बजट के अवसर पर दिया गया था। तो क्या इस तरह की चीज को सरकार बगैर सदन को सूचना दिये हुये कर सकती है?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है इस में लिखा है कि कक्षा ३ तथा ४ में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मासिक शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य। तो यह केवल मासिक शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में ही था। अब इसके अतिरिक्त जो और मौलिक प्रश्न उठाये गये हैं कि यह संविधान की दृष्टि से ठीक है या नहीं है, यह सब वह प्रश्नों द्वारा उठायें तो उत्तर मिल जायगा।

श्री रघुनाथसिंह —

ऐसा वक्तव्य क्यों दिया गया?

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

रामपुर में रजा हाकी टूर्नामेन्ट के टिकट सरकारी अधिकारियों द्वारा बेचने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम १० का वक्तव्य होगा।

*विद्युत उपमन्त्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा) —

अध्यक्ष महोदय, रामपुर में आयोजित अखिल भारतीय रजा हाकी प्रतियोगिता के लिये जिले के वादकारी एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा आम तौर से जनता में अवपीड़क ढंग से टिकट बेचे जाने से सम्बन्धित मामला २ सदस्यों द्वारा उठाया गया है, मैं ने इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करवाई तथा मुझे यह मालूम हुआ है कि कथित प्रतियोगिता एक प्रतियोगिता समिति द्वारा संघटित किया गया है जिसके सदस्य सरकारी एवं गैरसरकारी अधिकारी तथा एम० एल० ए०, एवं एम० एल० सी० हैं। जिलाधीश इस समिति के अध्यक्ष हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दान प्राप्ति एवं टिकटों के विक्रय के लिये सरकारी अधिकारी तथा प्रमुख गैरसकारी अधिकारी जैसे कि अध्यक्ष, नगरपालिका, अध्यक्ष, जिला परिषद् तथा नवाबजादा सैय्यद जुल्फिकार अली खां की सेवायें उपयोग में लाई गई हैं। किन्तु पुलिस अधिकारी, जुडीशल अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस के कर्मचारी इस कार्य से बिलकुल पृथक रखे गये हैं। अत: इन लोगों द्वारा टिकट विक्रय अथवा दान प्राप्ति से सम्बन्धित समस्त आरोप बिलकुल असत्य हैं। अधिकारियों ने उन्हीं प्रतिष्ठावान व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया जो स्वेच्छा से इस कार्य में दान देना चाहते थे। अधिकार के दुरुपयोग द्वारा जमानत आदि अस्वीकृत करके अथवा अवपीड़क ढंग से कार्य करने के आरोप निराधार हैं और न इस प्रकार की कोई शिकायत किसी के द्वारा जिला अधिकारियों को प्राप्त हुई, यह भी सत्य नहीं है कि इस के कारण जनता में असन्तोष फैला है।

ऐसी परिस्थिति में श्री रियासत हुसैन एम०एल० ए० तथा बेगम किश्वर आरा, एम० एल० ए० के पत्रों में उल्लिखित आरोप निराधार प्रतीत होते हैं।

उत्तर प्रदेश कार्निियल ग्राफ्टिग विधेयक, १९६३

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना) —

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६३ ई० का उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की एक संयुक्त प्रवर समिति के अधीन कर दिया जाय जो रिपोर्ट सदन के समक्ष तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत करे और जिसमें विधान परिषद् के ८ सदस्य और विधान सभा के १६ सदस्य हों।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) —

श्रीमन्, कापी हम लोगों को नहीं मिली।

श्री दाऊदयाल खन्ना —

यह विधेयक तो पहले कौंसिल के अन्दर पास हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

यहां भी तो बंटना चाहिये। उसकी कापी माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

उसका हक हमें है कि हमें मिले।

श्री अध्यक्ष—

वह हक आपका अवश्य है। (थोड़ी देर बाद) वह मिल चुकी है।

श्री कमलासिंह यादव —

वह मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है आपको न मिली हो, लेकिन वह सब सदस्यों को बंट चुकी।

श्री उग्रसेन —

श्रीमन्, जब सदन न बैठा रहा होगा तब कबूतरखाने में रखी गयी होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, वह कबूतरखाना ऐसा नहीं है जिसमें से कबूतर उड़ जायं। (हंसी)

श्री शारदाभक्तसिंह द्वारा नियम ११३(६) के अन्तर्गत सदन का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव पर निर्णय

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ११३ खंड (६) में एक मोशन दिया था। उसमें लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो लिखकर दे दिया है। उसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, मैं उसे पहले समाप्त कर दूं। वह इस प्रकार है:

"प्रक्रिया नियमावली के नियम संख्या ११३ के उपनियम ६ के अन्तर्गत लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रस्ताव पर विचार करने के लिये प्रस्ताव करता हूं कि अब सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय।

सदन का यह निश्चित मत है कि अनुपूरक अनुदान पर हुई बहस के अवसर पर तथा दिनांक १७ और १८ दिसम्बर, १९६३ के उपवेशनों में श्री काशीनाथ मिश्र एवं श्री नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न सम्बन्धी बहस में गोरखपुर में गांजे के तस्कर व्यापार को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रोत्साहन देने का आरोप तथा प्रत्यारोप जो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों एवं एक मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये उनकी न्यायिक जांच करने के लिये सरकार द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाय।

श्रीमन्, इन दिनों विधान सभा की कार्यवाही का जो वृत्त समाचार-पत्रों में तथा दर्शकों द्वारा प्रदेश तथा देश की जनता में गया है उससे हमारे इस आदरणीय सदन एवं उनके माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा तथा सम्मान को धक्का पहुंचा है और भ्रममूलक धारणा पैदा हो गयी है। अतः आदरणीय सदन तथा उसके माननीय सदस्यों के सम्मान, प्रतिष्ठा एवं गौरव की रक्षा के लिये आवश्यक हो गया है कि एक न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति की जाय जिससे कि वस्तु-स्थिति स्पष्ट हो कर भ्रम समाप्त हो जाय। अस्तु उपरोक्त प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा अवश्य प्रदान करने की कृपा करें।"

अब यहां कार्य के स्थगित करने का प्रस्ताव है। प्रश्न यह है कि किसी कार्य का स्थगन करना एक चीज है और यह प्रस्ताव लाना जरूरी चीज है। आप चाहते यह हैं कि आज का कार्य स्थगित हो और आपका प्रस्ताव रखा जाय। तो ऐसे प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता इसलिये कि उसकी सूचना नहीं है और ऐसा प्रस्ताव नियम ११३ के उपनियम (६) के अन्तर्गत नहीं आ सकता।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती-लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६४—(क्रमागत)

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि अपने देश में आंखों की बीमारियां काफी होती हैं और समय पर इलाज न होने के कारण बाज दफा कार्निया बिलकुल खराब हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि किसी मृत व्यक्ति का कार्निया निकाल कर ग्राफ्ट किया जाय। यह तभी हो सकता है जब लोग अपना कार्निया दान करें तथा बहुत से लोग ऐसा दान पहले से ही

एलान कर देते हैं। हमारे प्रदेश में इसकी कोई सुविधा नहीं है और न सरजरी का इन्तजाम है। उसके लिये व्यवस्था है कि ऐसा कानून बनायें जिसके जरिये से वह चीज आसानी से हो सके। भारत सरकार का निर्णय है कि हर प्रदेश में कानून बन जाय। बम्बई में पहले बना उसके बाद अब हमने कानून बनाने का इरादा किया है और विधान परिषद् में इस सिलसिले में विधेयक पेश किया गया है। परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया है कि दोनों सदनों जी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बने और उस पर विचार फिर हो तीन महीने बाद। तो उसी सिलसिले में प्रस्ताव मैंने पेश किया है और मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव को मन्जूर करेगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) —

मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) —

श्रीमन्, जो प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का है यह अच्छा है तथा जो अपने प्रदेश में कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। परन्तु उसके साथ इसको कैसे कार्यान्वित किया जायगा, या जो शंकायें हो सकती हैं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह विधेयक मृत व्यक्ति की आंखें निकालने से सम्बन्धित है। तो मेरा निवेदन है कि .....

कानून में 'मृत' शब्द की ठीक ठीक परिभाषा हो जानी चाहिये। नहीं तो आगे चल कर उसमें कठिनाई हो सकती है तथा कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मेरा विचार है कि इसकी परिभाषा बिलकुल स्पष्ट इसलिये भी हो जानी चाहिये जिससे किसी प्रकार की कानूनी कठिनाई न होने पाये। "मृत" का अर्थ "मरणासन्न" से भी है। अगर नियमों में कहीं ऐसी परिभाषा होगी तो, फिर ऐसा भी हो सकता है कि मरने की स्थिति में होते ही उसकी आंखें काम में न आवें और जिन्दा में ही आंखें निकाल ली जायेंगी। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि बिलकुल से आदमी न मरे उसकी आंखें निकाल ली जायं। श्रीमन्, जैसा आपको विदित है कि मनुष्य की मृत्यु कई प्रकार से होती है, जैसे पेड़ से गिर कर मरना इत्यादि तो ऐसी दशा में मनुष्य के शरीर में खून रहता है और जब तक खून रहता है तो उस समय तक आंखें काम कर सकती हैं, लेकिन जब पहले आदमी मर गया है और खून भी नहीं है तो सम्भावत : उस व्यक्ति की आंखें निकाल ली जायं। इसलिये यह आवश्यक है कि इसकी डैफिनिट परिभाषा हो जानी चाहिये जिसके आधार पर उसका दुरुपयोग न हो सके। इसके साथ ही साथ जैसी व्यवस्था आई अनक्लेमन्ड (Unclaimed) परसन के बारे में इसका प्रयोग उन केसेज में भी कर लिया जाय।

जहां तक पोस्ट मार्टम का सम्बन्ध है हम देखते हैं कि उसमें तो सारा का सारा शरीर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है भेजा भी निकाल दिया जाता है और और अंग भी होते हैं जिन्हें अलग-अलग कर दिया जाता है, तो मेरे विचार में इस कानून में उसका भी इन्क्लुजन हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) —

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने पेंश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशीय सरकार का यह प्रयास बहुत ही अच्छा है। जैसे रक्त की आवश्यकता दैनिक जीवन में पड़ती है बीमारों और रोगियों की और लड़ाई के मोर्चे पर उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आंखों के विषय में भी जरूरत महसूस होती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो प्रयास किया वह प्रसंशनीय है और उसी के सम्बन्ध में यह विधेयक हमारे सामने पेश किया गया। जिस दशा में यह रखा गया है चूंकि यह एक विषम विषय है इसमें बहुत से एतराजात भी हो सकते हैं और कुछ अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं। अत: जो प्रवर समिति में भेजने का विचार आया है वह बहुत उचित है और मैं उसका समर्थना करता हूं और मैं चाहता हूं कि चूंकि इससे ज्यादा विवाद की जरूरत नहीं है, इसे स्वीकार किया जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया) —

मान्यवर, जिस बुनियादी उद्देश्य से कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसकी भावना का मैं आदर करता हूं। उसके साथ ही मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, पता नहीं वे कहां तक हमारे उन विचारों का, इस बिल पर विचार व्यक्त करते वक्त उसकी उपयोगिता को स्वीकार करेंगे, मैं आग्रह करूंगा कि जहां तक उन्होंने समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की और अपना प्रयास प्रारम्भ किया है वहां एक और प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ भी उनका ध्यान आर्षित करता हूं। वह प्रश्न ऐसे चिकित्सकों की उपलब्धि का है। पिछले दिनों जहां तक मेरी जानकारी है, मान्यवर, केवल १ ही नेत्र चिकित्सा शास्त्र का स्नातक कौर्नियल ग्राफ्टिंग के लिये विदेशों को भेजा गया। नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे क्षय रोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक योजना अपने हाथ में ली, लेकिन उसके बाद आवश्यक टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स उपलब्ध नहीं हो सके और पूरे तौर से हम उस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। जाहिर है जैसे ही हम इस बिल को पास करेंगे जो इस तरह के रोगी हैं उनको एक आशा बंधेगी कि वे भी अन्धकार से प्रकाश की ओर जा सकेंगे, लेकिन अगर हम उनकी आकांक्षा के अनुरूप सुविधा प्रदान कर सके तो यह वांछनीय नहीं होगा ।

जहां तक इस बिल के ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जाने का प्रश्न है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि आई बैंक केवल कागज की चीज न रह जाय, वास्तव में लोग इससे लाभ उठा सकें तो ज्यादा बेहतर होगा।

ऐसी कोई शल्य क्रिया की पद्धति है सब से पहले इसकी जानकारी मुझे उस समय हुई जब समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा कि कोई बहुत बड़ा सेना का अधिकारी बाहर के मुल्क का था और उसकी आंख जाती रही तो तत्काल ही ऐसी व्यवस्था हो गयी, आई रिप्लेसमेंट हुआ और वह आंख ठीक ढंग से काम करने लगी। इसकी महत्ता पर विचार करना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। इसकी आवश्यकताओं से सम्बद्ध जो प्रश्न हैं मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन प्रश्नों के समाधान के लिये तत्काल कोई प्रभावकारी कदम उठाने का प्रयास करेंगे।

श्री दाऊदयाल खन्ना —

जब यह कानून हम बना लेंगे तो उसके साथ ही साथ वे सब कदम भी उठायेंगे जिससे हम उस चीज को अमल में ला सकें और प्रवर समिति के सामने काफी मौका मिलेगा। आंख कैसे निकाली जायगी यह एक्सपर्ट की बात है। यह जरूर है कि इतने समय के अन्दर हम निकाल लेते हैं तो उसके इस्तेमाल की जा सकती है और ज्यादा समय हो जाता है तो फिर बेकार हो जाती है। प्रवर समिति के सामने काफी तफसील के साथ विचार होगा और फिर ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे अमली रूप दे सकें और देश को फायदा पहुंच सके।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६३ ई० का उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ उत्तर प्रदेश विधान मन्डल की एक संयुक्त प्रवर समिति के अधीन कर दिया जाय जो रिपोर्ट सदन के समक्ष तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत करे और जिसमें विधान परिषद् के ८ सदस्य और विधान सभा के १६ सदस्य हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दाऊदयाल खन्ना —

मैं आपकी आज्ञा से जो १६ नाम इस प्रवर समिति में रहेंगे उनको पेश करता हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी, बैजनाथसिंह, डाक्टर जयगोपाल, श्री हरीसिंह, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री केशवसिंह, काजी जलील अब्बासी, श्री बेचनराम जायसवाल,

श्री सूबेदारसिंह, श्री किशोरीलाल अग्रवाल, श्री दाऊदयाल खन्ना, श्री मन्नालाला, श्री शराफत हुसैन, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री रामायणराय, श्री भगवानसहाय । मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रवर समिति के लिये नीचे लिखे नाम सभा की ओर भेजे जायं :—

१—श्री मती सुशीला रोहतगी
२—श्री बैजनाथसिंह वैद्य
३—श्री जयगोपाल
४—श्री हरिसिंह
५—श्री धर्मदत्त वैद्य
६—श्री केशवसिंह
७—काजी जलील अब्बासी
८—श्री बेचनराम
९—श्री सूबेदारसिंह
१०—श्री किशोरीलाल अग्रवाल
११—श्री दाऊदयाल खन्ना
१२—श्री मन्नालाल
१३—श्री शराफत हुसैन
१४—श्री राधेश्याम शर्मा —
१५—श्री रामायणराय
१७—श्री भगवानसहाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय ।

इस प्रदेश में बिक्री-कर की एक बहुत बड़ी धनराशि का बकाया है । सरकार ने प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत भरसक प्रयास किया कि यह धनराशि वसूल हो जाय और माननीय सदस्यों ने भी बहुधा इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया । सरकार की वसूली में कुछ तेजी हो इसके लिये यह सारी जिम्मेदारी बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दी और उनके डिस्पोजल पर कुछ रुपया भी दिया कि वसूली के लिये उनको कुछ और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये जरूरत हो तो वह कर सकें । उनको कुछ और भी अधिकार दिये गये, लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई उत्साहवर्धक परिणाम निकलता नहीं दिखायी दिया । इसलिये सरकार यह महसूस करती है कि कोई कठोर उपाय जब तक नहीं किये जायंगे तब तक वांछित सफलता नहीं मिलेगी । इसी दृष्टि से यह संशोधन विधेयक लाया गया है । इसमें सिर्फ दो बातें हैं जिससे यह समझा जाता है कि वसूली में तेजी आयेगी । कहीं-कहीं व्यापारियों में इस तरह की प्रैक्टिस सी हो गयी है कि वह बिक्री कर की धनराशि को जो वे सरकार के लिये वसूल करते हैं अपने व्यापार में लगा लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है और तरह तरह के बहाने बना कर उसकी वसूली से बचते रहते हैं । इसलिये मुनासिब यह समझा गया कि अगर बकाया धनराशि के ऊपर इतना ब्याज लगा दिया जाय तो उस ब्याज से ज्यादा हो जिस पर उनको कहीं कर्ज पर रुपया मिल सकता है तो जो उनके बीच में यह प्रैक्टिस सी होगयी है वह दूर हो जायगी ।

---

*१६ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री जयराम वर्मा]

और यह देखकर कि अगर रुपया नहीं देते हैं। तो उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा वह अपनी आदतों को छोड़ देंगे इसी दृष्टि से यह किया गया है कि कर निर्धारण के बाद जो नोटिस ब्यापारी को दिया जाता है और जो मांग का नोटिस दिया जाता है उसमें जो समय निर्धारित होता है अदा करने के लिये उसके समाप्त होने से ६ महीने या दूसरा संशोधन विधेयक पेश है उसके ऐक्ट बन जाने के प्रारम्भ से ६ महीने के भीतर जो भी बाद में पड़ता हो अगर बकाया धनराशि वसूल नहीं हो जाती है तो कर निर्धारण और मांग के नोटिस में जो समय निश्चित है उस समय की समाप्ति से या इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने से, जैसी भी दशा हो, बकाया धनराशि के ऊपर १८ प्रतिशत सादा सूद लगेगा। इस सूद की रकम बिक्री कर की बकाया रकम में शामिल हो जायगी और वह इसका एक हिस्सा समझी जायगी। एक उपाय यह किया गया है।

दूसरा यह किया गया है कि अब तक जो यह रकम मालगुजारी की तरह से वसूल होती थी उसकी वसूली में कुछ कठिनाई होती थी और व्यापारी की इम्मूवेबिल प्रापरटी को अटैच करने में कठिनाई होती थी। यह दिक्कत होती थी। इसके द्वारा यह किया गया है कि जिलाधीश को जो अधिकार थे उससे और ज्यादा अधिकार दिये जायं। इसलिये जो इस धारा के अनुसार अधिकार दिये गये हैं उनके अतिरिक्त और अधिकार दिये जा रहे हैं। रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट के अधीन कलेक्टर को जो अधिकार हैं वह दिये जा रहे हैं और दीवानी की डिग्री की धनराशि को वसूल करने के लिये जो सिविल कोर्ट को होते हैं वह भी अधिकार दिये जा रहे हैं। इससे खयाल यह है कि कलेक्टर को वसूली में आसानी हो जायगी।

इन तरीकों से बकाया धनराशि जो पड़ी हुई है और उसमें वृद्धि होती जा रही है वह वसूल हो जायगी और माननीय सदस्यों को जो बार-बार ध्यान दिलाना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं होगी। यह छोटा सा विधेयक है इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात करने की और हो तो वह आगे हो सकती है क्योंकि माननीय सदन को मालूम होगा कि बिक्री कर के संबंध में व्यापारी की कठिनाइयों को देखने के लिये तथा कानून में आवश्यक सुधार के लिये एक कमेटी बनी हुई है जो इस पर विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कमेटी की रपोर्ट सरकार के सामने आ जायगी तो उसके अनुसार जहां संशोधन की आवश्यकता होगी, उस समय और भी बातें जो माननीय सदस्य रखेंगे उस पर विचार करके कार्यवाही हो सकेगी। इसलिये सदन से प्रार्थना है कि इस पर इस दृष्टि से वह विचार करे जिससे बकाया धनराशि आसानी से वसूल हो जाय।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)-

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में उद्देश्य और कारणों में जो बात लिखी है। उसमें तीन बातें स्पष्ट हैं। एक तो बिक्रीकर की धनराशि बहुत बकाया है। दूसरे जो भी सरकार ने बिक्री कर के कानून बनाये उनसे बिक्री कर वसूल नहीं हो रहा है इसलिये इनको काफी कठोर कदम उठाने पड़े हैं। कठोर कदम यह उठाया गया कि व्यापारियों पर जो बिक्री कर बकाया है उनको छः महीने की नोटिस दी जायगी। उसके अन्दर अगर वह देते नहीं हैं तो १८ प्रतिशत का ब्याज लगाया जायगा और वह ब्याज उस मूलधन में जोड़ दिया जायगा। उदाहरण के लिये किसी व्यापारी पर १०० रुपये बकाया है और वह दे नहीं पाता है तो उसको ११८ रुपये देने पड़ेंगे। ११८ बिक्रीकर समझा जायगा। इस तरह से अगर वह कई साल तक न दे सका तो ब्याज दर ब्याज लगता रहेगा।

किसी भी सरकार के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना वांछनीय है, लेकिन उसको व्यापारिक स्वरूप देना, यह मनोवृत्ति उत्पन्न करना कि अगर उसके ऊपर किसी कारणवश बकाया है तो उस धनराशि को मैं अपना धन समझ कर ब्याज लूंगा यह प्रवृति बहुत गलत है। परिणाम यह होगा कि अगर सरकार ने भी इस प्रकार से ब्याज लगाना शुरू कर दिया तो बनिया और सरकार में अन्तर क्या रह जायगा? आप को इस पर विचार करना चाहिये कि व्यापारियों में सेल्स टैक्स से बचने की मनोवृत्ति क्यों पैदा हुई। सेल्स टैक्स कहीं पर सिंगल प्वाइंट है और कहीं पर मल्टिपिल प्वाइन्ट है। कहीं पर कर अधिकारी ज्यादा असेसमेंट कर देता है तो उनको भी परेशानियां हैं। अगर आप उनके ऊपर इतने नियंत्रण लगा दें कि वह बेईमानी करना शुरू कर दें तो यह ठीक नहीं होगा इसलिये आप उन पर पेनाल्टी दें कठोर से कठोर कदम उठाएं और यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ की धारा १४ में पेनील्टीज में दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी अपनी बकाया धनराशि नहीं देता है तो उस पर एक हजार रुपया जुरमाना होगा और ५० रुपये रोज देने पड़ेंगे। जब इतना कठोर ऐक्ट में प्राविधान है फिर भी अगर बकाया रहता है तो इसका मतलब यह है कि आप इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं करते। अगर यह सत्य है कि इतने कठोर नियम बनाने के बाद भी बकाया रह गयी तो क्या गारंटी है कि १८ प्रतिशत ब्याज लगा कर वसूल कर लेंगे? मुझे यह विश्वास नहीं आता कि आप इससे कोई सफलता प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि मैं इस पक्ष में हूं कि कठोर कदम उठाएं, लेकिन यह कठोर कदम नहीं लगा कि आप व्यापारियों से ब्याज वसूल करें। भारतीय जनसंघ का प्रस्ताव था कि जहां से वस्तुओं का उत्पादन होता है वहीं पर टैक्स लगाया जाय तो सारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो सकती हैं। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिये और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजिये। वहां पर सेल्स टैक्स की सारी कठिनाइयों पर विचार किया जाय और देखा जाय कि व्यापारी आखिर क्यों सेल्स टैक्स को चुराने की कोशिश करते हैं प्रदेश पर यह लांछन होगा अगर कोई नागरिक इस प्रदेश के अन्दर रह कर यह सोचे कि हमको प्रदेश की उन्नति में बाधा बन कर टैक्स का रुपया चुरा कर अपनी जेब में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा एक भी उदाहरण मिलता है तो हमको सोचना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है। मैं आपसे वह नम्र निवेदन करता हूं कि आप का कोई भी ऐक्ट ठीक ढंग से नहीं चल सकता अगर प्रदेश के नागरिकों की मनोवृत्ति ठीक नहीं रहेगी।

जो दूसरा विधेयक का अंश है वह यह है कि ब्याज सहित रुपया कर अधिकारी जिलाधीश को दे देगा। इसमें यह तय नहीं है कि जिलाधीश को कब देगा। कितने समय में देगा। यह इस ऐक्ट के अन्दर कहीं दिखायी नहीं पड़ता। ब्याज सहित अगर वह देता है तो इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू की तरह वह वसूल करेगा। उस पर वारन्ट निकलवा कर अरेस्ट करके १५ दिन तक जेल में रख कर और जितना इस सम्बन्ध में खर्चा होगा उसी पर चला जायगा। इस बिल का केवल उद्देश्य पैसा प्राप्त करना है न कि प्रवृत्तियों को ठीक करना है। हर कानून का यह उद्देश्य होना चाहिये कि जो कानून लगाने जा रहे हैं उससे जनता के अन्दर क्या भाव पैदा होंगे वह कल्याणकारी कानून होगा या नहीं? इसमें कोई कल्याणकारी भावना नहीं है केवल एक भावना है कि व्यापारी के पैसे को खींचकर उसकी कठिनाइयों को बढ़ा दें। अगर सख्ती से ऐक्ट का पालन किया गया होता तो इस संशोधन विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जितने संशोधन विधेयक लाते हैं उसका कारण यह है कि जो कानून बनाये जाते हैं उनका सख्ती से पालन नहीं करते। कानून भी ढिलाई से बनाये जाते हैं जिससे जनता का शासन पर विश्वास घटता जाता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें ताकि इस पर विधिवत् विचार किया जा सके और जो इसके अन्दर कठिनाइयां हैं उनके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करके कोई निर्णय ले सकें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ी बातें आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बिक्री कर के बकाये की वसूली होना सख्त जरूरी है और

[श्री जे० पी० मिश्र]

जितनी तेजी से और जितनी सख्ती से वसूली हो सके वही हितकर है। लेकिन श्रीमन्, इस सदन के बाहर जब यह कानून चला जायगा तो इससे उसी इन्साफ के साथ सख्ती बढ़ेगी जिसके साथ अब तक सख्ती बराबर होती चली आयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह साधारण दूकानदार के साथ बरती जायगी।

बकायेदार दो तरह के हैं। एक तो जिनके ऊपर लाखों रुपया बाकी है देना ही नहीं पसन्द करते और किसी तरह से उनसे वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिये यह कानून बड़ा अच्छा है और उनके खिलाफ पूरे तरीके से इस कानून को लागू करने की बात आवश्यक है। इसमें अगर यह भी बढ़ा दिया जाय कि जो लाखों के बकायेदार हैं वह इतने के बाद भी न दें तो उनको उनके खर्च पर जेल भी कर दिया जाय, तो वहां तक मैं इसकी ताईद करता हूं। लेकिन श्रीमान् जो ३० हजार, २५ हजार, १० हजार, १५ हजार के छोटे छोटे दूकानदार हैं उनके लिये तो एक उलझन की बात है। उनके ऊपर असेसमेन्ट जो बिक्रीकर का होता है वह जिला सेल्स टैक्स अधिकारी अगर १५ लाख रुपया हरदोई जिले को देना है तो १५ लाख रुपये को वह पूरे जिले पर बिछा देगा चाहे दूकानदार १० हजार, १५ हजार या ३० हजार का ही क्यों न हो, जिसके लिये कि गवर्नमेन्ट ने एसेस्मेन्ट दिया है। इसके साथ यह भी हिदायत इसलिये हो कि इस किस्म के बकायेदार जो छोटे-छोटे दूकानदार हों उनके बकाये में इतनी सख्ती न हो।

इस कानून को दो दृष्टिकोण से आपको देखना होगा एक तो जो छोटे दूकानदार हैं जिनके ऊपर गलती से बकाया रह गया है, जिनको मौका नहीं मिला है अपील का या जिनकी अपील्स का फैसला ठीक तरह से नहीं हुआ है उनको तो मौका दिया जाय इस बात का कि वह जिस तरह से अपनी किस्तें दे सकें दें। रेवेन्यू की वसूली का मतलब श्रीमान् यह है कि तहसीलदार के हाथ में यह अधिकार रहेगा और तहसीलदार के पास दो-तीन आदमियों को बन्द करने की एक हवालात होती है। मैंने अपनी आंखों देखा है कि बीस-बीस आदमी उसमें भरे रहते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि दो तरीके से दो दृष्टियों से आप इसको देखें। जो लाखों के बकायेदार हो उनके लिए मैं माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं। लेकिन छोटे दूकानदारों से वसूली के मामले पर विचार किया जाय।

दूसरी बात यह श्रीमान् कि १८ प्रतिशत जो ब्याज रखा है वह लाखों के बकायेदारों पर रेट्रास्पैक्टिव एफेक्ट से लगा दिया जाय ताकि जो जान-बूझ कर टैक्स बचाया करते हैं उनको ऐसा करने की हिम्मत न पड़ें। लेकिन छोटे दूकानदार जो बकायेदार हैं उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की ओर से एक जनरल नोटिस प्रसारित करा दी जाय कि एक बार उनके केस को फिर सुन लिया जाय और फिर जो बकाया हो उनसे वह उसी तरह से वसूल किया जाय। १८ परसेंट ब्याज के बारे में माननीय वित्त मंत्री जो सामने बैठे हैं उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्रीमान् क्या महाजनी का विचार आपने बनाया है? १८ परसेन्ट का ब्याज अभी तक कहीं नहीं आया है ज्यादा से ज्यादा जो ब्याज सरकार की तरफ से लिया जाता है उतना ब्याज आप रखते तो अच्छा होता। मैं अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाखों और करोड़ों के बकायेदारों के प्रति आप जरा सख्ती करें ताकि प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना चल सके और कामन मैन आगे ही आने वाले टैक्स से जान बचा सके। बस मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में इतनी ही बातें आपकी सेवा में रखना चाहता था।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई भी कड़ा से कड़ा नियम सरकार बना दे यदि सरकार उनका पालन नहीं कराना चाहती तो उनका पालन कभी भी नहीं हो सकता। यह सेल्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टैक्स की रकम उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पूंजीपतियों पर अधिक बकाया है और सरकार यदि उनसे सख्ती से वसूल करना चाहती तो अभी तक शायद सेल्स टैक्स की रकम वसूल हो चुकी होती, लेकिन यह सरकार उनको राहत देना चाहती है और कड़े से कड़ा नियम होने पर भी यदि सरकार राहत देना चाहती है तो उसके लिये कोई न कोई तरीका और कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। तो सरकार से मेरी यह प्रार्थना है और विशेष कर मंत्री महोदय से कि वह उन व्यक्तियों से सेल्स टैक्स की रकम वसूल करने में किसी प्रकार की राहत न दें जिससे उनके ऊपर करोड़ों रुपया जो हमारा बाकी है वह वसूल हो सके।

दूसरी बात यह है कि आज यह अवस्था अपने देश में नहीं है कि कोई यह कहे कि सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया जाय, लेकिन यह बात अवश्य है कि हमारे प्रदेश में अन्य सीमावर्ती प्रदेशों—पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली की अपेक्षा सेल्स टैक्स अधिक हैं। उनके समान ही सेल्स टैक्स हमारे प्रदेश में होना चाहिये। आज जो भी उद्योगपति यहां पर अपना सामान बनाता है उस सामान का सेल्स टैक्स दिल्ली और पंजाब के मुकाबले में अधिक है। इसलिये उसका सामान यहां पर नहीं बिकता है और दिल्ली तथा पंजाब का माल हमारे प्रदेश में आकर बिकता है। बहुत सा सामान ऐसा है जिसमें यहां पर १० फीसदी सेल्स-टैक्स है और दिल्ली में २ फीसदी है। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जहां पर २ फीसदी सेल्स टैक्स है वह आदमी वहां से खरीदेगा या जहां पर १० फीसदी सेल्स टैक्स देना है वहां से खरीदेगा। जहांपर उसको कम टैक्स देना पड़ेगा वहीं से वह माल खरीदेगा। इसलिये हमारा व्यापार चौपट होता चला जा रहा है। आगरा तेल की बहुत बड़ी मंडी है। हमारे प्रदेश से राजस्थान में तेल के सेल्स टैक्स पर बहुत बड़ा अन्तर है। यही दशा वहां पर भी है। हमारे यहां का तेल उतना नहीं निकल पाता है। राजस्थान से हमारे यहां माल आता चला जाता है। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश की सेल्स टैक्स की दर को अन्य प्रान्तों की दर के बराबर किया जाय जिससे हमारा व्यापार सेल्स टैक्स के कारण जो चौपट होता जा रहा है वह बच सके और हम अपने प्रदेश में आर्थिक उन्नति कर सकें।

इसके साथ साथ मान्यवर यह जो व्याज की बात है व्याज जो आप लगाते हैं उससे मुझे एतराज नहीं है। उससे अधिक भी व्याज आप लगा सकते हैं, लेकिन यदि सूद भी उन्होंने नहीं दिया जिस सूद को आप इस वजह से लगाना चाहते हैं कि उसको प्रेरणा मिले अगर उसको देने की प्रेरणा नहीं हुई और सूद भी दे दिया और असल नहीं दिया या सूद भी नहीं दिया और असल भी नहीं दिया और सेल्स टैक्स की रकम को भी बकाया रखता है, तो ये दोनों रकम बढ़ती चली जायगी। इसके लिये आपने कुछ नहीं बतलाया कि उसको किस कानून के द्वारा गिरफ्तार किया जायगा। उसके लिये आपने कोई सीमा निर्धारित नहीं की, यदि उसने इतने दिनों तक पेमेन्ट नहीं किया तो उसके खिलाफ यह कार्यवाही की जायगी। यह हो सकता है कि वह सूद भी अदा न करे और सेल्स टैक्स की रकम भी अदा न करे। इसलिये आप कोई सीमा निर्धारित कर दें इसके साथ-साथ जो कड़ा से कड़ा आपने कदम उठाने का प्राविजन किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि गरीबों पर इसका बोझ न पड़े इसका अवश्य ध्यान रखें।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार की ओर से जब जब सेल्स टैक्स के विषय में कोई अमेंडिंग ऐक्ट्स आये हैं तब ऐसा मौका हुआ है कि मुझे उनके सिद्धान्तों के समर्थन का अवसर मिला हो। आज मैं यह समझता हूं कि जो अमेंडिंग बिल सदन के सामने है उसके सिद्धान्तों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस सदन में भी इस सिद्धान्त पर एक दृष्टिपात हो सके। क्योंकि इस संशोधन विधेयक की क्या आवश्यकता थी इस पर हमें सोचना है। उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स से वार्षिक रेवेन्यू १६ या १७ करोड़ का है। बम्बई में यह ४५ करोड़, मद्रास में १९ करोड़ है। तो बम्बई में ४५ करोड के रेवेन्यू में एरियर्स कोवर ५

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट]

करोड़ के हैं, मद्रास में १९ करोड़ के रेवेन्यू में एरियर्स १ प्वाइन्ट कुछ करोड़ के है, जिसे डेढ़ करोड़ मान लीजिये, लेकिन उत्तर प्रदेश में १७ करोड़ के रेवेन्यू में एरियर्स हैं ११ करोड़ और सब से अधिक चिन्ता की बात यह है कि पिछले साल या दो साल में यह फीगर ४ या ५ करोड़ से ११ करोड़ पर जम्प कर गयी है। यह सदन के लिये और सरकार के लिये भी चिन्ता का विषय होना चाहिये। जहां मैं इस बात का हामी हूं कि हम सेल्स टैक्स में उपभोक्ता को और दूसरों को सहूलियतें दें वहां मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जो एरियर्स हैं उनको अवश्य वसूल किया जाय।

इसलिये मान्यवर, जहां तक इस बिल के सिद्धान्तों का संबंध है, मैं उसकी आवश्यकता समझता हूं और उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे सरकार से एक बड़ी शिकायत भी है और वह यह कि सरकार ने सेल्स टैक्स के विषय में एक हाई पावर कमेटी बैठायी है। मैं भी उसका एक अकिंचन सदस्य हूं और वह प्रयत्न कर रही है कि प्रदेश का तथा अन्य प्रदेशों के सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर को स्टेडी करे और अपने सुझाव दे। सरकार की मंशा भी ऐसी लगती है कि उसकी सिफारिशों को माना जाय, उन पर ध्यान दिया जाय क्योंकि अभी एक अंतरिम रिपोर्ट उस कमेटी ने सरकार के पास प्रस्तुत की थी जिसमें एक आइटम पर, जैसा कि अभी बालो जी जिक्र कर रहे थे, आयल सीड्स पर सेल्स टैक्स छोड़ने की सलाह थी। प्रश्न यह था कि हमारे प्रदेश में जो आयल सीड्स का ट्रेड है उसको नुकसान पहुंचता था। लोग बाहर से लाते थे और यहां के आयल सीड्स का उपयोग नहीं होता था। उसमें १० लाख रुपये की छूट का मामला था और कमेटी ने सिफारिश की थी कि अन्तिरम रूप में टैक्स को २ पैसे से १ पैसा कर दिया जाय सरकार ने इस सिफारिश को पूर्णरूप में माना लिया। तो उससे पता चलता है कि कदाचित और सरकार उसकी सिफारिशों को मानने का विचार रखती है। तो मैं आशा करता था कि यह बिल लाने से पहले सरकार उस कमेटी को ही कांफीडेंस में लेती तो शायद इस बिल का रूप कुछ और अच्छा हो सकता था। इसमें कुछ और आवश्यक बातें आ सकती थीं।

एक और शिकायत है मुझे मान्यवर, कि हमारा व्यवहार जनता में वही होना चाहिये जो व्यवहार हम जनता से आशा करते हैं। जब हम जनता से इस बात की अपेक्षा करते है कि वह अपने एरियर्स समय से दे और मै स्वागत करता हूं इस के लिये पैनल प्राविजन्स का उनको वसूल करने के लिये तो साथ ही सरकार का कर्त्तव्य था जो जनता का पैसा, लिजिटिमेट ड्यूज सरकार के पास रहते हैं, उनके लिये भी उसी तरह का प्राविजन किया जाता है।

अगर उस कमेटी को भी कानफिडेंस में ले लिया होता। तो उसमें यह सुझाब आ पाता कि सेल्स टैक्स ऐक्ट की जो २९ वीं दफा है जिसमें आपने प्राविजन कर रखा है कि अगर एक आदमी का रिफंड वाजिब है तो उसके लिए प्रार्थनापत्र देना आवश्यक है उसका भी समय निर्धारित कर दिया है कि अमुक समय से दो वर्ष या एक वर्ष के अन्दर अगर प्रार्थना-पत्र नहीं देता है तो वह कभी स्वीकार ही नहीं हो सकता उसमें भी परिवर्तन हो जाता। क्योंकि अगर एक लाख रुपये का रिफंड है तो सिर्फ इसलिये कि ३६५ दिन में न देकर ३६६वें दिन प्रार्थनापत्र दिया तो वह अधिकारी ही नहीं रहा रिफंड का यह कितनी अजीब-सी बात है। क्या आवश्यकता है कि वह प्रार्थना-पत्र दे? इनकम टैक्स ऐक्ट में क्लियर प्रावीजन है कि अगर कोई रिफंड ड्यू होता है तो आटोमैटिक रिफंड वाउचर उसके लिये पहुंच जाता है, कोई प्रार्थनापत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता था कि जैसी माननीय वित्त मंत्री जी की उदार वृत्ति है वह इसमें भी उसका समावेश करते बल्कि अच्छा होता अगर डिपार्टमेन्ट पर भी जिम्मेदारी डालते कि अगर ६ महीने के अन्दर डिपार्टमेन्ट रिफंड नहीं देता है तब डिपार्टमेन्ट भी उत्तरदायी होगा १८ परसेन्ट न सही यह तो काबुली जैसा ब्याज मालूम होता है— ६ परसेंट की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती कोई न कोई प्रतिबन्ध होता ताकि रीजनेबिल लिमिट पर अगर पैसा नहीं मिलता तो उसको भी हक पैदा हो ब्याज लेने को पूछा जा सकता है कि मैंने क्यों संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। मैं अवश्य करता लेकिन मुझे कानूनी कठिनाई थी। इस अमेंडिंग बिल में

हम उन धाराओं के अतिरिक्त जिन में सरकार की ओर से संशोधन प्रस्तुत किय गया हैं किसी और धारा में प्रस्तुत नहीं कर सकते इसके लिए मैंने कोई रास्ता ढूंढ़ने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं देख पाया। इसलिये एक ही चारा रह जाता है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं कि वह स्वयं ऐसी चीज इस बिल में ले आयें। अगर यह एक काम्प्रिहेंसिव बिल की शक्ल में आया होता तो ज्यादा उचित होता

मान्यवर, अगर मंत्री जी मुझे इजाजत दें तो मैं इससे भी एक कदम आगे और जाना चाहता था। इस बिल में यह है कि जो असेस्ड अमाउन्ट है जो रुपया किसी व्यक्ति के ऊपर तशखीस हो जायगा उसके ऊपर व्याज का आपने पीनल प्रावीजन रखा है। लेकिन कभी-कभी असेसमेन्ट में ४–४ साल लग जाते हैं। उस व्यक्ति ने रुपया उपभोक्ता से वसूल कर लिया वह ट्रस्ट का रुपया है उसको अधिकार नहीं है उसे इस्तेमाल करने का अगर निरधिकार उसको रख लिया तब एक दुरुपयोग हो गया तो मैं तो यहां तक तैयार हूं कि अगर मंत्री जी चाहें तो विटनेस हम दाखिल करते हैं तीन महीने के बाद उससें जो टाइम हो उसके अनुसार टैक्स अगर समय पर दाखिल न किया जाय तो उस पर भी आटोमैटिक टैक्स लग जाना चाहिये। अब प्रश्न यह हो सकता है कि इन्टरेस्ट की दर क्या हो ? माननीय मंत्री जी ने १८ प्रतिशत प्रस्तावित की है। मुझे ऐसा लगता है कि यह कुछ अधिक है। इसको हम इस दृष्टि से ही केवल न देखें कि यह एक सजा भी है, किन्तु अनुपात से यह ज्यादा है। अगर १२ प्रतिशत हम कर दें तो यह कुछ दूसरे ऐक्टों के तत्सम्बन्धी प्रावीजनों के अनुकूल होगा और वह अनुपात की दृष्टि से भी उचित होगा।

अभी यह कहा जा रहा था कि हमारे यहां कुछ अन्य करों की दरें भिन्न हैं तथा दूसरे प्रदेशों में भिन्न हैं। श्रीमन्, इसी आदरणीय सदन में एक क्वाइश्चानायर बना कर वितरित किया गया था जिसमें कई प्रश्न थे, मगर जो हाइ पावर कमेटी इस संबंध में सारे विषयों पर विचार कर रही है, उसके सामने ५ प्रश्नों से ज्यादा के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। अब भी समय है, माननीय सदस्यों को अपने सुझाव भेजना चाहिये, उन पर विचार हो सकता है।

इस बिल में दूसरी बात यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत किसी डिग्री को वसूल करने के जो अधिकार होते हैं, वही अधिकार अब इस टैक्स को वसूल करने के कलेक्टर को दिये जा रहे हैं। अभी तक लैंड रेवेन्यू की तरह से एरियर को वसूल करने का अधिकार था। हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि तहसीलों में बड़ी गड़बड़ी होती है। इन सारी बातों को देखते हुये नयी बात यह की जा रही है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार जिस तरह से डिग्री एक्जीक्यूट हो सकती है वही अधिकार कलेक्टर को दिये जा रहे हैं। यह ठीक है। मैं समझता हूं कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि अगर कोई रुपया वाजिब हो जाय तो वह वसूल न किया जाय और किसी कानून की खामी या कमी की वजह से उसके वसूल करने में कोई दिक्कत हो। इस अधिकार के न होने से कभी-कभी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी उपस्थित हो जाया करती थीं, वह अब नहीं हो पायेंगी। मैं समझता हूं कि इसका परिणाम ऐसेसी के हक में ही होगा क्योंकि अब तक जो उनकी जायदाद वगैरह एकदम नीलाम कर दी जाती थी, वह अब अधिकारी अगर चाहेगा तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके भी वसूल कर सकेगा। मैं इसको सर्वथा उचित और आवश्यक समझता हूं। तो इन दोनों कारणों से मैं इस बिल का सिद्धान्ततः और पूर्णतया समर्थन करता हूं, लेकिन अपने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल में जो सबसे बड़ी कमी रह गयी है और जिसकी ओर मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है उसको वे दूर करने की कृपा करें आज, कल या जब भी यथाशीघ्र हो सके।

श्री ऊदल—

मान्यवर, बहुत मुद्दत के बाद माननीय मंत्रीजी ने इस तरह का बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, जब हम प्रदेश की ७५ फी सदी किसान जनता से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपना लैंड रेवेन्यू कायदे से अदा कर दें और अगर आप लैंड रेवेन्यू के कागजात देखेंगे आप को मालूम होगा कि ९५ से ९८ फीसदी गरीब किसान उनको अदा कर देता है। बहुत कम

ऐसे केसेज होते हैं जिनमें उनको पकड़ कर बंद करना होता है । अगर किसान कोई किस्त नहीं देता है तो सरकारी अमीन और चपरासी उसको बंदूक के साथ पकड़ कर साफे में बांधकर हवालात में ले जाते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सदन के माननीय सदस्य किसान के साथ होने वाली ज्यादती को यहां भूल जाते हैं और उसके विरुद्ध अपने विचार प्रकट नहीं करते । इसके बाद उसको ले जाने में और उसके खाने में जो खर्चा होता है उसको भी लैंड रेवेन्यू के साथ जोड़ कर उसी से वसूल किया जाता है । फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि १८ प्रतिशत सूद का विरोध क्यों किया जाता है । यह सूद नहीं जुरमाना है और जिस प्रकार से मालगुजारी के साथ किसान से वसूल किया जाता है उसी प्रकार से उनसे भी वसूल किया जाना चाहिये ।

इस तरह के विधेयक को बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था । इसलिये कि बिक्री कर वसूल करने वाली जो मशीनरी है वह काफी निकम्मी है । हर साल की फिगर्स आप देखें तो आपको मालूम होगा कि किसी साल भी २८ या २६ प्रतिशत से अधिक वसूल नहीं हुआ है । नतीजा यह है कि सेल्स टैक्स देने वालों पर प्रदेश की आमदनी का करोड़ों रुपया बकाया है । कानपुर के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने साढ़े चार प्रतिशत पर सरकार से रुपया लिया और निश्चित समय पर अदा नहीं किया । उन्होंने न सूद दिया और न रुपये की किस्त अदा की । सरकार हर मौके पर सदन से कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है और रुपये की वह मांग करती है लेकिन जो बकाया है उसको वह वसूल नहीं करती । मैं तो कहूंगा कि इसमें और भी अधिक कड़ा प्रतिबंध रखा जाना चाहिये था और जिस तरह से किसान को बांधा जाता है इन लोगों को भी बांधने के लिए कोई प्रावीजन होना चाहिये । क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाया ? क्या मंत्री जी इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हैं कि किसी का चालान भी किया गया हो प्रश्नोत्तर के समय जब मंत्री जी से इस बारे में पूछा गया तो वे टाल गये । उन से पूछा गया कि किसी के ऊपर वारन्ट इशू कराया या किसी को गिरफ्तार कराया, तो मंत्री जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है । मैं चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा सख्ती उन के साथ होनी चाहिये जिनके ऊपर ११ करोड़ रुपया बकाया है वह कोई गरीब लोग नहीं हैं, यह लाखों रुपया चुराने वाले लोग हैं और बड़े तिकड़मी लोग हैं । उन के यहां ३–४ बहीखाते होते हैं इस को माननीय सदस्यों को समझना चाहिये और जिस बहीखाते से वह सरकार को हिसाब समझाते हैं वह दूसरा होता है और जो सही बहीखाते होते हैं वह उनके गोदामों में छिपे बन्द रहते हैं । मैं मांग करूंगा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि जिस से सही आंकड़े सरकार के सामने आ सकें और बिक्री-कर की वाजिब रकम उन पर आयद होकर वसूल किया जा सके और उस को बहुत कड़ाई के साथ वसूल किया जाय और देखा जाय कि कहां यह कर लोग इवेड करते हैं । बहुत सी फर्में ऐसी हैं कि जिन को बिक्री-कर लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं होती और वह उनसे बिक्री-कर लेते हैं । आजकल भारत सरकार की तरफ से ज्ञापन भी निकल रहा है कि जो दूकानदार बिक्री-कर लेने के अधिकार नहीं हैं उन से उपभोक्ताओं को कैशमेमों मांगना चाहिये । मैं कहता हूं कि इस से भी वह चीज रुकती नहीं, विभाग को चाहिये कि वह अपनी तरफ से घोषणा करे कि इस जिले में कितनी बिक्री-कर देने वाली फर्म हैं और वही बिक्री-कर लेने की अधिकारी हैं । तब उपभोक्ताओं को सही तसवीर मालूम हो जायगी कि कहां बिक्री कर देना है और कहां नहीं देना । लेकिन जो ज्ञापन निकल रहा है उससे गरीब का कोई लाभ नहीं होगा जो कि हर जगह लुटता है ऊपर से नीचे तक । जितना रुपया बिक्री कर का सरकार को मिलता है उस से कई गुना उपभोक्ताओं से आज वसूल किया जा रहा है । घोषणा हो जाय तो यह निजी लाभ की जो वसूली हो रही है वह बन्द हो जाय । इसलिये वारंट और बन्द करने का प्राविज : उन के लिये आप को रखना चाहिये । वैसे मैं इस संशोधन विधेयक के लिये मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन इस के बारे में हमें इस के हर पहलू पर विचार करना चाहिये, जो कमेटी बैठी है उसी से पूर्ति नहीं होगी हमें इस के हर पहलू पर विचार करना होगा और गम्भीरतापूर्वक यदि हम विचार करेंगे तो उस से सरकार की आय बढ़ेगी, घटेगी नहीं ।

इस से मैं जरूर सहमत हूं, और अग्रवाल जी ने ठीक कहा, कि जिन के रिफंड के मामले हैं वह जायज बात है, बड़े हों या छोटे हों जिन का रिफंड होना है वह जल्द होना चाहिये । लेकिन

एक बात में जरूर अर्ज करूंगा कि बिक्री-कर के अलावा सरकार का बहुत सा रुपया बकाया है । हमारे जिले में सोडाऐश फैक्टरी है उस की रिपोर्ट आप देखें, और सदन में कई बार वह सवाल उठा है, परन्तु वह इतने बड़े आदमी हैं कि वह न तो सूद का रुपया ही दे रहे हैं और न किस्त ही दे रहे हैं । बहुत से ऐसे लोग कानपुर में भी हैं जो बहुत बड़े बकायादार हैं इसलिये जो रुपया आप का सेस का या दूसरी मदों का भी बकाया है उसकी वसूली के लिये आप को सख्ती से प्रभावकारी कदम उठाना चाहिये ताकि वह समय से वसूल किया जा सके । उन के खिलाफ बन्द करने की और वारन्ट की कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं माननीय जगदीशशरण जी की सिवा एक १२ प्रतिशत वाली बात के और सब बातों से सहमत हूं और अंत में इस संशोधन बिल का स्वागत करता हूं ।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक आया है उसका मैं स्वागत करता हूं मगर मैं यह समझता हूं कि इसमें अभी उतना अधिक और उपयुक्त सख्ती नहीं रखी गयी है जितनी अपेक्षित है । इन लोगों से बिक्री-कर वसूल करने के सम्बन्ध में जो बातचीत हुई उससे ऐसा लगता है कि मानों वह बिक्री-कर अपने पास से देता है । वह चाहे जितना बेचे न वह अपने लाभ में से देता है और न अपने पास से, बल्कि हर बिक्री पर ऐडीशनल सेल्स टैक्स होता है जो कि उपभोक्ता से वसूल किया जाता है । वह उसको रखे रहता है । तो दूसरे की रकम वसूल करके अपने पास रखें और उसको भी सरकार को न दें तो उसके लिये इसका प्राविजन अपने स्थान पर इतना कड़ा नहीं है जितना कि अपेक्षित है । आप देखें कि जिस तरह से पैसा वसूल किया जाता है और अपने पास रख लिया जाता है, एक तरह से यह कानूनी अधिकार सरकार की तरफ से उनको मिला हुआ है कि वे रकम वसूल करके अपने पास रखे हैं मैं कहूंगा कि उस व्यापारी को, कम से कम जितना सरकार समझती है कि उसने वसूल किया है, उतनी रकम जमा कर देनी चाहिये थी, किन्तु वह उसे भी नहीं करता है । माननीय जगदीशशरण जी ने कहा कि कई तरह के व्यापारी हैं । कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से या असेसमेंट ज्यादा हो जाने की वजह से पैसा न दे पावें मगर ऐसे लोग कम ही होंगे । अगर ऐसे लोग ज्यादा भी हों तब भी मैं कहूंगा कि इसमें ग्रेडेशन होनी चाहिये । बाकी रकम का एक बेसिक मानकर, १० हजार, २० हजार रुपया या जो भी मुनासिब समझा जाय उसको आधार मानकर यह जो सूद की रकम है उसको लगाया जाय । मेरा कहना यह है कि १८ फीसदी ही न रखकर उसको बढ़ाकर २५ फीसदी तक रखा जाय । ५ हजार या १० हजार तक ऐसे हों जिनको आप चाहें छोड़ दें या ५ परसेंट या २ परसेंट कर दीजिये । उसके बाद ५० हजार तक १८ परसेंट और उससे ऊपर २५ परसेंट चले । इसलिये कि जो बहुत छोटे व्यापारी हैं जैसा कि बालो जी ने अभी कहा था कि कानून जब बनता है तो ऐसा लगता है कि वाकई सख्त कानून बन रहा है मगर बाहर जाते-जाते वह कानून ऐसा हो जाता है कि उसका पूरा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । तो मैं कहूंगा कि अगर किसी कानन का कार्यान्वयन ठीक से नहीं होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता । हमारे यहां जितने भी कानून बनते हैं किसी में कुछ खराबी हो सकती हैं बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर से विधान सभा से जो कानून पास हो कर निकलते हैं वह अपनी जगह पर ठीक लक्ष्य के लिये ही होते हैं मगर जो इन्एफीशियेंसी और भ्रष्टाचार हर कानून के साथ लग जाता है वह हमारे समाज में इतना आत्मसात् हो गया है और वह इस स्थिति में पहुंच गया हैकि मानों भगवान का स्वरूप हो, मुझ में, तुझ में, खड्ग, खम्भ में सब जगह व्याप्त है ।

सब में भ्रष्टाचार और इनएफीशियेंसी बढ़ी हुई । सूद के साथ बकाया रकम ११ करोड़ की जगह २०, २५, करोड़ हो जायगी । यह घटेगी तब तक वसूल होगी और वसूल तब तक होगी जब अफसर सख्ती करेंगे और वह सख्ती तब करेंगे जब वे नाखुश होंगे । और अगर अफसर सख्ती कर गया, लेकिन पूरी चैन में से एक भी प्रसन्न रहा तो वसूली रुक जायगी । इसलिये वसूली के बारे में निवेदन है कि हर जगह पर सख्ती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीपत मिश्र]

से वसूल किया जाय और कुछ छोटे लोगों को ५,००० रु० के नीचे वालों को छूट दे दें तथा बाकी ऊपर के लोगों से सूद की रकम और बढ़ाकर वसूल की जाय। आप २५ फीसदी तक इसको बढ़ाइये ।

जो असेसमेंट करने का विभाग है और जो न्याय विभाग है उसका भी उपाय होना चाहिये और वह यह कि न्याय करने वाले अधिकारी आपके अधिकार के बाहर हों क्योंकि इस समय जो स्थिति है, जो आपके ऐडीशनल कमिश्नर्स हैं वह जुडिशियल भी हो जाते हैं और रिवीजन का फैसला भी करते हैं और वह इंटरचेंजेबिल पोस्ट्स है इसलिये लौट कर फिर ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आ सकते हैं। नतीजा यह होता है कि वे अफसर जुडिशियल जाब पसन्द नहीं करते हैं बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव साइड ज्यादा पसन्द करते हैं और हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि यहां का जो हायेस्ट अफसर है सेल्स टैक्स विभाग का उसको प्रसन्न रखें और इसी वजह से वह यह भी करते हैं कि अपने फैसलों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है । इसलिये न्याय करने वाले स्वतंत्र रहने चाहिये, आपके ऐडमिनिस्टेटिव कंट्रोल से स्वतंत्र होने चाहिये ताकि असेसमेंट और उसकी अदील न्यायतः हो सके । पहले सिविल कोर्ट के अधिकारी सेल्स टैक्स जज हुआ करते थे । पहले सोलह थे लेकिन अब केवल सिविल कोर्ट का एक जज रह गया है बाकी सब डिपार्टमेंटल लोग आ गये हैं जो ऐडमिनिस्टेटिव साइड में आने की सदा इच्छा रखते हैं । इसलिये न्याय की व्यवस्था हो जो स्वतंत्र हो । इस प्रकार मेरे दो सुझाव है । पहला यह कि न्याय कि व्यवस्था स्वतन्त्र हो, न्याय करने वाले फिर से ऐडमिनिस्टेटिव जाब में न लिये जा सकें । दूसरा यह है कि टैक्स का जो आपने सूद रखा है तो छोटी रकम वालों को छोड़कर, यानी १, २ हजार वालों पर सूद न हों, उसके बाद वालों के लिये सूद की दर बढ़ाये चले जाइये और २५ परसेंट तक कर दीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है और उसको सख्ती से वसूल कीजिये । इस बकाया को वसूल न करना हमारे लिये शरम की बात है । १६–१७ करोड़ में से ११ करोड़ बाकी पड़ा हो तो उससे ज्यादे अफसोस की बात नहीं हो सकती । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्र जुडिशियरी को ध्यान में रखते हुए इसको वसूल किया जाय ।

श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और इस पर काफी मुद्दत तक विचार किया जाय क्योंकि यह बिल बहुत ही गम्भीर है और इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है । मेरा आपसे मान्यवर यह निवेदन है कि जब तक आप इसकी इब्तदा पर नहीं जायेंगे कि यह चोरी कैसे होती है, चोर को नहीं पकड़ेंगे तो वह चोर डाकू बन जायगा । वास्तव में इसकी चोरी होती है जहां पर दो बहीखाते बनते हैं। मेरी भी छोटे-छोटे व्यापारियों से बातचीत होती है तो वे लोग कहते है कि हम को मजबूरन चोरी करनी पड़ती है । जितने भी आपके सेंल्सटैक्स आफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हैं उनको देखिए कि वे कितने ठाट-बाट से रहते हैं, दूसरी चोरी में उन्हें वहां से सफलता मिलती है। जब वे एक चोरी में सफल हो जाते हैं तो उनका मन बढ़ता है। आधी तो आफिस से चोरी करते है और जो आधा रह गया वह बड़े-बड़े आदमियों की पनाह से चोरी करते हैं। इस देश, भारतवर्ष में, जहां के ७५ फीसदी किसान कितनी बड़ी तादाद में मालगुजारी अर्थात् २४–२५ करोड़ देते हैं आज बताया नहीं जा सकता कि उन पर एक करोड़ या १ लाख बकाया है। किसी-किसी ने तो ९९ प्रतिशत दे दिया है। क्या वजह है ? आपके जो सेल्स टैक्स आफिसर हैं वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बैठते हैं और बिक्रीकर वाले जितने भी हैं वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ज्यादा हैं और तहसील लेविल पर तो बहुत कम हैं। इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ही नहीं बल्कि मंत्रियों का भी शरण में आते हैं और यह लोग छटकारा देते हैं। बहुत

लोग कहते हैं कि सेल्स टैक्स मंत्रियों पर भी बाकी है । तो जब वे नहीं देते तो और लोग क्या पालन करेंगे । अलीगढ़ जिले के कुछ लोगों ने चाहा कि किसी तरह से हम को मोहलत मिल जाय । उन्होंने यह भी बताया कि जब बुलन्दशहर में मोहलत श्री बनारसीदासजी ने दिला दी, तो एक सरकार में २ कानून कैसे हों ? वाकई अगर मोहलत मिली है तो साफ जाहिर है कि जितने भी बिक्री-कर देने वाले हैं तो ये जिलाधीशों और जिला स्तर के अधिकारियों की शरण में रहते हैं और जहां उनका स्तर ऊंचा हो वे मंत्रियों और सरकार की शरण में रहते हैं । आप यह बात न समझें कि यह दुनिया बड़ी सजग है, और यह भारत बड़ा सजग है । विरोधी दलों से किसान भी सजग है । किसान लोग इस बिक्री-कर की वसूली में तबाह हैं । इतना बिक्री-कर बकाया है कि इसके लिये जो मजदूर हैं वह आन्दोलन शुरू कर देगा । इतने करोड़ रुपये बकाया हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी योजनाएँ असफल हो रही हैं । तो धन वालों से यह रुपया वसूल क्यों नहीं किया जाता ? मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह यह आश्वासन देंगे कि बकाया बिक्री-कर इतनी मुद्दत तक वसूल हो जायगा । यह जो कहा जाता है कि कड़ा नियंत्रण है और व्याज दर व्याज वह ४० करोड़ वसूल होगा तो इस गप्पबाजी से समस्या का हल होने वाला नहीं है । लिहाजा अब मंत्री महोदय कड़ाई के साथ बिक्री-कर वसूल करके सदन को जानकारी करायेंगे । १०,२० लाख रह जाय तो और बात है, लेकिन १६ करोड़ में ११ करोड़ वसूल न हो यह बड़ी शर्मनाक बात है । इतना तो आपका आफिस पर खर्च हो जाता होगा । कितने मुकदमें बिक्री-कर में चोरी करने वालों के खिलाफ चलाये गये ? यह जो सफेदपोश बाबू हेडक्वार्टर पर हैं उसमें कितनों पर चालान किया गया ? बिक्री-कर आफिसर जिला लेविल पर जिलाधीश से मिल गया और उसको आप कोई सजा नहीं दे पाते तो आपका यह कानून बेकार है ।

आप यह भी व्यवस्था कीजिये जिलाधीश के लिये कि इतनी मुद्दत के अन्दर बिक्री-कर वसूल हो जाय । क्या इस बात की चर्चा होती है कि कितना बिक्री-कर बकाया है जिले में, जिलाधीश उसकी वसूली के लिये आपको क्या आश्वासन देता है ? क्या यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार नहीं है जब कि धनपतियों से बिक्री-कर वसूल नहीं होता है और गरीबों की देहातों में लैंड रेवेन्यू न देने पर उसकी बछिया तक कुर्क हो जाती है ? इसके अलावा जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं उन पर बिक्री-कर बहुत ज्यादा है, इसका असर गरीब पर पड़ता है और बहुत से गरीब बिक्री-कर से तबाह हैं । मेरी निहायत अदब से दरख्वास्त है कि छोटे दूकानदार पर कम कर दें । अगर छोटा दूकानदार नहीं होता है तो या तो आप बिलकुल साफ कर दीजिये ।

आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं कि आप बिक्री-कर के सम्बन्ध में पालिसी तय करें, इसे प्रवर समिति में भेजें और एक निश्चित अवधि मुकर्रर करें कि इतनी मुद्दत तक बिक्री-कर वसूल हो जायगा और फिर सदन को अवगत करायें ।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन बिक्री-कर के सम्बन्ध में पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । जो सूद की दर रखी गयी है वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, कर की वसूली में सख्ती होनी चाहिये, लेकिन इस बात का भी लिहाज रखना चाहिये कि अगर इसके सम्बन्ध में रिट दाखिल हो गया तो हाई कोर्ट से १८ परसेंट पेनल समझ लिया जायगा । आप अपने अमेंडमेन्ट में सिविल कोर्ट को भी ला रहे हैं तो वहां भी डिग्री जब जाती है तो रिओपेन हो जाती है और यह विचार होने लगता है कि जो इंटरेस्ट लगा है वह पेनल है या नहीं ।

दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स वसूल क्यों नहीं होता ? असल में हर जिले में करीब-करीब ९० परसेंट तो ऐसे हैं जिन पर सौ से ढाई-सौ रुपये तक लगते हैं और १० परसेंट ऐसे हैं जिन पर ४ हजार से लगा कर ८–१० हजार तक लगता है । बड़े-बड़े शहरों में लाख-लाख, पचास-पचास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री तमेश्वरप्रसाद]

हजार होता है । होता यह है कि रेवेन्यू विभाग अपनी मालगुजारी तो बड़ी सख्ती से वसूल करता है और कोआपरेटिव, ऐग्रीकल्चर और सेल्स टैक्स वगैरह के बकाये को वह समझता है कि कोई बहुत जरूरी नहीं है । बार-बार सेल्स टैक्स आफिसर के यहां से डी० एम० के पास लिखकर जाता है कि वसूल नहीं हो रहा है फिर भी तहसील के लोग इस मामले में बहुत लेथार्जिकल रहते हैं, वसूल नहीं करते या उनको वक्त दे देते हैं । तो अगर वसूल करने वाले लोग ईमानदारी से वसूल करें तो यह बकाया हर्गिज नहीं बढ़ने पायेगा ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक तरफ और दिलाना चाहता हूं । अभी हाई कोर्ट में करीब-करीब १५–२० रिट दाखिल हुये हैं कि जो सूत ३१ अगस्त, १९५८ को स्टाक में बच गया उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन विभाग ने उस पर सेल्स टैक्स लगा दिया है । उसमें कुछ और कानूनी अड़चनें हैं और लोगों का खयाल है कि ये रिट मंजूर हो जायेंगे । अगर ऐसा होगा तो कम से कम हमारे बस्ती जिले में ३–४ लाख रुपये का नुकसान सरकार को होगा । इसलिये जो रिट फाइल हैं उनको देखा जाय और अगर ऐक्ट में कोई खामी हो तो उसको अमेंड किया जाय ताकि जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वह छूटने न पाये ।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि जिस तरह से इन्कम-टैक्स में फैसला होता है और अगर कोई एमाउन्ट रिफन्ड करना होता है तो उस फैसले के साथ ही रिफन्ड वाउचर भी चला जाता है, लेकिन सेल्स टैक्स में दो दो, तीन-तीन साल रिफन्ड पड़ा रहता है और अगर कहीं एक साल बीत गया तो वह खत्म हो जायगा। तो अगर आप अपने एमाउन्ट पर इंटरेस्ट मांगेगें तो इक्विटी यह कहेगी कि आपके जिम्में जो बकाया है उस पर भी आप इंटरेस्ट दीजिये । इसलिये जो रिफंडेबिल अमाउन्ट है उसका असेसमेन्ट आर्डर के साथ रिफन्ड वाउचर बन कर चला जाना चहिये जैसा कि इनकम टैक्स में होता है क्योंकि ऐसा न होने से व्यापारियों में गड़बड़ी होती है । मैं इससे सहमत हूं कि जिन पर टैक्स लगना चाहिये उन पर जरूर लगाया जाय । लेकिन कोई बात ऐसी न करें जिससे जाहिर हो कि जो कानून बन रहा है उसमें बड़ी भारी परेशानी की चीज है । अब दफा १५ और १४ दो सेक्शन्स ऐसे हैं जिनके जरिये से अधिकार दिये गये हैं कि जो एमाउन्ट असेस्ड है उस पर २५ परसेंट लगा सकते हैं । लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया जाता है ? अगर मंत्री जी इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि जितनी सेल्स टैक्स की बकाया पड़ी हुई है उसमें रुपये में चौदह आने भर बड़े-बड़े आदमियों पर है और दो आने भर छोटे आदमियों पर है । जब तक सख्ती नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तवज्जह नहीं देंगे और तहसीलदार इसको ऐज लैन्ड रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कोई भी पैनल क्लाज लगाइये वसूली नहीं हो पायगी ।

इसलिये मैं कहूंगा कि जो वसूल करने वाले लोग हैं उनमें जो करप्शन है उसको रोकिये अगर कोई अपने कोटे का रुपया वसूल नहीं करता है तो उसको बरखास्त कीजिये तब आपकी बकाया वसूली होगी । वरना आप कुछ भी कीजिये वसूली नहीं होगी । इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक को ठीक से पढ़ नहीं सका और अपने पूर्व वक्ताओं के भाषणों को भी नहीं सुन सका । लेकिन जो मंत्री जी संशोधन कर रहे हैं उसके संबंध में मेरी बात सुन लें और शायद मंत्री जी का ख्याल बदल जाय और सदन का भी ध्यान उधर जाय । श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न मंत्री जी से किया था कि जब से इमर्जेन्सी लागू की गई तब से शायद ३१ मार्च तक कितना बिक्री-कर का बकाया है । उसके उत्तर में करीब १० करोड़ रुपया बताया गया था और इस पीरियड में करीब १ करोड़ की वसूलयाबी बताई गयी थी । मझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इमर्जेन्सी पीरियड में भी सरकार बिक्री-कर की बकाया वसूल नहीं कर पा रही है जब कि हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये घर-घर जाकर एक-एक पैसा वसूल कर रहे थे । उस समय सरकार अगर अपना टैक्स भी वसूल न कर पाये तो उससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है । श्रीमन्, मंत्री जी ने वसूलयाबी को तरफ जो कदम उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन वह जब उद्देश्य और कारण को पढ़ते हैं तो ऐसा

दिखायी पड़ता है कि चोर दरवाजा छोड़ देने की पुनः कोशिश की गयी है। अगर सरकार यह अपनी आदत बन्द कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। कोई बात कहिए तो साफ कहिए बहुत कठोर कदम उठाने का जब इस सरकार ने साहस किया तो इसने कहा कि हम १८ प्रतिशत ब्याज लेंगे। देहात में किसान जब पैसा कर्ज लेता है तो वह २५ प्रतिशत ब्याज देता है और फिर चक्रवर्ती ब्याज भी चलता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चक्रवर्ती ब्याज की योजना बनाइये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

सारी पेनाल्टीज के अलावा है यह।

श्री कल्पनाथसिंह—

ठीक है। मैं कहता हूं कि १८ प्रतिशत नहीं १०० प्रतिशत कर दीजिये उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है उन लोगों पर जब तक वसूलयाबी का तरीका उचित न बनाएं। वह जानते हैं कि वसूलयाबी होने वाली नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने विभाग से एक फीगर इकट्ठा करवा लें कि जितना असेसमेन्ट होता है उसका कितना परसेन्ट फिर से बाद में रिवाइज्ड तैयार किया जाता है और हर साल कितनी रकम राइट आफ की जाती है। अगर यह सारे आंकड़े मंत्री जी ने दिये होते तो बड़ा अच्छा होता क्योंकि मंत्री जी यह साहसिक कदम उन लोगों के खिलाफ उठाने जा रहे हैं जो इस सरकार की बदौलत फायदा उठाया करते थे। मंत्री जी की यह मंशा है वरना पैसा दे ग्राहक, धन्नासेठ लोग वसूल करें और सरकार के खजाने में भी न जमा करें, यह किस न्याय की तहत में है, यह मेरी समझ में नहीं आता? मैं लखनऊ के एक होटल में खाना खाने चला गया। तो होटल में लिखा हुआ था बिक्री-कर एक नया पैसा। कोई चीज छूटी ही नहीं है जिस पर बिक्री कर न हो और उसकी वसूलयाबी का यह हाल। मैं कहता हूं कि यह महज उनको डराने मात्र का साधन है, यह संशोधन विधेयक। जैसे किसान जब किसी जानवर को डराना चाहता है तो एक धोखा खड़ा कर देता है आदमी की शक्ल बना कर लेकिन दरअस्ल आदमी खड़ा नहीं होता है। ठीक उसी तरह धोखा मंत्री जी खड़ा कर रहे हैं। दरअस्ल उनकी भावना उनको डरवाने की है, वसूल करने की नहीं है। यह कहने के लिये वह माफ करेंगे। मैंने यह इसलिये कहा कि जहां आप कलेक्टर को यह अधिकार देते हैं कि मालगुजारी की तरह वसूल करे वहीं यह कहते हैं कि किया जा सकता है। "कर निर्धारण अधिकारी अपने हस्ताक्षर से कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है"। यह नहीं है कि अगर निश्चित अवधि के अन्दर वसूलयाबी नहीं हुई तो उसके बाद निश्चित तौर पर भेज देगा। धोखा खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई जानवर टुटपुंजिया होगा तो भाग जायगा। लेकिन अगर सांड़ होगा जो रोज-रोज चरता होगा वह खेत में आकर चर जायगा। थोड़ी दहशत जरूर लगेगी कि शायद यह आदमी बोले और डंडा लेकर दौड़े। उसी तरह से यह कानून बन जायगा। उनको डर जरूर मालूम होगा कि लैन्ड रेवेन्यू की तरह रकम ले ली जायगी। लेकिन जब प्रासेस देखेगा कि अगर कर निर्धारण अधिकारी नहीं भेजेगा तो वह बच सकता है, वह उसकी सारी खुशामद कर डालेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता जब राशन की दूकानों पर बिक्री-कर वसूल होता था उस जमाने में हमारी कांस्टीटुएन्सी में भी दूकानदार थे जहां पर अंगूठा लगाते थे कि इतने का मैंने गल्ला बेचा उस पर भी जब बिक्री-कर निर्धारित किया गया, उतना बिक्री कर उन राशन की दूकानों से भी वसूल नहीं किया गया तो वह कर निर्धारण अधिकारी ने साल डेढ साल के बाद रिवाइज करके एक चौथाई कर दिया। यह एक ऐसा सवाल है जिसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने कर निर्धारण अधिकारी को कम से कम अधिकार दीजिये कि रिवाइज करने का चाहे अधिकार रहे लेकिन एक तारीख जरूर निश्चित कर दीजिये कि इस तारीख के बाद वह रकम जरूर कलेक्टर के पास भेज दी जायगी अगर निश्चित अवधि के अन्दर नहीं रियलाइज होता है तो मैं मंत्री जी को पुनः मुबारकबाद देना चाहता हूं, उसमें कमी जरूर है लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि उन्होंने

श्री कल्पनानाथसिंह—

एक अच्छा कदम उठाया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय बिपिनबिहारी तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वैसे देखने में छोटा बिल है, लेकिन हम यह देखें कि जिस सरचार्ज को लगाने के लिये हमारे प्रदेश में सरकार के खिलाफ इतना बवंडर पैदा हो गया था उसमें पौने छः करोड़ रुपया सालाना वसूल होने वाला था। और इस बिल से सरकार को कोई ११ करोड़ रुपये के लगभग मिल जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल का महत्व बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ यह बात भी है कि इस सदन में अनेक बार इस बात की शिकायत की गई थी कि सरकार जानबूझ कर टैक्सों को वसूल नहीं करती। सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया गया था कि सरकार तो सेठ साहूकारों की साथी है, उनकी हामी है, वह जानबूझ कर इनको नजरअन्दाज करती है। इस प्रकार की शिकायतें विरोधी दल की थीं। मैं समझता था कि आज इस बिल को वह अक्षरशः अपना समर्थन देंगे और इस पर कोई ज्यादा वाद-विवाद न होगा और वह आसानी से पास हो जायगा। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बात तो कहने के लिये हो ही जाती है।

यह जो १८ प्रतिशत सूद लगाया गया है, मैं समझता हूं यह कम है क्योंकि जिन लोगों ने बकाया अभी तक नहीं दिया है अपने टैक्सों का उन्होंने इससे कितना फायदा उठाया होगा? बरसों से वह फायदा इससे उठाते आ रहे हैं। इससे उन्होंने अपना बिजनेस किया और उसका लाभ उनकी पाकेट्स में है। तो यह इसमें इम्प्लाइड है कि जो सरकार न १८ प्रतिशत सूद लगाया है वह यह सोचकर लगाया है कि उन्होंने इससे बहुत मुनाफा कमाया। इसलिये यह सूद कोई ज्यादा नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने ही बड़ी हमदर्दी उसमें दिखायी। मुझ बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि वह इस प्रकार से उनके हमदर्द क्यों हैं। यह बात बिलकुल साफ है कि समाज के अन्दर जिस प्रकार से एक श्रेणी वह थी राजा, महाराजा और ताल्लुकेदारों की जिसने कि गरीबों का शोषण किया था उसी प्रकार से दूसरी श्रेणी हमारे सेठ, साहूकारों की और मिल मालिकों की है जो बेतहाशा शोषण गरीबों का करते हैं और निर्दयी होकर उनके पैसों से अपनी जेबें भरते हैं। तो यह एक कदम है चाहे छोटा ही कदम हो सरकार का, लेकिन मैं इसे एक क्रान्तिकारी कदम समझता हूं। इधर भी अब सरकार की निगाह गई है और मैं समझता हूं कि कोई ११ करोड़ रुपये की बात नहीं है, सरकार आगे भी अब यह सोचेगी कि किस तरह से जनता का शोषण वह करते हैं और अधिक से अधिक फायदा जो शोषण करके प्राप्त करते हैं उसका कितना अंश वह देश की तरक्की, देश के नियोजन में खर्च करते हैं? इसलिये यह बिल निहायत ही अच्छा बिल है, इसकी जितनी ही तारीफ की जाय उतना ही कम है। मुझे तो ऊदल जी की बात पसन्द आयी कि इस बिल में इतना और कर दिया जाय कि मियाद रख दी जाय, एक साल या दो साल के अन्दर एक-एक पैसा वसूल हो जाना चाहिये। इसमें कोई रहम की बात नहीं है क्योंकि वह रुपया वसूल कर चुके हैं, मुनाफाखोरी कर चुके हैं, उनकी पाकेट से वह रुपया इस प्रकार लिया जाता है तो उसमें कोई सख्ती नहीं है। इस प्रकार से इसके महत्व को देखते हुए जल्दी से जल्दी वह बकाया रकम उनसे वसूल की जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं को लेकर के माननीय मंत्री महोदय यह विधेयक सदन में लाये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का भी समर्थन इसलिये करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जो व्यवस्था लाये हैं, वह संभवतः कम है और भी सख्ती करने की व्यवस्था इसके अन्दर होनी चाहिये। वह इस विधेयक से पूरा नहीं होता। अगर श्रीमन्, आप देखें तो इस विधेयक के अन्दर केवल १८ परसेन्ट सूद लेने की व्यवस्था है। जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि एक डराने वाली व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

होगी । तो इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह बात निश्चित है कि कानपुर जैसे शहर में जहां पर सरकार का ५ करोड़ रुपया लोगों पर पड़ा हुआ है वहां पर यह १८ परसेन्ट सूद बढ़ाने की व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है । इससे उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है । यह जो सूद को बढ़ाने वाली व्यवस्था हमारे मंत्री महोदय इस विधेयक के द्वारा करना चाहते हैं उसका असर वसूलयावी पर नहीं होने वाला है । दूसरी व्यवस्था भी मंत्री करना चाहते हैं जिसके अन्दर सी०पी०सी० तथा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धाराओं का प्रयोग किया जायगा । वह निश्चय ही ऐसी व्यवस्था है जिसका आधार वसूलयाबी के लिये आसान होगा । इस आधार पर वसूलयाबी की जा सकती है ।

अभी माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव उपस्थित किया उससे कुछ हमारे माननीय सदस्यों को भ्रम हो गया कि तिवारी जी पूंजीपतियों का उपकार करने के लिये यह प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं । यह उनके समझने की बात हो सकती है लेकिन वास्तव में बात यह है कि यह जो सूद शब्द इसमें रखा गया है यदि इसके स्थान पर पैनाल्टी शब्द रख दिया जाता या दण्ड शब्द रख दिया जाता तो वह ज्यादा उपयुक्त हो सकता था । यह ऐसा शब्द है जिससे बहुत अधिक असर पड़ने वाला नहीं है । १८ फीसदी पैनाल्टी के रूप में उनसे वसूल किया जायगा यदि इस प्रकार की बात रखते तो वह ज्यादा असर डालनेवाली बात हो सकती थी । इस लिये मेरा निवेदन यह है कि सूद शब्द के स्थान पर पैनाल्टी शब्द होना चाहिये । वह पैनाल्टी जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी इच्छा प्रकट की है यदि २५ परसेन्ट भी कर दी जाय तो अच्छा रहेगा । यह उनसे दन्ड के रूप में वसूल की जानी चाहिये । यहां पर इस सूद का शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय तो किसानों के नेता हैं । देखें कि किसान के लिये डी० आई० आर० का प्रयोग करने के लिये कहा गया है कि यदि वह गन्ना नहीं देगा तो उसका प्रयोग किया जायगा लेकिन उन्हीं किसानों की पूंजी जब बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास जमा है तो उसके लिये भी वसूली का कोई प्रबन्ध होना चाहिये । बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने जो किसानों का रुपया जमा करके रखा हुआ है उसके ऊपर इस डी० आई० आर० का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है ? मैं सरकार से मांग करूंगा कि जब गरीबों का पैसा इन पूंजीपतियों के पास जमा है तो उनके एक एक पैसे को वसूल कराने के लिये उनके ऊपर इसका प्रयोग होना चाहिये । उनके लिये भी कोई नियम बना दें कि यदि इतना रुपया वह इतने समय के अन्दर नहीं देंगे तो उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया जायगा । अगर उनके लिये भी डी० आई० आर० में जेल भेजा जाय तथा दन्ड रख दिया जाय तो देखिये कि ऐसा होने पर कानपुर में कुछ लोगों से दूसरे दिन ही रुपया वसूल होने लग जायगा । अब होता यह है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास, सेठ, साहूकारों के यहां घर पर अफसर जाते हैं । सेठ जी कह देते हैं कि मुनीम जी से बात कर लो और वह चले जाते हैं । मुनीम जी उनसे बात करते हैं और चाय पानी से खातिर करते हैं और जरूरत हुई तो लेन देन की भी बात हो जाती है । वह एक रिपोर्ट लगा देते हैं कि वह्यं पर गये थे लेकिन वह मिले नहीं । इसमें जो यह तहसीलदार को आप अधिकार दे रहे हैं तो २००), १५०) वाला भी साधारण कर्मचारी इसमें क्या करेगा ? मेरा कहना है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आप इस पैसे को वसूल नहीं कर पायेंगे । इसके लिये आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा । मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि जब डी० आई० आर० लगा हुआ है और देश को पैसे की आवश्यकता है तो पूंजीपतियों के पास जो पैसा जमा है उसको वसूल करने के लिये हमको कोई रियायत उनके साथ नहीं करनी चाहिये ।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक संशोधन माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है जहां तक इसकी भावना की बात है मैं इसके लिये अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । श्रीमन्, इस विधेयक पर हमारे अनेक सदस्यों ने अपने बिचार प्रकट किये हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केवल भावनाओं को लेकर ही कोई कार्य संपादित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गिरधारीलाल]

नहीं हो सकता । मुझे आशंका है कि इस कानून के बन जाने के बाद भी आपका बकाया वसूल हो सकेगा । जहां तक बकाया के संबंध में ब्याज लगाने की बात है, वह देखने में तो अच्छी है कि ब्याज के डर से लोग रुपया दे देंगे, लेकिन हमारा अधिक से अधिक बकाया बड़े-बड़े फर्मों पर ही है और वे ज्यादातर लिमिटेड फर्म हैं । आप मालगुजारी की तरह से नोटिस देकर किसी व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कंसर्न में आप किसी को इस तरह से जेरबार कर सकेंगे इसके लिये आपको सोचना पड़ेगा और कोई न कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। छोटे दूकानदार तो अपनी प्रतिष्ठा के भय से वह रुपया जरूर दे देंगे । इसके साथ ही जैसा अभी श्रीपत भाई ने कहा, मेरा भी सुझाव है कि इस १८ प्रतिशत ब्याज के लिये दो तरह की कैटेगेरीज होनी चाहिये । ५,००० रुपये तक की रकम तो अलग कर दी जाय और उसके लिये ब्याज की दर भी कम हो, लेकिन जिसके पास इससे अधिक बकाया है, उस पर आप चाहे १८ प्रतिशत ब्याज लगावें या २० या २५ प्रतिशत, उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता । जब आप बकाया वसूल करने में असमर्थ हैं तो जब तक आप इस तरह की दो श्रेणियां नहीं रखेंगे, आप बाकी का रुपया वसूल करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे ।

इसके साथ ही आपको इस बात पर भी बिचार करना चाहिये कि आपके कानून बनाने का मकसद हल हो जाय और दूकानदार परेशान भी न हों । इसके साथ ही जैसा अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है, जिनका पैसा विभाग के पास है रिफन्ड होने के लिये वह फौरन वापस किया जाय । इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अच्छा हो कि एक सर्वे किया जाय और यह देखा जाय कि बिक्री-कर का बकाया किस इंडस्ट्री में ज्यादा है । यह ठीक है कि बड़े कंसर्न्स पर ही ज्यादा बाकी है, लेकिन वह सूत के हैं, या कपड़े के हैं या शक्कर के हैं यह देखा जाय और सर्वे के बाद आप उनके लिये कोई रास्ता निकाल सकते हैं । जहां तक मेरी जानकारी है आपका रुपया ज्यादा शुगर, यार्न आदि पर बाकी है और इसको वसूल करने के लिये अगर आप दूसरे तरीके अपनायें तो ज्यादा अच्छा होगा । जैसे आपका मैनुफैक्चरिंग टैक्स है, जिसे आप इन्डाइरेक्ट रूप में लेते हैं, उसी तरह से इसे सेंट्रल एक्साइज के साथ अगर वसूल कर लें तो उसके बाद आपका बकाया खड़ा नहीं रहेगा । साथ ही आपके पास 'सी' फार्म का बहुत बड़ा शस्त्र है। जो कंसर्न बकाया नहीं दे तो आप फौरन उसका 'सी' फार्म कैंसिल कर दें। अगर वह 'सी' फार्म के अनुसार रुपया जमा न करे तो उसे १० प्रतिशत सेल्स टैक्स देना पड़ेगा और कोई भी कंसर्न इतना टैक्स देकर चल नहीं सकता । तो आप डायरेक्ट वसूल करने के बजाय अगर इंडायरेक्ट तरीके से वसूल करें तो ज्यादा आसानी होगी । मुझे विश्वास है कि जिस दिन सर्वे करवायेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आपके पास टैक्स वसूल करने के इंडायरेक्ट तरीके भी हैं । 'सी' फार्म है, मैनुफेक्चरिंग टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। तो रोज रोज जो बकाया के विषय में सदन में चर्चा होती है उसके लिये एक अच्छा कदम आपने उठाया । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

सदन में प्रस्तुत इस सेल्स टैक्स बिल पर मैं इस प्रकार बिस्मिल्लाह करूंगा कि यह बहुत अच्छी चीज है, टैक्स लगाने से देश अब अमीर होता जा रहा है—

"कर वसूल हो रोज करो यही प्रजातंत्र है,
विनाश की बुनियाद खोदो यही मूल-मंत्र है ।"

अब मैं सदन का ध्यान कमलापति जी की ओर आकर्षित करता हूं—

"कमलापति के त्याग-पत्र से असेम्बली हो गयी सूनी,
मंत्रिमंडल हो गया रंडुवा और इनकम हो गयी दूनी ।
मजलूम टैक्स से मुक्त हो यह मेरा प्रस्ताव है,
क्या है पंचसाला योजना, यह खामख्वाह का ख्वाब है ।"

जो टैक्स का करोड़ों रुपया बकाया है वह तो सरकार वसूल नहीं कर पाती.....

एक सदस्य—एक बढ़िया सा शेर सुनाओ ।

श्री प्रेम सिंह—

क्या यह बढ़िया नहीं था ? एक नहीं ३–३ शेर। हम तो गीदड़ से भी बदतर हो गये, हमारे मिनिस्टर शेर हो गये। क्यों हो गये हैं ? क्योंकि हम लोगों से ज्यादा वेतन पाते हैं अगर हमारी तनख्वाह भी इतनी बढ़ जाय तो हम भी न जाने कहां पहुंच जायं।

अब मैं टैक्स के बारे में कहता हूं। यह बकाया धनराशि वसूल होनी चाहिये और बहुत सख्ती के साथ वसूल होनी चाहिये। चाहे हम हों, अमीर हों, गरीब हों, सब को बराबर कर दीजिये यह मुट्ठा है, यह बराबर है और उंगलियों को बराबर कर दीजिये तो क्या शक्ल बनेगी, कल्पना कर लीजिये। इसी तरह से सरकार सभी को बराबर कर रही है, यह ख्याल नहीं करती कि किससे क्या काम लिया जायगा। ख्याल कीजिये पुराने जमाने का, अगर भगवान राम और धोबी को बराबर कर दिया जाय तो कौन राज्य का काम करेगा और कौन धोबी का ? इसलिये ज्यादा टैक्स न लगाइये कि बिलकुल ही बराबर हो कर नेस्तनाबूद हो जायं। मैं तो इस टैक्स का स्वागत करता हूं और अमीरों की हड्डी-पसली और खून तो चूस ही लिया है और उससे आपका काफी खून बढ़ गया होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा जो मोटे हैं, मेरी तरह भी हैं, उनको भी न छोड़िये, हड्डी क्या बल्कि हड्डी में जो मैरो रह गया है उसको भी बरबाद कर दीजिये। आदाब।

*श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, एक कहावत है देर आयद दुरुस्त आयद। इस संशोधन की बहुत बड़ी जरूरत थी और मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आशा है जब सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने आयेगी तो एक और संशोधन विधेयक बहुत शीघ्र ही वह यहां लायेगी। कहीं यह भी ताज्जुब नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट आने पर इस तमाम सेल्सटैक्स को जड़ ही खतम हो जाय। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज करोड़ों रुपया लोग हजम किये बैठे हैं जो एक तरह से इम्बैजिलमेन्ट ही है। परसों एक सवाल पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में कितना सेल्स टैक्स लगाया गया और कितना वसूल हुआ तो उसके उत्तर में मालूम हुआ था कि एक साल में ५ करोड़ २९ लाख ७२४ रुपये का कर लगा और एक करोड़ २१ लाख ५९ हजार ६४० रुपया वसूल हुआ और ४ करोड़ ८ लाख १० हजार ७७८ रुपया बकाया रहा। अब अगर इसकी यही सूरत रही तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा ? इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। जैसा कि इस बिल के आब्जेक्टस में लिखा है कि सरकार भरसक प्रयास कर रही है, फिर भी एक बहुत बड़ी धनराशि बकाया है, इसलिये यह संशोधन लाया गया है, तो इस संशोधन की बहुत जरूरत थी। अब इसको भी हमारे बहुत से मित्र चाहते हैं कि प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं नहीं समझता कि प्रवर समिति इस पर क्या बिचार करेगी ? मालूम होता है इससे कि आपको प्रवर समिति में भेजने का एक रोग सा लग गया है और जो चीज भी आये आप उसको प्रवर समिति में भेजने का सुझाव देते हैं। इसमें तो सवाल केवल यह है कि जो रुपया बकाया है उसको वसूल करने के लिये सरकार उनको बाध्य करे।

अब एक चीज और की गयी है कि सरकार ने इन्टरेस्ट की दर १८ प्रतिशत रख दी है। तो जो लोग करोड़ों रुपया हजम किये हुए बैठे हैं और उनसे १८ प्रतिशत सूद लिया जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

अब सवाल यह है कि जो इतनी बड़ी-बड़ी रकमें बाकी रह जाती हैं उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि हमारे अधिकारियों को रुपया जमा करने की मोहलत देने का अधिकार है। अतः अधिकारीगण उनको रुपया जमा करने की मोहलत देते रहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर यह मोहलत देने का अधिकार सिर्फ अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट को ही रहे तो बहुत जल्दी वसूली हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो रुपया तो वसूल करते हैं, पब्लिक से सेल्स टैक्स तो वसूल करते हैं, मगर उसको जमा नहीं करते क्योंकि उनके लिये यह हो जाता है कि वे टैक्सेबिल नहीं हैं । इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दूकानदारों को अपनी दूकान पर एक नोटिस लगा देना चाहिये कि यहां पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता है । वह आदमी सेल्स टैक्स वसूल कर लेता है और उसको अपनी जेब में रख लेता है ।

अब एक और बात इसमें बड़े मार्के की है । आपने टैक्स का रेट बढ़ा दिया है और मैं ख्याल करता हूं अगले वर्ष जब दूसरा अमेंडमेंट बिल आयेगा तो उसको १८ के बजाय आप २५ कर देंगे । लेकिन हमें तो देखना यह है कि यह इफेक्टिव कहां तक होता है । इसके अलावा आपने यह भी बहुत अच्छा उपाय रखा है कि इसको रेवेन्यू कोर्ट के जरिये से वसूल किया जायगा । मैं समझता हूं अगले वर्ष क्लेक्शन का काम भी उन्हीं को दे दिया जायगा । जो क्लेक्शन में आज कल ज्यादा दिक्कत होती है उसका कारण यह है कि हमारी कलेक्टिंग मशीनरी काफी जोश के साथ काम नहीं करती है । इसलिये हमें क्लेक्शन के काम को अलग ही रखना होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगले वर्ष एक दूसरा बिल आयेगा जो पुराने ऐक्ट की सारी कमियों को दूर कर देगा और यह रुपया जिसको लेने वाली यह सरकार ही नहीं हम सब लोग हैं, जनता का वह रुपया है, उसको जनता के पास अवश्य ही आना चाहिये ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बिपिन बिहारी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम लोग जनसंघ दल के रूप में बिक्रीकर का विरोध सदैव से करते रहेहैं और हम तो चाहते हैं कि यह बिक्रीकर बिलकुल ही समाप्त हो जाय । इसके बजाय सरकार को किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क लगा देना चाहिये जिससे इस पैसे की पूर्ति हो सके । जिन कारणों को लेकर हमारा दल इसके विरोध में था वही कारण आज हमें दिखाई देने लगे हैं । हम बिक्रीकर के वसूल करनें के ढंग से ही इसके विरोध में थे और आज हम देखते हैं कि डेढ़ साल में ही वह दिक्कत सरकार के सामने है और बिक्रीकर लगाने के बाद आधा रुपया भी सही तरीके से वसूल नहीं हुआ । इसीलिये हमारी यह मांग थी कि इस सेल्स टैक्स को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि सरकार उसको वसूल नहीं कर सकती है । मैं इस प्रस्ताव का इसलिये समर्थन करता हूं कि केवल इस विधेयक में जो बात बतायी गयी है उससे खराबी दूर होने वाली नहीं है । इस ऐक्ट को काफी संशोधित करने की आवश्यकता है । इसलिये हम चाहते हैं कि इस परे ऐक्ट पर प्रवर समिति में विचार कर लिया जाय ताकि उसकी सारी कमियां दूर हो सकें । मैं त्रिपाठी जी के उन शब्दों से तो सहमत हूं जो उन्होंने उद्देश्य और कारणों में व्यक्त किये हैं । वे शाब्दिक रूप में तो सही हैं, लेकिन उसके द्वारा जो विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं कि इस से कार्य प्रणाली पर असर पड़ेगा । मुझे इस के प्राविजन्स पर बड़ा सन्देह है क्योंकि पहले ऐक्ट की जो धारायें हैं उनको अगर उन्होंने पढ़ा होता और गौर किया होता तो यह समस्या पैदा न होती । मैं खुद एक छोटा सा दूकानदार हूं और बिक्रीकर देता हूं । मैंने देखा है कि अगर किसी के ऊपर केवल २ या ढाई सौ रुपया बकाया हो जाता है तो अमीन साहब लैन्ड रेवेन्यू की तरह उसको वसूली के लिये भेज दिये जाते हैं, लेकिन बड़े दूकानदारों के साथ ऐसा नहीं किया जाता । उदाहरण के लिये आप इस ऐक्ट की धारा १४ देखें, तो आप को मालूम होगा कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि —

"(1) Any person who—

(*a*) fails to pay without reasonable cause within the time allowed the tax assessed on him under this Act ; or

(*b*) fails to obtain without reasonable cause a licence under Section 3-E when he is liable to tax under Section 3-D ; or

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(*c*) being liable to pay tax under this Act,

(i) fails to submit without reasonable cause return of his turnover under the provisions of this Act or the rules made thereunder ;

(ii) carries on business as a dealer without applying for registration under and in accordance with Section 8-A ; or

(*d*) refuses to permit or refuses or neglect to produce for inspection or examination any book, document or account, or refuses to allow copies to be taken in accordance with the provisions of Section 13; or

(*e*) acts in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder,

shall, without prejudice to his liability under any other law for the time being in force, and in addition to the recovery for tax or any other dues payable by him under this Act, on conviction, be punishable with fine which may extend to one thousand rupees, and where the default is a continuing one, to a further fine which may extend to Rs. 50 for every-day after the first during which the default continues."

अब इस के अन्दर जो रूल्स में प्राविजन है वह भी आप देखें। यह रूल ५० इस प्रकार है:

"50. Realization of tax, etc. as arrears of land revenue—Where the tax assessed has not been paid by the assessee within the period fixed in that behalf, it may be collected as an arrear of land revenue."

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल सेन्स बता दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

इन दो चीजों के रहते हुये जब उन से वसूली न हो सके तो इन धाराओं के रहने से क्या बात हो जायगी जिससे उनसे वसूली करा सकेंगे ? सरकार अगर चाहेगी तो वसूली होगी नहीं चाहेगी तो नहीं होगी । सरकार नहीं चाहती कि वसूली हो । वैसे मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन और भी बहुत सी बातें इसमें होनी चाहिये, मसलन आपने जो इस में १८ प्रतिशत की बात रक्खी है उसके अनुसार अगर सब पर एक सा बोझ उसका पड़ेगा तो ठीक नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि जो छोटे दूकानदार हैं जिनका केस ढाई सौ से ज्यादा का नहीं है उन पर आप १८ प्रतिशत न रखें और उसके ऊपर एक ग्रेडेट तरीके से रखें । ५०० के ऊपर चाहे आप २५ प्रतिशत रख दें या और ऊपर जाकर आप ५० प्रतिशत रख दें । चाहे आप रूल्स में तरमीम करें या किसी तरह से करें यह सब के लिये १८ प्रतिशत रखना उचित न होगा । छोटों को मुक्त कर देना चाहिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो यह संशोधन विधेयक पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । इस बिक्री-कर कानून के सम्बन्ध में अगर मूल रूप से सर्वे कराया जाय तो जो-खराबियां इस में नजर आ रही हैं वह दूर हो सकती हैं । हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये लेकिन यह देखना आवश्यक है कि सही असेसी पर उतना ही टैक्स हम लगायें कि जितना उससे वसूल किया जा सके। इससे बड़ी खराबी यह है कि पूंजीपतियों से यह रकम वसूल होना चाहिये उन से यह वसूल नहीं होता और इसकी जिम्मेदारी भी सेल्स टैक्स अधिकारियों की

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

ही है । हमारा यह अनुभव है कि इन व्यापारियों के सेल्स टैक्स के लिये बही खाते दूसरे हैं और उनके निजी हिसाब के असली बहीखाते दूसरे होते हैं । इस पर सरकार की निगाह रखना पड़ेगी कि सही मानें में उन पर असेसमेंट हो और उस की ठीक से वसूली हो । जहां तक १८ प्रतिशत ब्याज की बात है मैं भी चाहता हूं कि छोटे दूकानदारों पर कम प्रतिशत होना चाहिये लेकिन जो ५०० से ऊपर वाले हैं उन पर ज्यादा होना चाहिये । होता यह है कि सेल्स टैक्स अधिकारी का कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी रकम वसूल होना चाहिये और वह नये दूकानदारों को नया असेसी बनाकर उनको हरेश करके वसूली करते हैं और जहां से बड़ी रकमें मिल सकती हैं उनके प्रति यह उनकी कमजोरी होती हैं कि उन पर सही असेसमेंट नहीं होता है और गरीब तबके पर गलत बोझ पड़ता है । दूसरे यह जो वसूल करने का तरीका रखा गया है गरीबों के लिये वह ठीक नहीं है उसे एक मुनीम, और वकील रखना पड़ता है जो सेल्स टैक्स देगा और वह उसके लिये इतना बड़ा असहनीय बोझ होगा, जो विचार करने योग्य है । अगर इसके लिये एक कमेटी बैठाई जाय तो उस में पूरा विचार हो जायगा और पूरा सुधार हो सकता है जो संशोधन बिल है वह सही है, यह एक कदम है लेकिन और इसके अलावा भी अन्य कदम हैं जिन पर विचार किया जा सकता है । अभी समय कम है फिर कभी समय मिलेगा तो मैं बिस्तार से कहूंगा । इस समय मैं यह जरूर चाहता हूं कि इसका पूरा सब किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जो संशोधन बिल हमारे सामने है वह ठीक है। उस की वसूलयाबी में सख्ती होनी चाहिये, जरूर होनी चाहिये लेकिन इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने को मैं इसलिये कहूंगा कि कुछ ऐसे लोगों पर भी असेसमेंट हो जाता है जो देने लायक नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुरादाबाद की बात सदन के सामने रखता हूं। मन्त्री जी से दरख्वास्त है कि वहां जाकर हालत को खुद देखें। जब हिन्दुस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था उस वक्त कुछ बड़े लोग ऐसा करते थे कि दूकानदारों और मजदूरों को रुपया दे देते थे। वह अपना माल उससे खरीद कर ले जाता था और उनको मजदूरी मिल जाती थी और इनका रुपया सूद के साथ वापस हो जाता था। सब काम भरोसे पर चलता था। जब से डिवीजन हो गया तब से वह धन मिलना बन्द हो गया। अब जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके जरिये सब मेटिरियल मिलता है या देती है। वह उससे रा मैटीरियल खरीदते हैं वजन के हिसाब से पैसा और उनकी मजदूरी देते हैं और दूकानदारों को आकर अनफिनिश्ड गुड्स दे दे ते हैं। वह अनफिनिश्ड मैटीरियल ले कर फिनिश्ड मैटीरियल दे देता है। यह जब असेसमेंट के वक्त बात आयी तो उन कारखानों और मजदूरी पर असेसमेंट हो गया। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से असेसमेंट हो गया। कई कई साल के बाद वसूलयाबी का नोटिस पहुंच गया और उसके वसूल करने के लिये कारखानों और मजदूरों पर सख्ती की जाने लगी। मैं यह कहता हूं कि इतने बड़े धन की वसूली एक दम करने में अगर ज्यादा सख्ती बरती गयी तो शायद वे कारखाने ही बन्द न हो जायं बल्कि अपने घर का सामान नीलाम व कुर्क करने पर भी वह छूट नहीं सकेंगे। तो मेरा कहना यह है कि उनके लिये सख्ती न बरती जाय। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जाकर खुद देख लें। बड़े आदमियों के साथ जिन पर सेल्स टैक्स की लम्बी रकमें बाकी हैं उन पर जितनी सख्ती की जाय वह थोड़ी होगी। मामूली सेल्स टैक्स की इस वक्त बकाया नहीं है, इसलिये इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय जिससे यह देखा जाय कि किसके साथ सख्ती की जाय और किसके साथ न की जाय, यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी —

बिक्रीकर संशोधन विधेयक पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव दिये हैं, लेकिन हर एक माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि जो बिक्रीकर प्रदेश के अन्दर बाकी है उसको सख्त कदम उठाकर वसूल किया जाय। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या १८ फीसदी का बोझ लादने से वह सख्त कदम कहा जायगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा सरकार के ऊपर चार्ज है कि सरकार बिक्री-कर को वसूल करने में कोई भी सख्त कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है। यह उन लोगों के साथ सांठ-गांठ है कि १८ फीसदी ब्याज लगा कर उनको फिर से मौका दिया जा रहा है कि वह बिक्री-कर को बचाये। हमको व्यापारी वर्ग की मनोवृत्ति का अध्ययन करना होगा। व्यापारी वर्ग के पास धन होता है, समय होता है, पैसा उसके लिये मामूली चीज होती है इसलिये अगर आपने अर्थ दन्ड ही उसको दिया तो उसकी मनो वृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिये कारागार की व्यवस्था होनी चाहिये थी। जब इस प्रकार का भय दिया जायगा तभी वसूली हो सकती है अन्यथा नहीं। अगर १८ फीसदी ब्याज लगाकर उसकी मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं तो यह आपकी कोरी कल्पना होगी।

बिक्री-कर अधिकारियों की जांच करनी होगी। हर जिले में यह अफवाह है कि लोगों को डर रहता है कि खिलाफत न करें, लेकिन बिक्री-कर अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप से अलग नहीं हो सकते। एक उदाहरण देता हूं। एक ईंटें का भट्ठा है उसको १९६२-६३ में २१,००० रु० की बिक्री दिखायी गई। बिक्री-कर अधिकारी ने उसको ४०,००० रु० करके नोटिस दिया और १०, १२ नोटिस देने के बाद ऐक्सपार्टी ४०,००० रु० पर टैक्स लगा कर नोटिस सर्व कर दिया। उसके बाद उसी व्यापारी से कहते हैं कि तुम रिवीजन ऐप्लीकेशन दे दो। और फिर २१,००० रु० की बिक्री पर ही टैक्स लगा दिया गया। इसलिये इस लेन-देन की प्रवृत्ति को रोकना होगा। बिक्री-कर अधिकारी अपने निजी फायदे के लिये कानून का उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसको रोकना चाहिये। अतः मन्त्री जी इस पर पुनः विचार करें और सख्त से सख्त कदम वसूली के लिये उठायें नहीं तो यह स्वप्न रह जायगा और ११ करोड़ रुपये की रकम बिना वसूल हुये ही पड़ी रहेगी। अत: मैं आशा करता हूं मन्त्री जी तथा माननीय सदस्य इस बात के लिये सहमत होंगे कि यह बिल प्रवर समिति में जाय और वहां इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाय।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, इस बिल की तो सीमित मंशा है कि बिक्री-कर की एकत्रित धनराशि की वसूली में तेजी कैसे हो और बकाया कैसे खत्म हो, लेकिन इधर ध्यान न दे कर बहुत से माननीय सदस्य दायरे के बाहर चले गये। मैंने पहले बताया था कि बिक्री-कर के मामलों में तरह-तरह की जो कठिनाइयां हैं जो कर की चोरी होती है या उसमें और खराबियां हैं उनको दूर करने के सिलसिले में एक कमेटी बनी है जो इस पर विचार कर रही है। उसने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दौरा किया और प्रदेश के बाहर भी किया। हम दूसरे प्रदेशों के बिक्री-कर कानून को भी देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि उनके प्रकारों में किन किन सुधारों की आवश्यकता है। किस तरह से कर की चोरी हो सकती है और उसको कैसे रोका जा सकता है जिससे हमारे बिक्री-कर की आज के मुकाबले में आमदनी अधिक बढ़ जाय और उसकी रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष में तैयार हो जाय और सरकार विचार कर ले तब इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि जहां-जहां आवश्यकता होगी संशोधन करेंगे। लेकिन आज जो विधेयक हम लाये हैं वह केवल इसलिये लाये हैं कि जो बकाया धनराशि एकत्रित हो गयी है और जिसकी आगे की तरफ बढ़ने की टेन्डेन्सी हो गयी है, उसको हम कैसे खत्म करें और कैसे उस बकाया धन को वसूल कर के इस प्रदेश की सेवा में लगायें।

बकाया धनराशि को वसूल करने के हमने दो तरीके बनाये हैं। एक तो यह है कि बकाया रखने की प्रवृत्ति न हो, वह प्रवृत्ति बन्द हो जाय और अगर उसके बाद भी बकाया रहे तो उसे वसूल करने के लिये हमारी सरकार प्रभावकारी कार्यवाही कर सके। इसी दृष्टि से २ प्रकार के संशोधन रखे गये हैं। १८ परसेंट का जो इन्टेरेस्ट लगा है उसे इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि वह इन्टेरेस्ट है। किसी और इन्टेरेस्ट से उसका मुकाबला न कीजिये। यह तो आटोमैटिक पैनाल्टी है। धारा १४-१५ में पैनाल्टी दी गयी है। लेकिन वह आटोमेटिक नहीं है। उसके लिये कार्यवाही करनी पड़ती है और यह इन्टरेस्ट स्वयं लागू हो जाता है बिक्री-कर की धनराशि अगर निर्धारण और मांग के नोटिस की मियाद समाप्त हो जाने के ६ माह के अन्दर वसूल नहीं होता है या इस कानून के ऐक्ट बन जाने के बाद अगर वह रकम

[श्री जयराम वर्मा]

वसूल नहीं होती है तो इस ऐक्ट के प्रारम्भ से या मांग के नोटिस के खत्म होने के दिन से जैसे भी हो उस पर १८ परसेन्ट का इन्टरेस्ट लगेगा। इस व्यवस्था से यह प्रवृत्ति कि जो कन्ज्यूमर्स से कर वसूल करके अपने पास रख लेते हैं न रहेगी। वह देखेगा कि अगर वह रखता है तो उसे ज्यादा सूद देना पड़ेगा। अत : अगर हम कम सूद लेते हैं तो यह प्रवृत्ति बन्द नहीं हो सकती। अगर उनके सामने यह बात है कि अगर वह कहीं और से कर्जा लेते हैं तो उन्हें ज्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा। तो वह इस हमारी रकम को अपने पास रखने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे यह प्रवृत्ति खत्म हो जायगी ।

यह भी कोशिश की गयी है कि कलेक्टर को पहले के मुकाबले वसूल करने में ज्यादा कामयाबी हो जाय। आज कलेक्टर लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल करता है वह इम्यूवेबिल प्रापर्टी को अटैच नहीं कर सकते और न रिसीवर द्वारा ही वसूल कर सकते हैं। इसलिये इसको दो अधिकार दिये गये हैं रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० के अधीन कलेक्टर के तथा सिविल कोर्ट्स के जो उनके डिग्री की रकम वसूल करने के लिये सी० पी० सी० के अन्दर होते हैं इससे वसूलयाबी में और ज्यादा आसानी होगी। व्यापारियों के साथ सरकार की कोई सांठ-गांठ नहीं है बल्कि वह यह सोचें कि इस तरह का इलजाम जो माननीय सदस्य सरकार पर लगाते हैं, और वह यह कहते हैं कि यह प्रवर समिति को चला जाय तो इसके मानी यह हैं कि ३–४ महीने तक यह बिल नहीं आ सकता और उनके साथ सरकार जो सख्ती करना चाहती है उसे वह इस तरह टालना चाहते हैं। इस तरह से व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ यह हो सकती है।

एक बात यह भी है कि व्यापारियों को रकम अपनी जेब से नहीं देनी है। यह वह रकम है जो वह कन्ज्यूमर्स से वसूल करता है। उसे हर सूरत से वसूल करना चाहिये और उसकी वसूली के लिये जिस तरह की कार्यवाही भी हो सकती है करनी चाहिये। हम व्यापारी का व्यापार बन्द नहीं करना चाहते। और जो धारायें हैं उनमें सजा दिलाने की बात है लेकिन सजा दिलाने से हमारा रुपया वसूल नहीं हो जायगा। रुपया वसूल करने के लिये यह प्राविजन रखा है कि ज्यादा रुपया उनको देना होगा और उसी के लिये यह कोशिश है।

जो कारखानेदार हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं लेकिन जो पैसा उनको देना है वह उनको देश की सेवा के लिये देना चाहिये, अपने पास नहीं रखना चाहिये । जगदीशशरण जी ने कहा कि १८ प्रतिशत ब्याज बहुत ज्यादा है और किसी अन्य स्टेट में इतना नहीं लगाया गया है लेकिन मैं सदन को बतलाऊंगा कि मैसूर में यह व्यवस्था है कि ३ महीने तक १२ प्रतिशत तथा उसके बाद ३० प्रतिशत ब्याज लिया जायगा। तो १८ प्रतिशत हमने लगाया है वह कोई ज्यादा नहीं है जिसके खिलाफ शिकायत करने का मौका हो। सूद लेने की हमारी मंशा नहीं है, हम अपना रुपया चाहते हैं इसलिये यह आटोमेटिक पेनाल्टी लगाई गयी है जिससे वसूली में आसानी हो।

टैक्स कैसे लगता और वसूल होता है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। यह ६३–६४ चल रहा है तो इसमें ६३–६४ का टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, पिछले सालों का टैक्स लगता है। ६२–६३ में कितना टैक्स लगेगा, कितना वसूल हुआ यह जो प्रश्न किया जाता है तो ६२–६३ में ६२–६३ का टैक्स नहीं लगता, पिछले सालों का ही टैक्स लगता है। पिछला और नया कर वसूल होता रहेगा। इसीलिये किसी साल विशेष में टैक्स लगाने और उसमें से वसूल करने के बारे में पूछा जाय तो सही तस्वीर सामने नहीं रखी जा सकती। ६२–६३ में १५.१५ करोड़ रुपये की वसूली हुई थी यह मैंने जरूर बतला दिया था। अब यह कहना कि १६ करोड़ रुपये में से ११ करोड़ रुपया बाकी रह गया इसमें थोड़ा सा भ्रम है। जो १०.८ करोड़ रुपया बाकी है यह १९४८ से ले कर आज तक का बकाया है, किसी एक साल का बकाया नहीं है और १९४८ से आज तक करीब १ अरब रुपया तो हमने जरूर वसूल किया होगा, फिर भी इस रकम को हम बहुत बड़ी रकम मानते हैं।

सेल्स टैक्स में जैसे ही सेल्स टैक्स अफसर या असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर असेस करते हैं वैसे ही उनके ऊपर बकाया मान लिया जाता है। और फौरन ही उसकी वसूली की कार्यवाही

शुरू हो जाती है। असेसमेंट के बाद व्यपारियों को अपील और रिवीजन करने का अधिकार है जिसमें कभी रकम घट भी जाती है और किसी मामले में बढ़ भी सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय का खयाल रखिये ५ बजे यह समाप्त होना है।

श्री जयराम वर्मा—

जी। अपील और रिवीजन में स्टे हो जाया करता है। १०.८ करोड़ का जो बकाया है इसमें स्टेड रकम भी शामिल है और यह ख्याल सही नहीं है कि यह सब रकम सरकार स्टे करती है इस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा अदालतों से स्टेड है। सरकार द्वारा शायद ही बहुत थोड़ी सी रकम स्टेड होगी।

एक बात यह कही गयी कि असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर जुडिशियरी के क्यों नहीं होते, विभाग के आदमी क्यों हैं। इन्कम टैक्स में भी वहां असेसमेंट और पहली अपील सुनने का काम डिपार्टमेंट के ही आदमी करते हैं, सेकेंड अपील जुडिशियरी के सामने जाती है। वही प्रोसीजर हमारे यहां भी है।

एक माननीय सदस्य ने कहा, शायद जनसंघ के ही थे कि इस टैक्स को हटा दिया जाय और एक्साइज डयूटी लगा दी जाय। तो एक तरफ तो हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रवर समिति में ले जाने की बात करते हैं। जहां तक एक्साइज ड्यूटी की बात है, वह केन्द्रीय सरकार लगाती है। अपने कुल अधिकार यह सरकार केन्द्रीय सरकार को दे उससे कोई अच्छी वसूली हो जायगी, ऐसी बात नहीं है। हमने शकर, कपड़ा, और तम्बाकू, ये तीनों चीजें केन्द्रीय सरकार को एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के लिये दे रखी हैं और इनसे हमारी रकम आज भी करीब करीब वही है जो सन् १९५८ में थी जब कि सेल्स टैक्स की रकम में काफी वृद्धि हुई है। इसलिये यह सोचना कि केन्द्रीय सरकार को दे कर आमदनी में वृद्धि हो जायगी, सही नहीं है।

मैंने आटोमैटिक पेनाल्टी के बारे में कहा कि इस वास्ते लगाया लेकिन एक बात की तरफ माननीय जगदीशशरण जी ने इशारा किया, यानी आटोमेटिक रिफन्ड के बारे में। मैं उसके औचित्य और आवश्कता को स्वीकार करता हूं और उसकी व्यवस्था जल्दी ही की जायगी, जैसे हम आटोमेटिक पेनाल्टी लगा रहे हैं वैसे ही आटोमेटिक रिफन्ड की व्यवस्था हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों के प्रकाश में विचार करें और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को अस्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपांध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ तथा ३

सं० प्र० ऐक्ट नं० १५ १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(१-क) यदि उपधारा (१) के अधीन देय कर का भुगतान, कर-निर्धारण और मांग के नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३ के प्रारम्भ होने के, इसमें से जो भी बाद में हो, छः माह के अन्दर न किया जाय तो, किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बाकीदार को इस प्रकार भुगतान न करने के परिणाम-स्वरूप इस अधिनियम के अधीन उठानी पड़े, तत्समय देय शेष धनराशि पर, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के दिनांक से, अथवा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से, जैसी भी दशा हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा, और कर की धनराशि में जोड़ दिया जायगा और सभी प्रयोजनों के लिए कर का भाग समझा जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील, पुनरीक्षण या निर्देश के, अथवा किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के किसी अन्य आदेश के, परिणामस्वरूप कर की धनराशि में परिवर्तन हो जाय, तो ब्याज का तदनुसार फिर से हिसाब लगाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर की धनराशि बढ़ाने के किसी आदेश के अधीन देय कर की अधिक धनराशि पर ब्याज उक्त आदेश के दिनांक से लगेगा, यदि ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान आदेश के पश्चात् छः माह के अन्दर न किया जाय।"

नयी धारा ३३ का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :—

"३३—इस अधिनियम के अधीन मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल होने योग्य किसी धनराशि के सम्बन्ध में कर-निर्धारक अधिकारी, अपने हस्ताक्षर से, कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है जिसमें देय धनराशि निर्दिष्ट होगी। ऐसा प्रमाण-पत्र दायित्व की विद्यमानता, उसकी धनराशि तथा देनदार व्यक्ति के सम्बन्ध में निश्चायक साक्ष्य होगा और प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर, उसमें निर्दिष्ट धन-राशि को उस व्यक्ति से वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो वह मालगुजारी का बकाया हो :

वसूली के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर को प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि वसूल करने के प्रयोजनों के लिए, वे समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे, जो—

(क) किसी कलेक्टर को रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट, १८९० के अधीन प्राप्त हों और

१८९० ऐक्ट १,

ऐक्ट ५, १९०८

(ख) किसी दीवानी-न्यायालय को किसी डिगरी के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिए कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन प्राप्त हों।

स्पष्टीकरण—पद "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी भी है जो राज्य में मालगुजारी से सम्बद्ध तत्समय प्रचलित विधि के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १—प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०

कतिपय प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, दो मिनट का समय चाहता हूं। मैं इस विधेयक की जहां तक सूद बढ़ा कर लोगों में भय उत्पन्न करने की बात है, जो बकाया रखते हैं वह अच्छी बात है कि १८ प्रतिशत सूद के भय से वे बकाया नहीं रखेंगे, इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिनके ऊपर बकाया है उनके यहां मंत्री लोग जाकर ठहरा न करें और खाना न खाया करें। अगर किसी के ऊपर लाख दो लाख रुपया बकाया है, जब वित्त मंत्री या कोई और मंत्री गये तो मंत्री जी को उसने दावत दी, मंत्री जी वहां गये तो भाई कृष्णानन्द जी और मेरे जैसे साथी उनकी हाजिरी में जायंगे और कलेक्टर वगैरह सलामी करने जायंगे। तो कलेक्टर का कुछ भी रुआब नहीं रह जायगा। इसलिये ऐसे लोगों का सोशल बायकाट होना चाहिये चाहे वे कितने ही निकट के क्यों न हों?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गैंदा सिंह]

श्रीमन्, १८ परसेंट की रकम उनसे जरूर वसूल की जाय उस पर जो सचमुच कंज्यूमर्स से लेकर उन्होंने इकट्ठा की है। लेकिन कहीं-कहीं सरकार से भी ज्यादती हो जाती है। अगर उन्हें वापस करने की नौबत आये तो इस बात को ध्यान में रखा जाय कि उनसे जो रकम ज्यादा वसूल कर ली है, उसका ध्यान रखा जाय और ऊपर उनके ज्यादती न होने पाये। मैं इन बातों को कह कर यह चाहता हूं कि इस प्रश्न पर भी बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बहीखातों को वापस दिये जाने के संबंध में श्री नरसिंहनारायण पांडेय की मांग

श्री उपाध्यक्ष—

एक निवेदन करना है। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय का एक पत्र अध्यक्ष महोदय के नाम से आया है और उसमें उन्होंने जो वहीखाता पेश किया था उसे वापस मांगा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय उस पर यह आदेश कर चुके हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को वह भेज दिया जायगा। उस पर पांडेय जी के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। इसलिए पांडेय जी उस पर जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर कर दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन यह है श्रीमन्, कि मैंने जब बहीखाता दिया तब से आज तक बार-बार इस सदन के अन्दर और बाहर पत्र लिख करके अध्यक्ष महोदय से इस बात की सिफारिश कर रहा था कि आप मेरे सामने और अन्य विरोधी दलों के नेताओं के सामने उसको सील और मोहर करा दें। मैंने पहले पत्र लिखा और आज दूसरा पत्र लिखा और मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा यह चार्ज है कि एक विशेष गुटबन्दी के अन्तर्गत आज मुझ से कहा जा रहा है उन कागजों पर दस्तखत करने के लिए। मैंने जब अपने वकीलों से राय ली तो उन्होंने कहा कि आपको दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीया मुख्य मंत्री मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करती हैं तो वह उस पर जांच करें।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अगर यह बहीखाता गलत है तो वह इस्तीफा दें, त्यागपत्र दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइए। जरा शान्ति से बात करिए। (शोर)..आप मुझे कुछ कहने देंगे या नहीं? देखिए, माननीय नरसिंहनारायण जी, आपने बहीखाता दाखिल किया और वह हमारे सचिवालय में है। उसे आप फिर देख सकते हैं और दस्तखत कर दीजिए। यह इन्सिन्युएशन करना कि उसमें कोई टेम्परिंग विद हुआ है, यह बहुत बेजा है, गलत है और इसको आपको वापस लेना चाहिए। (व्यवधान)

एक सदस्य—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको वापस लीजिए कि टेम्परिंग विद हुआ है...(व्यवधान) आप इसको वापस लीजिए। (व्यवधान)

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले वापस ले लीजिए। दखिए, जो आपने इन्सिन्युएशन किया है उसे वापस ले लीजिए।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं श्रीमन्, जो कह रहा हूं उसे सुन लें। मैंने जो पत्र लिखा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप इन्सिन्युएशन को वापस लीजिए। तब उसके बाद आपकी बात सुनूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कोई अगर मैंने ऐसी बात कही है जिससे आप ऐसा समझते हैं तो उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दस्तखत कर दीजिये फिर उसके बाद कोई बात होगी।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई बात नहीं सुनी जायगी।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उन्होंने जिस तरह से एक मंत्री के विरुद्ध चार्ज लगाये हैं और इस तरह से उसके बाद अब दस्तखत करने से इन्कार करते हैं तो इसके माने साफ हैं कि ये बही-खाते जाली हैं। इसके ऊपर आप कोई कार्यवाही कीजिये।

(व्यवधान,)

श्री उपाध्यक्ष—

(माननीय नरसिंहनारायण पांडेय से) देखिये, अब कोई सवाल नहीं उठता। आप दस्तखत कर दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप पहले मेरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो बात हमने तब अपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव में उठाई थी वही अब सच हो रही है। मैंने यह कहा था कि बही खाता जाली है। अब नरसिंहनारायण जी पांडेय की बातों से यह साफ हो गया है कि यह बहीखाता जाली है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह मना करते हैं और बही पर दस्तखत नहीं करते हैं तभी यह बात पैदा होगी।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय नरसिंहनारायण जी पांडेय की इस्तीफा देने की आफर स्टैंड करती है या नहीं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप उनसे हस्ताक्षर करने के लिये कहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उनसे हस्ताक्षर करने के लिये कहा गया है। अगर वह हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब कोई स्टेप लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

बहीखाता हरगिज वापस न किया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप कृपया मुझे सुन लीजिये।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अब इस समय बहीखाता वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। इस बहीखाते में कुछ लोगों के खिलाफ बहुत सख्त शिकायतें की गई हैं और उन शिकायतों के support में यह बहीखाता evidence के रूप में पेश किया गया है। इसलिये यह किताब वापस नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप मुझे सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई सवाल नहीं उठता। आप हस्ताक्षर करते हैं तो कर दीजिये और अगर नहीं करते हैं तो हम इसको गृह मंत्री जी के पास भेज देंगे। आप को वापस नहीं मिलेंगे।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र—

उसको माननीय मुख्य मंत्री के पास भेजा जाय। उसको गृह मंत्री जी के पास भेजने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

उन्होंने एक मंत्री के खिलाफ जो फाल्स इंसीनुयेशन लगाये हैं वह उन्होंने वापस लिये या नहीं और अगर उनकी बात गलत निकली तो उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वापस ले लिया उन्होंने।

श्री जे० पी० मिश्र—

तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अगर वह इसको वापस नहीं लेते तो उनको सदन की कार्यवाही से वंचित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

मैं माननीय नरसिंहनारायण पांडेय पर विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देना चाहता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं इसकी ताईद करता हूं।

श्री कृष्णानन्दराय—

एक प्राइमाफेसी केस इस हाउस में इस्टैबिलिश हो गया है कि नरसिंहनारायण पांडेय जी ने इस हाउस में एवीडेंस के रूप में एक खाता पेश किया और अब वह उस पर दस्तखत करने के लिये तैयार नहीं हैं। यह हाउस को मिसलीड करने के लिये एक केस बन जाता है, विशेषाधिकार का, अतः इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अगर मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न है तो मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप नोटिस लिख कर दे दीजिये तब फिर उस पर फैसला हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

अगर किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न है तो उसे आपको नियम ६४ के अनुसार बोलने का अवसर देना पड़ेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अब उनकी वाणी में दम नहीं है। वह क्या कहेंगे।

श्री चन्द्रदेव—

पहले उनसे खाते के एक-एक पन्ने पर दस्तखत ले लिया जाय। आपकी दस्तखत के बारे में रूलिंग क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह दस्तखत आज नहीं करेंगे तो दूसरी कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर गोलीकाण्ड जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब गोरखपुर गोलीकांड पर विवाद जारी होगा। श्री नरसिंहनारायण जी और श्री कल्पनाथ जी का नोटिस है इसलिये पहले उनको बोलने का मौका दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गोरखपुर गोलीकांड के प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहता हूं। यह गोलीकांड १९ अक्तूबर, १९६२ को हुआ था।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

जो इल्जाम उन्होंने लगाये थे वह उन्होंने वापस लिये या नहीं।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मुझे दुख है कि गोरखपुर गोलीकांड १९ अक्तूबर को एक ऐसे दिन हुआ जिस दिन कि चीन के मुल्क ने हमारे मुल्क की सरजमीन पर हमला किया। इससे हमारा सर नीचे झुका

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

है। श्रीमन्, सर ही नीचे नहीं झुका है बल्कि सरकार का सर उस समय और नीचे झुक जाता है जिस समय पाकिस्तान और पेकिंग रेडियो से उसी दिन गोरखपुर में हुये गोलीकांड का जिक्र होता है।

(इस समय ५ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, इस सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया न्यायिक जांच के लिये। सब लोगों को यह उम्मीद थी कि जांच आयोग जो इस विषय पर जांच कर रहा है उसके टर्म्स आफ रेफरेंस के मुताबिक इस बात की जांच होगी कि गोलीकांड क्यों हुआ, कितना दबाव जरूरी था, क्या गोली चलाने की आवश्यकता थी, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी, आदि। इन मुख्य मुख्य बातों की जानकारी के लिये इस आयोग की नियुक्ति हुई थी।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि इस जांच आयोग के सामने जो गवाहियां हुईं और जिस तरह हुईं उनको देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि १९ अक्तूबर को साढ़े ९ बजे रात्रि के समय गोरखपुर में अलीनगर के चौराहे पर श्री एस० पी० अग्रवाल की कार से एक कान्सटेबिल जो साइकिल पर सवार था जिसका नाम इकबाल अहमद था उससे टक्कर हो गयी। टक्कर के फलस्वरूप उसको कुछ नुकसान पहुंचा। बाद में वहां पर एक दूसरा कान्सटेबिल शिवशरण, जो तिवारीपुर का था, आ गया। वह शराब पिये हुये था और फिर उसने प्रोफेसर अग्रवाल तथा ड्राइवर पर हमला किया। बाद में रात को मैजिस्ट्रेट को सूचना दी गयी। इस बीच में तिवारीपुर पुलिस स्टेशन से बहुत से पुलिसमैन भी आ गये और वे लोग प्रोफेसर अग्रवाल तथा ड्राइवर को कोतवाली ले गये और वहां पर जाने के बाद उन लोगों ने एफ०आई०आर० लिखायी। एफ० आई० आर० करने के बाद श्रीमन्, उनका डाक्टरी मुआयना हुआ। अगर डाक्टरी मुआइने को देखा जाये तो जो चोटें प्रोफेसर अग्रवाल और उसके ड्राइवर को लगीं वह इतनी अधिक थीं जो डाक्टरी मुआयने स साफ जाहिर होती हैं। वे काफी जख्मी हो गये थे। इसी बीच शिवशरणसिंह और इकबाल अहमद ने भी एफ० आई० आर० लिखाई और डाक्टरी मुआयना कराया। इस बारे में डाक्टर सक्सेना की रिपोर्ट को देखा जाय तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसमें फर्जी रिपोर्ट तैयार की गयी है। जब शिवशरण कान्सटेबिल का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ, जो सफा २९ पर है, उसके संबंध में सिटी मैजिस्ट्रेट साहब ने स्वयं कहा है कि शिवशरणसिंह शराब पिये था, लेकिन डाक्टरी मुआयने के सर्टिफिकेट में कहा गया है कि वह शराब नहीं पिये था। जब जज साहब खुद पूछते हैं तो उस सवाल के जवाब में वह कहता है। वे स्ट्रक्चर्स पास करते हैं और कहते हैं कि वह शराब पिये था। और उस फायरिंग की जिम्मेदारी पुलिस की थी।

इससे जाहिर होता है कि पुलिस के नीचे के स्तर के लोगों का दिल और दिमाग इस तरह का है कि वह अपने को जनता का प्रतिनिधि नहीं समझती, जनता का सेवक नहीं समझती, बल्कि अपने को जनता का शासक समझती है और वैसा ही व्यवहार भी करती है। हमें खुशी है कि न्यायाधीश महोदय ने भी इस चीज को माना है। नीचे के पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार स्वयं ही इतनी बड़ी घटना है कि उसकी ज्वाला यूनिवर्सिटी में पहुंची। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मारा गया था। यह सिद्धान्त की बात है कि जिस यूनिवर्सिटी के अन्दर ३ हजार लड़के पढ़ते हों अगर उसके प्रोफेसर को अकारण मारा जाय तो उनका फर्ज हो जाता है कि उसके बारे में क्षोभ प्रकट करते। विद्यार्थियों में जोश आया और उन्होंने एक बहुत बड़ा जलूस निकाला जिसका मतलब केवल इतना ही था कि वे अपना क्षोभ प्रकट करते हैं। लेकिन जब वह प्रदर्शन कोतवाली पहुंचा तो उन पर लाठी चार्ज और फायरिंग कर दी गयी। यह सबसे पर्टीनेंट क्वेश्चन है कि क्या दफा १४४ लगायी गयी थी? दफा १४४ को लगाने के लिये मैजिस्ट्रेट ने क्या कार्यवाही की। जब वे जानते थे कि १९ अक्तूबर की रात को यह घटना हो गयी थी तो उनका फर्ज था कि उसी दिन दफा १४४ लगा देते। रिपोर्ट में कहा गया कि इनफारमेशन आफिसर ने इसका प्रचार किया। लेकिन बयान में साफ जाहिर होता है कि दफा १४४ पहले नहीं लगाई गयी थी, बाद में लगायी गयी

यह ब द में तैयार की गई बात है और उसमें एग्जिबिट किया गया, ऐसी बात ो संदिग्ध है उसको देखने से रिपोर्ट में मालूम होता है कि वहां नक्सेअमन था....

श्री अधिष्ठाता—

आप आधा मिनट में समा त करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

केवल २ मिनट में में समाप्त कर दूंगा। इस तरह से वहां अन्देशा था, स्थिति खराब थी और दफा १४४ आप नहीं लगाते। मैं डी० आई० जी० के कण्डक्ट के बारे में भी कहूंगा जिलाधीश ने सारी जिम्मेदारी अपने पर ले ली और कहा कि हमने हुक्म दिया जब कि वाकया यह था कि वहां डी० आई० जी० साहब मौजूद थे और उन्होंने खुद गोली चलाने का हुक्म दिया था और उसके बाद गोली भी इस तरह से चलाई गई कि आज भी गोली के निशान अगर आप गोरखपुर जाकर देखें तो खम्बों पर पाये जा सकते हैं। आप जानते हैं कि गोली चलाने के बारे में क्या हुक्म होता है, कि शरीर के किस भाग पर गोली चले, लेकिन आप जख्मी लोगों को देखें कि उन के किस भाग में किस तरह से गोलियां लगी हैं। धड़ से ऊपर गोली चलाई गई। मैं अदब के साथ कहूंगा कि यह जांच रिपोर्ट हालांकि बहुत कुछ ऐसी है कि जिस की न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर अलोचना नहीं की जा सकती लेकिन सुझाव है मेरा कि अगर आप साक्ष्यां को ठीक तौर से पढ़ें तो मालूम होगा और आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गोरखपुर की फायरिंग के लिये जो प्रिकाशन्स लेनी चाहिये थी, जो जिम्मेदारी समझी जाना चाहिये थी वह नहीं ली गई, हालांकि इन साक्ष्यों में वह जिम्मेदारी है। अगर आप इस रिपोर्ट को उन साक्ष्यों की रोशनी में देखें और उनके आधार पर कोई चीज तैयार की जाय और किसी निर्णय पर पहुंचना चाहें तो आप कोई चीज ऐसी पैदा कर सकते हैं कि जिसके आधार पर आगे कभी प्रदेश में इस प्रकार की घटना न हो और हमारे लिये कंलंक की बात न हो।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा महसस करता हूं कि वह दिन गोरखपुर के लिये ही नहीं वरन समूचे देश के लिये एक बड़ा दुर्भाग्य का दिन था जिस समय इस सरकार की पुलिस ने गोरखपुर के विद्यार्थियों पर गोली वर्षा की और अपनी मनमानी चला कर जो उदाहरण दिया वह इतिहास के पन्नों में काले धब्बे के रूप में अमिट रहेगी।

जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है उसमें शायद इस बात का जिक्र किया गया है कि वाइस-चांसलर ने इस बात की सूचना दी कि लड़के विद्यालय से निकल कर राणा प्रताप कालेज और सेन्ट एन्ड्रूज कालेज की ओर जा रहे हैं और उसके बाद वह जलस में परिणत होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि जहां यह जिक्र किया गया है कि जलूस के लोगों की यह मंशा नहीं थी और वह डी० ए० वी० या डी० वी० कालेज के विद्यार्थियों को मिलाकर जलूस निकालते और शरारत करते, बल्कि यह मंशा थी कि कोतवाली में जाकर पुलिस को अपमानित करते। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस बात पर पूर्णत : प्रकाश नहीं डाला गया। विभाग इस रिपोर्ट को पढ़े देखे कि आखिर वजह क्या है और सबसे बड़ा खेद का विषय यह है कि जिन अधिकारियों के बल पर यह सरकार कह दिया करती है कि हमारे अधिकारियों ने यह आदेश जारी कर दिये, इस का ऐसा प्रचार होगा वैसा प्रचार होगा। यह सरकार जिस के अधिकारी इतने सक्षम हैं कि अपनी झूठी बात को भी सही बना दिया वे अधिकारी भी इस बात को सच साबित नहीं कर सके कि उन्होंने दफा १४४ लागू कर दिया था और वे इसको प्रसारित किये। मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट में इस बात का अभाव है और मंत्री गण इस पर विचार करेंगे।

इस में इस बात का भी अभाव है कि जब दफा १४४ लागू नहीं की गयी तो विद्यार्थियों के मन की बात को पहले से पुलिसवालों ने कैसे जान लिया। जब जान लिया तो घोष चौराहे से उनको वापस कर देना चाहिये था उर्दू की तरफ या गोलघर की तरफ मोड़ देना चाहिये था

श्री कल्पनाथसिंह—

और कोतवाली के सामने नहीं जाने देना चाहिये था। दो बातें एक ही जबान से कही गयीं। एक तरफ तो यह कहा गया कि विद्यार्थियों का मंशा पुलिस को अपमानित करने का था और दूसरी तरफ घोष चौराहे पर उनको रोकना तर्कसंगत नहीं था। यह दलील गलत है, मैं इसको समझ नहीं पाया।

दूसरा निवेदन और खासतौर से मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रदेश की सरकार की लाडली पुलिस एक तरफ यह समझती थी कि हमारे पुलिस के कांस्टेबिल को अलीनगर के चौराहे पर मारा गया तो फिर ऐसे पुलिस के कांस्टेबिल को, जिसके बारे में कहा गया कि शराब के नशे में चूर था, डिग्री का फर्क हो सकता है कि किस हद तक वह नशे में चूर था। पुलिस बदले की भावना से प्रेरित थी। क्योंकि सुबह की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अलीनगर में रामहरष यादव ने पुलिस को मारा गोकि पुलिस उसको साबित नहीं कर सकी, साफ साफ अपनी बात कहनी चाहिये थी। साफ बात यह है कि वहां के मजदूर जो रोजाना मजदूरी पर अपना श्रम बेचने के लिये जाते हैं, शहर के लोग उस मजदूर को ले जाते हैं पुलिस के अत्याचार से पीड़ित होकर आवेश में उसने पुलिस कांस्टेबिल को मारा था लेकिन मजदूर को न कह करके और दूसरे लोगों को न कह करके, विद्यार्थियों को जिनके ऊपर शुबहा और बदला की दृष्टि और मनोवृत्ति उनकी थी उन लोगों ने यह बात कहना पसन्द किया। उन लोगों ने यहां तक सोचा कि अगर इन विद्यार्थियों का मन ऐसा बढ़ता चला जायगा तो वह रोज पुलिस वालों के ऊपर टूटा करेंगे या रोब कम हो जायगा। शाम की घटना और सुबह की घटना लगातार इस ओर उनको ले जा रही थी कि यह विद्यार्थी पुलिस के लिये दुश्मन बने बैठे हैं और इस वजह से पुलिस के सामने यह दृष्टिकोण था कि या तो गोरखपुर में पुलिस राज्य रहेगा या विद्यार्थी समुदाय कीअपनी स्वतंत्रता रहेगी। स्वतंत्रता और अफसरी के बीच लड़ाई थी और मैं इस रिपोर्ट को इस बात में बेशकीमती मानता हूं कि इसमें सोचने की कोशिश की गयी है, मर्ज का निदान किया गया है, दवा में हो सकता है भेद हो। अब यह मंत्री जी की सरकार पर मुनहसिर है, जनता पर मुनहसिर है कि वह यह देखे कि अगर .....

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे थोड़ा-सा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट अभी हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

इस रिपोर्ट में जहां तक यह कहा गया कि जब नखास की ओर भीड़ इकट्ठा हो गई और उसने पथराव शुरू कर दिया, तो दो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक तो यह कहा गया कि फोर्स कंपनी चौराहे की तरफ से जलूस आया और दूसरी तरफ यह की नखास की तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने पथराव किया। यह भी नहीं कहा कि पत्थर किसने फेंके। नहीं पता लगा सके किसने पत्थर मार? पुलिस जब भी गोली चलाती है हमेशा यही कहती है कि भीड़ की तरफ से ईंटें आयीं, पत्थर आये। जैसे मालूम होता है हमेशा भीड़, जलूस या सभा में लोग पहले से ही पत्थर लेकर बैठे रहते हैं और जानते हैं कि पुलिस आयगी और हमारी दुर्दशा करेगी और मैं पत्थर मारूंगा। मैं चाहता हूँ पुलिस के दिमाग से मंत्री जी यह बात निकलवा दें और पथराव की आड़ खतम करावें। गोली चलाने का कारण बनाना जैसे १०९ बनाने के लिये पुलिस वाले हमेशा माचिस दिखाते हैं और कहते हैं कि सबरी और माचिस के साथ संदिग्ध अवस्था में पाया गया। इस जमाने में जरा सोचें कि चोर टार्च लेकर नहीं चलेगा बल्कि माचिस लेकर चलेगा लेकिन पुलिस हमेशा अदालत में कहती है कि माचिस लिये मिला। इसी तरह से पुलिस को जहां गोली चलानी होगी वहीं कहेगी की पथराव हुआ। क्यों पथराव होगा जब कि लोगों को लाइसेंस बन्दूक के मिल रहे हैं। बन्दूक ही नहीं चलायेंगे? यह

हमारे लिये शर्म की बात है। इस गांधी और प्रह्लाद के देश में यह कहना कि पब्लिक ने पत्थर मारे और पुलिस ने गोली चलाई इससे बढ़कर शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे तकलीफ होती है जब कांग्रेस सरकार पुलिस की गोली को जस्टीफाई करती है तथा जनता पर कलंक लगाया जाता है कि उसने कंकड़ मारे।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, गृह मंत्री जी इससे पहले मंत्रिमंडल में भी थे। जब गोलीकांड हुआ और काम-रोको प्रस्ताव पेश किये गये तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने हस्तक्षेप किया और विरोधी पक्ष के नेताओं को बुलाकर अपने कमरे में प्राइवेट तरीके से बातचीत की और आग्रह किया कि देश पर चीन ने हमला किया है अतः ऐसे समय इस मसले पर विवाद करना सदन में खुले आम अच्छा न होगा, जनहित में नहीं होगा और न सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होगा इसलिये इस पर विवाद न किया जाय। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह अपने तरीके से इस पूरे मामले को डील करेंगे और कुछ न कुछ उस मुख्य आदमी के बारे में जरूर करेंगे जो इस गोलीकांड का जिम्मेदार है। मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जो विश्वास दिलाया था उस बारे में उस सरकार या इस सरकार ने क्या किया? जब हमारे देश की पवित्र भूमि पर पंचशील की हत्याकर, उच्च कम्युनिस्ट सिद्धान्तों के स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध चीनी सेनायें बढ़ती जा रही थीं, उस समय इस गोरखपुर गोलीकांड का एक विशेष महत्व था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह भलीभांति पता लग जाता है कि यह गोलीकांड जानबूझ कर कराया गया था। यह एक नृशंस हत्याकांड था। यहां के गृह मंत्री प्रदेश के पुराने आजादी के एक सेनानी और सिपाही रहे हैं। इस देश में और प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने में भी इतने गोलीकांड नहीं होते थे जितने आजकल हो रहे हैं। जब गोलीकांड सत्याग्रह आन्दोलनों के जमाने में हो जाते थे तो बहुत बेचैनी होती थी। मैं १९२१, १९३०, १९३२ और १९४२ के राष्ट्रीय अन्दोलनों की बात कह रहा हूँ। लेकिन आजकल गोलीकांड आये दिन हुआ करते हैं। इस तरह पूरे देश और प्रदेश के अन्दर गोलीकांड के मामले होते हैं कि अब उनकी तरफ हमारा उतना ध्यान भी नहीं जाता जितना पहले हुआ करता था।

मैं इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद और इस पर पूरी गवाहियों को देखकर, जो इसमें छपी हैं, इस निश्चित मत पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से यह हत्या कांड हुआ है इसकी जिम्मेदारी सारी डी० आई० जी० श्री इसलाम अहमद साहब पर है। मैं जानना चाहता हूं, माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री से और गृह मंत्री से कि उन्होंने इस मामले में क्या किया। मैं मांग करता हूं कि उस आदमी को (डी०आई०जी०) सरविसेज से हटाया जाय और कम से कम उनके ऊपर केस चलाया जाय। पूरी तफसील में जाने का समय नहीं है। इस पूरे मसले की जांच मैंने भी की। इस पूरे मसले पर मैंने मौका मुआयना किया, विद्यार्थियों से पूछतांछ की, वाइस चांसलर से और जनता से भी पूछ ताछ की। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि घटना स्थल पर न दफा १४४ लगी, न कोई वार्निंग दी गई। स्वंय वाइस चांसलर का बयान है यद्यपि वे जिलाधीश, श्री शमशाद अहमद और डी० आई० जी० पुलिस के बगल मे खड़े थे, उन्होंने कोई वार्निंग नहीं सुनी। केवल सुनी लाठी चार्ज और गोली चलने की आज्ञा और आवाज। तो यह बात कहना कि जिसको चर्चा रिपोर्ट में भी दी है, वार्निंग दी गई बिलकुल झूठ बात है। जिलाधीश श्री शमशाद अहमद साहब ने गोलीकांड की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है यह उनका बड़प्पन है। मैं समझता हूं कि घटना स्थल पर श्री शमशाद अहमद बिल्कुल लुंजपुंज खड़े थे। उनका कंट्रोल पुलिस फोर्स पर और दोनों ओर की परिस्थिति पर कतई नहीं था। सब डी०आई०जी० साहब के अधिकार में था। उनके आर्डर से लाठी चार्ज भी हुआ, गोली भी चलाई गयी। लेकिन कानून के अन्दर उनको अधिकार नहीं था। इसलिये उनको बचाने के लिये जिलाधीश ऐसी बातें कर रहें हैं। ४ फर्लांग के रेडियस में घोड़ा दौड़ा कर और घरों में घुस घुस कर, जो लोग घरों में बैठे थे, उन पर भी लाठियां चलायी गयीं और उन्हें पीटा गया। गोली भी दूर दूर तक चली प्रति हिंसात्मक और प्रतिशोध भावना से पुलिस काम करे यह बहुत अनुचित चीज है यही बात

[श्री झारखण्डे राय]

वहां हुई । कंकड़-पत्थर की कहानी आप जानते हैं, खास कर वह जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमेशा पुलिस गढ़ लेती है । सड़क साफ हो, एक कंकड़ और पत्थर दिखाई नहीं देता लेकिन कहानी गढ़ ली जायगी । यह आये दिन की बात है । कंकड़ और पत्थर बिखेर दिये गये ताकि लोग समझ सकें कि पुलिस की बात सही है । कोतवाली का गेट पुलिस वालों ने खुद ट्रक से धक्का दे कर तोड़ दिया था, करीब-करीब ध्वस्त हो गया था, ताकि साबित हो सके कि वे छात्र वायलेंट हो गये थे और गेट तोड़कर कोतवाली में घुसना चाहते थे । मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं । सारे मामले की जिम्मेदारी एक मात्र इस्लाम अहमद पर है और उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने रिपोर्ट को पूर्णतया नहीं पढ़ा है लेकिन काफी कारामद ढंग से इसका अध्ययन किया है । मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है वह बहुत टेक्निकल है । मैं विरोधी दल के मित्रों से तब भी इस बात से अहसमति प्रकट करता था और आज भी करता हूं कि जुडिशल इन्क्वायरी होनी चाहिये विरोधीदल के मित्रों के लिहाज के कारण यह कहने का साहस नहीं कर पाया था कि जुडिशियल इन्क्वायरीज में टेक्निकलिटीज ज्यादा होती है और जो व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है वह नहीं होता । यह कमी इस रिपोर्ट में भी है । यह एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से मुझे ऐसा अनुभव होता है कि गोरखपुर जिले के अधिकारियों की बातों पर अधिक वजन दिया गया और वाइस चांसलर जैसी हैसियत के व्यक्तियों की बातों पर वजन नहीं दिया गया ।

इसको पढ़कर मौलिक प्रश्न उठता है कि आया पुलिस ने और अधिकारियों ने वे सारे तरीके अख्तियार किये जो गोली व लाठी चलाने से पहले अख्तियार करने चाहिये थे । उन्होंने इस दिशा में तनिक भी नहीं सोचा । इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ये कांस्टेबिल सस्पेंड कर दिये गये । अधिकारियों को सबसे पहले यह घोषणा करना चाहिये था कि सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिनसे स्टूडेंटस का झगड़ा हो गया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी जिससे वे कुछ शांत तो हो सकते थे । इतनी साधारण सी बात, जो जबानी कही जा सकती थी, जिसमें कोई कीमत अथवा श्रम नहीं लगता था वह नहीं कही गयी और न ही अधिकारियों के दिमाग में आई । उसकी पृष्ठ भूमि में हैं डी०आई०जी० इसलाम साहब । उन्होंने अपने सिपाहियों को तथा पुलिस आफिसर्स को इतना ट्रेन्ड कर रखा है कि जब चाहो साजिश कर लो, जिसे चाहो फांस दो और इस डी० आई० जी० की मनोवृत्ति एक थानेदार से भी गिरी हुई है ।

मैं नहीं समझता हूं कि इतने दिनों से गोरखपुर की किस्मत में यह क्यों बदा हुआ है । सारे उत्तर प्रदेश को इसका मजा चखाइये वरना गोरखपुर में रह कर और रोज वह जाल बट्टा करेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बदले की मनोवृत्ति से पुलिस ने कार्यवाही की और उसकी प्रेरणा दी डी०आई०जी० पुलिस इस्लाम साहब ने । जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां थे उन्होंने अपनी शराफत के नाते सारी चीज अपने ऊपर ओढ़ ली और रिपोर्ट में यह मन्जूर कर लिया कि मैंने गोली चलाने का आर्डर दिया । ही वाज रेन्डर्ड हेल्पलैस । वे यह नहीं कह सकते थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर था और मैंने कोई कार्यवाही नहीं की । परन्तु यह अवस्था वहां पैदा कर दी गई ।

एक उदाहरण मैं और पेश करना चाहता हूं कि पुलिस ने कार्डन बनाया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वाइस चांसलर से कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दें कि आपके विद्यार्थी वायलेन्ट नहीं होंगे तो कार्डन हटा लिया जायगा । (लाल बत्ती जलने पर) आप कुछ समय मुझे और दें ।

श्री अधिष्ठाता—

तीन मिनट आप और बोल लें ।

श्री रामलखन शुक्ल—

वाइस चांसलर बेचारे सीधे-साधे आदमी थे । उन्होंने लिख कर दे दिया और लिख कर देने के सम्बन्ध में जो क्रास-एग्जामिनेशन हुआ उसमें डी० एम० से यह सवाल हुआ कि आपने राईटिंग में क्यों मांगा । तो उन्होंने कहा कि इसलिये मांगा कि वाइस चांसलर को सेकेंड थाट का मौका मिल जाय, इसलिये कि इसको देखकर विद्यार्थी जरा दबें और वाइस चांसलर अपनी जिम्मेदारी समझें । जब राईटिंग में दे दिया तब नाटकीय घटना शुरू होती है । वाइस-चांसलर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ज्योंही टर्न राउन्ड हुये त्यों ही देखा कि लाठी चार्ज हो रहा है । जरा आप सोंचे कि कब लाठी चार्ज के खिलाफ वार्निंग हुई, कब सब बातें हुईं । ये सब फैब्रिकेटेड बातें हैं सिर्फ इसलिये कि पुलिस के लोग जो रोजाना अदालतों में मुकदमें चलाते हैं वे बड़ी खूबसूरती के साथ सारा मामला पेन्ट करते हैं । प्रोफेसर लोग बयान देना जानते नहीं । उन के प्राक्टर भी ठीक बयान नहीं दे सके । मैं समझता हूं कि सर्कमस्टान्सेस के आधार पर ऐसी रिपोर्ट हुई लेकिन असलियत की ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

बदले की भावना के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं । प्राइवेट टाक्स में डी० आई० जी जो कुछ कहा करते थे उसको छोड़ देता हूं ? इस रिपोर्ट में कहा गया है —

"Some of the shelt ring processionists were also beaten without apparent justification."

इतना ही नहीं । यह भी लिखा हुआ है कि नीम के पेड़ पर चढ़ कर जिन लोगों ने शरण ली उसके ऊपर पुलिस ने जाकर पत्थर मार के झगड़ा किया, जो गली में घुस गये उनको पीटा । एक बात और लिखी हुई है कि नीचे के पुलिस अधिकारियों और विद्यार्थियों की उत्तेजना से यह घटना हुई लेकिन ऊंचे अधिकारियों की कोई दोष नहीं है । मैं इस रिपोर्ट से बड़ी असहमति प्रकट करता हूं । क्योंकि मैं पूरे विभाग को एक (Integreted whole) मानता हूं और यह समझता हूं कि सिपाहियों की कार्यवाहियों की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों पर निश्चित रूप से है । इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी इन्वाल्व्ड थे और ऐसी पोजीशन हाउस में पैदा हो गयी । मेरा सिर्फ मन्तव्य यही है कि यह रिपोर्ट ऐसी है जिसपर बड़ी गम्भीरता के साथ सरकार को विचार करना चाहिये । दलीलों से कुछ भी साबित हो लेकिन गोरखपुर की जनता यह महसूस करती है कि वहां के डी० आई० जी० इस्लाम साहब ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बाईपास करके गोली चलवायी । इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय । एक निवेदन यह है कि हमारे जिले का उनसे पिंड छुड़ाये । यही मेरी प्रार्थना है ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, १९ अक्तूबर, की गोरखपुर गोलीकांड की घटना बड़ी दर्दनाक और शर्मानाक घटना है । श्रीमन्, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो यह कहने के लिये तैयार हूं कि पुलिस फोर्स के सभी आदमी खराब हैं । लेकिन जैसी घटनाएं हो रही हैं और जैसी बातें हो रही हैं उनमें इस बात की आवश्यकता थी, जैसी कि हम लोग मांग किया करते थे, कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिये और हमारी सरकार ने न्यायिक जांच करके उस कमी को पूरा किया लेकिन जो भी तथ्य इसमें निकले हैं, उससे कम से कम पूरी रिपोर्ट पढ़ने के नाते और एक वकील होने के नाते, मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि प्रारम्भ से लेकर अंत तक पुलिस ने साधारण घटनाओं की तरह से कोई ऐसे तथ्य बनाने का प्रयत्न किया है जिन से न तो पुलिस की प्रतिष्ठा को शोभा मिलती है और न जनता में भी अविश्वास पुलिस के प्रति पैदा होता है ।

इस घटना में पहली आवश्यक बात जो हमें देखनी है वह यह है कि कांस्टेबिल शिवनारायण-सिंह अपनी ड्यूटी पर शराब पिये हुये था या नहीं । पुलिस ने इस बात से इंकार किया है और उसकी तरफ से प्रमाण में मैडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई है । लेकिन इसी रिपोर्ट में जजेज इस नतीजे पर पहुंचे हैं और उन्होंने यह विचार व्यक्त किये हैं कि वह शराब पिये हुये था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

श्रीमन्, पहली कमजोरी यहां से प्रारम्भ होती है कि शिवनारायणसिंह कांस्टेबिल जब अपनी ड्यटी पर तैनात था तो वह शराब पिये हुये था ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जब घटना हो गई और उसकी सूचना प्राप्त हो गई और सिटी मैजिस्ट्रेट ने शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया तो जब एक कांस्टेबिल श्री रामनगीनासिंह चौराहे पर मारा गया, पुलिस की तरफ से यह अफवाह उड़ा दी गई कि इसको एक विद्यार्थी श्री रामयादव ने मारा है । इसके बारे में समिति ने निश्चित मत दिया है कि उसको इसमें शामिल किया गया इसके बाद यह भी निश्चय है कि जुलूस यूनिवर्सिटी से परे आया ....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया आसन ग्रहण करें । सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवदन कर रहा था कि यह भी पेज ६७ पर निश्चित जज द्वारा कर दिया गया है कि १४४ सी० पी० सी० का आदेश दस बजे तक सूचना विभाग की गाड़ी द्वारा प्रसारित किया गया यह सन्देहास्पद है । तो जिस वक्त यूनिवर्सिटी से जुलूस निकलता है उस वक्त भी इस बात की घोषणा नहीं की गई कि १४४ लग गया है हांलाकि रात में यह बात मालूम थी कि उत्तेजना बढ़ रही है और कोई कांड हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह आवश्यक था और इसलिये पुलिस ने एक झूठी शहादत बनाने की कोशिश की कि सूचना विभाग की गाड़ी द्वारा यह आदर्श प्रसारित किया गया ।

घोष क्रासिंग तक सारा जुलूस शान्तिमय था यह भी कहा गया है और तब तक किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं हुआ । इसके बाद यह भी निश्चित कहा गया है कि जब घोष क्रासिंग तक जुलूस पहुंचा गया तो एक अफवाह यह उड़ाई गई कि एक कांस्टबिल मारा गया और एक जीपकार उस घटना को देखने के लिये गयी तो उस पर पथराव किया गया । जज ने कहा है कि यह अफवाह गलत थी । न तो कांस्टबिल मारा गया और न कोई पंथराव हुआ । यह दूसरी बात है जो पुलिस ने शहादत बनाने के लिये गढ़ी कि चूंकि पहले घोष क्रासिंग पर एक कांस्टेबिल मारा जा चुका था और जीप पर भी पथराव किया जा रहा था इसलिये आवश्यक था कि घेरा डाला जाय । लेकिन जज ने कहा कि यह गलत था और ऐसा मालूम होता है कि झूठी अफवाह पुलिस वालों के पास पहुंची और यह गलत बात कही गई । उसके बाद जब घेरा डाल दिया गया और जब वाइस चांसलर से कहा कि आप लिखकर दे दें तो जज ने इस बात को कहा है कि जब वाइस चांसलर ने लिखकर दे दिया कि आगे जुलूस जाने दिया जाय तो पुलिस को अत्यन्त आश्चर्य हुआ और बड़ी परेशानी में पुलिस पड़ गई । वह समझते थे कि शायद वाइस चांसलर लिखकर नहीं देंगे । लेकिन जब वाइस चांसलर ने लिखकर दे दिया तो उनको परेशानी पैदा हुई और वह अत्यन्त आश्चर्य में पड़ गये । और उसके बाद जज ने यह भी निश्चित रूप से लिखा है कि नाटकीय ढंग से एक पत्थर आया और उस पत्थर के बाद जैसे ही पत्थर आया बगैर किसी चेतावनी के तुरन्त उसी वक्त पुलिस टूट पड़ी । यह भी जज का निश्चित मत है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है सारी इन्क्वायरी से कि जैसे ही पत्थर आया तुरन्त पुलिस टूट पड़ी और बराबर लाठी चार्ज होने लगा । चेतावनी के बारे में उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि चेतावनी दी हो, लेकिन जिस आवश्यकता के लिये चेतावनी दी जाती है कि लोग हट जायं, तितर-बितर हो जायं, उसके लिये उतना समय नहीं दिया गया और उन्होंने कहा है कि यह चेतावनी मैं ठीक नहीं समझता हूं । इसीलिये चेतावनी दी जाती है कि लोग हट जायं, लेकिन इतना मौका नहीं दिया गया और चेतावनी की आवश्यकता जिसके लिये है वह पूरी नहीं की गई, यह भी उन्होंने अपना निश्चित मत दिया है ।

इसके बाद उन्होंने यह भी बिलकुल निश्चित रूप से कहा है कि जो मारपीट की गई वह आवश्यकता से अधिक की गई । लड़कों को कोठरियों से निकाल-निकालकर मारा गया । और यह भी निश्चित मत उन्होंने दिया है कि जहां पिटाई की गई वह द्वेषपूर्ण भी की गई । यह अगर मंत्री महोदय चाहें तो ११५वें पेज पर वह देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज और पिटाई अनावश्यक की और वह पिटाई द्वेषपूर्ण भी थी । जो कुछ अधिकारियों ने कहा वह यह है कि साक्षियों द्वारा जो पिटाई बताई गई है वह उनकी जानकारी में पुलिस वालों द्वारा नहीं की गई । पिटाई के इस पहलू पर सावधानी से विचार करने के बाद मुझे विवश होकर यह कहना पड़ता है कि पुलिस वालों ने लड़कों को पीटा जब कि उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये लाठी चार्ज शुरू किया था, उन्हें पीटना आवश्यक नहीं था । यह पिटाई मेरे विचार से अनौचित्यपर्ण थी और कुछ हद तक द्वेषपूर्ण थी । यह जज साहब का निश्चित मत है कि पिटाई जो की गई वह द्वेषपूर्ण की गई । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इन्क्वायरी में ऐसे तथ्य सामने आये हैं कि जिनमें प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जज महोदय का यह निश्चित मत हुआ है कि पुलिस गलती पर थी । जज महोदय ने ऐसे तथ्य रखे हैं जिनसे मालूम यह होता है कि पुलिस ने ज्यादती की ।

अन्त में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के छपने के बाद मैं यह आशा करता था कि इस जांच के होने के बाद तुरन्त कार्यवाही की जायगी । मुझे यह सन्देह भी हो रहा है कि अगर इस न्यायिक जांच का प्रमाण आने के बाद गृह मंत्री महोदय ने पुलिस को जस्टिफाई करने का प्रयत्न किया तो इसका प्रभाव जनता पर बहुत बुरा पड़ेगा । जज महोदय ने इस रिपोर्ट में हर एक पेज पर कुछ न कुछ तथ्य सामने रखे हैं। जज महोदय ने अन्त में जाकर विद्यार्थियों पर और पुलिस पर समान रूप से उत्तरदायित्व डालने का प्रयत्न किया है । जज महोदय ने इस रिपोर्ट में बहुत टैक्निकल अपरोच किया है । पुलिसमैन की सुरक्षा का भी प्रश्न विचारणीय हो सकता है तो फिर उससे क्या कठिनाई उपस्थित हो सकती है, यदि यूनिवर्सिटी में कोई जुलूस निकाला जाय तो यह कोई अजीब बात नहीं है। जज साहब ने अपने तथ्यों में इस बात को लिखा है कि जो जलूस निकाला गया है उसका मन्शा केवल यह था कि पुलिस शासन के सामने प्रश्न किया जाय । जज ने कहा है कि उस प्रदर्शन का कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था कि उनकी तरफ से कोई विध्वंसात्मक कार्यवाही की जाय.....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस तरह से सरकार का उत्तरदायित्व है किसी बिल के सम्बन्ध में कोरम रखना हाउस के अन्दर उसी तरह से विरोधीदल का भी उत्तरदायित्व है ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई ।)

एक सदस्य—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है.....

श्री अधिष्ठाता—

कोई निवेदन विधिवत् आप उसी समय कर सकते हैं कि जब कोरम हो ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

लोग दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन यहां नहीं आते ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सब कामों के लिये नियम बने हैं । मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । कोरम के लिये किसी की भी जिम्मेदारी हो, लेकिन मैं किसी को विवश नहीं कर सकता कि कोरम यहां पूरा किया जाय ।

श्री झारखण्डेराय—

अगर इस मामले में हम गृह मंत्री जी की बात न सुन सकें तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आप से सहमत हूं, लेकिन मेरे अधिकार में किसी को बुलाना नहीं है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

चाय के अभाव के कारण ही यहां कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे दुख है कि ३४ से आगे संख्या नहीं बढ़ती । इसलिये आज कार्यवाही स्थगित होती है और अब हम लोग कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

१९ दिसम्बर, १९६३ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

शिक्षक का नाम	भुगतान की रकम	सामान की कमी का मूल्य जो सरकार को पाना है	विवरण
१	२	३	४
१—श्री देवराजसिंह	२३·५६		टी० ए० बिल ए० जी० को प्रीआडिट हेतु भेजा गया है ।
२—श्री शम्भूनाथ	जमानत व अवकाश वेतन लगभग १५००·००	सरकार का ८६४·०५· सोसाइटी का १६४४·६४।	इनके ऊपर सरकार व सोसाइटी का इतना रुपया बाकी है कि उनकी सिक्योरिटी का रुपया काट लेने के बावजूद भी सरकार व सोसाइटी का काफी रुपया पाना रह जायेगा जो कि इनकी जायदाद से वसूल करना पड़ेगा। इस तरह से इनको कुछ भी देना बाकी नहीं है । श्री शर्मा की मृत्यु हो चुकी है इसलिये इनके वारिसों से लिखा-पढ़ी चल रही है ।
३—कुमारी सुशीला सक्सेना	२३६·१२	७७·१४	बिल जिला उद्योध अधिकारी, बलिया द्वारा मुख्य कार्यालय (प्रसार) को ए० जी० को प्रीआडि हेतु भेजने को लिखा गया है। संघ सम्बन्धित शिक्षिका को कमी का मूल्य जमा करने हेतु उसके पूर्व पते पर लिखा गया था परन्तु उसका वर्तमान पता ज्ञात न होने के कारण उसका पत्र वापस आ गया है ।
४—श्री रामअवतार शर्मा	१८·१६		दक्षता रोक संबंधित वतन बकाया का १२४९·५२ न० पै० का भुगतान कर दिया है केवल टी० ए० का १८·१६ न० पै० बाकी है जिसके लिये मुख्य कार्यालय (प्रसार) को स्वीकृत प्राप्त करने हेतु भेजा गया है।
५—श्री शफीखां	१९·६९	९·०५	श्री शफी खां की मृत्यु हो चुकी है, जमानत को १९·६९ न० पै० वापिस नहीं किया जा सका है क्योंकि स्टाक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिक्षक का नाम	भुगतान की रकम	सामान की कमी का मूल्य जो सरकार को पाना है	विवरण
१	२	३	४
			की कमी का पैसा वसूल करना है। पोस्ट आफिस को लिखा गया है कि पावने रकम काट कर शेष वापस कर दें। पोस्ट आफिस से लिखा पढ़ी चल रही है।
६—श्री लक्ष्मीकान्त पांडेय	१२४३·३८		इनका मामला अदालत के विचाराधीन है वहां से फैसला हो जाने पर ही विभाग कुछ कर सकेगा।
७—श्री राजबहादुर सक्सेना	६०७·५७	७२६·६३	इनके ऊपर सरकार का जो रुपया बाकी है वह इनकी जमानत से ११६·०६ न० पै० ज्यादा है वसूली के लिये लिखा-पढ़ी चल रही है।
८—श्री बचऊराम	४६४·७५	३·३६	पोस्ट आफिस, घोसी, जिला आजमगढ़ को ३·३६ न० पै० वसूली करने हेतु लिखा गया है उक्त रकम वसूल होने पर जमानत मुक्त कर दी जायगी।
६—श्री लाल जी ..	२१७·७८	६६६·१०	कमी की रकम वसूल करने हेतु कार्यवाही चल रही है कमी का रुपया वसूल करने के पश्चात् कुछ भी देय नहीं है।
१०—श्री रंगनाथ दुबे ..	६२·७२	..	उनके दो टी० ए० बिल ३१·६७ न० पै० व ३०.७५ के डी० आई० (एक्सटेंशन) द्वारा ए० जी० को प्रीआडिट हेतु भेजे गये थे जिसके बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
११—श्री मंगूसिंह ..	१७८·२०	..	७४·१४ न० पै० के बिल ए० जी० को प्रीआडिट हेतु भेजे गये हैं। ए० जी० से जांच के पश्चात् ही इनका भुगतान होगा १०४·०६ न० पै० के टी० ए० बिल की त्रुटियां ठीक कराने के उपरान्त ए० जी० द्वारा जांच कराने हेतु मुख्य कार्यालय को लिखा गया है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

तालिका

थाना मूंढा, जिला मुरादाबाद में दिनांक १–१–६२ से ३०–११–६३ तक घटित कत्ल, डकैती तथा राहजनी की घटनाओं की सूचना।

क्रम-संख्या	थाना	घटनाओं की संख्या जिनकी सूचना थाने में प्राप्त हुई	मामले जो अदालत भेजे गए	मामले जो छूट गए	मामले जो चल रहे हैं
		कत्ल			
१	मूंढा	११	६	३	३
		डकैती			
२	..	५	५	..	४
		राहजनी			
३	..	२	—	—	—

नोट :—डकैती का एक मामला सजायाब हुआ तथा राहजनी के दोनों मामलों में जांच हो रही है। कत्ल के चार मामलों में तफतीश जारी है तथा एक मामला लापता रहा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

दिनांक १०-९-६३ को थाना जी० आर० पी०, झांसी को यह सूचना प्राप्त हुई कि गोविन्दप्रसाद नामक व्यक्ति जो स्कूल आदि के जाली सार्टिफिकेट बनाता है अपने अन्य साथियों सहित रेलवे स्टेशन, झांसी के प्लेटफार्म पर मौजूद है और गाड़ी से कहीं जाने वाला है। इस सूचना के आधार पर सबइंस्पेक्टर, जी० आर० पी०, श्री छत्रपालसिंह रिजर्व सबइंस्पेक्टर, श्री सुरेन्द्र शर्मा व पुलिस के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इतमीनान करने के बाद गवाहों के सामने निम्नलिखित व्यक्तियों की तलाशी ली।

१— गोविन्द प्रसाद, निवासी खुशीपुरा, थाना नवाबाद, जिला झांसी;

२—बी० जोन्स, बिड़ला नगर, ग्वालियर;

३—चमनलाल शर्मा, निवासी सुन्दरबानी, तहसील नौशेरा, जिला पूंछ।

(हाल पता) मैनेजर लक्ष्मी होटल लश्कर ग्वालियर पुलिस ने उपरोक्त व्यक्तियों से कुछ जाली सार्टिफिकेट तथा अन्य सम्बन्धित कागजात बरामद किए। थाना जी० आर० पी०, झांसी में इस सम्बन्ध में धारा ४२०/४६५/४६८/४७४/१०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसमें जांच हो रही है।

नत्थी 'घ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पृष्ठ १७४ पर)

दिनांक २-९-६३ की शाम को श्री भानुप्रतापसिंह, नि० कमरपुर, थाना सरपतहा, जि० जौनपुर अपनी फूफी जात बहन को पहुंचाने के लिए बस से हरैया बाजार, थाना छावनी, जिला बस्ती आये और रात्रि में एक व्यक्ति श्री चन्द्रभूषनसिंह, सा० मुरादीपुर, जिला बस्ती के यहां रुक गये दूसरे दिन ३-९-६३ को लगभग ९-३० बजे दिन जब वह श्री चन्द्रभूषणसिंह के साथ हरैया बाजार जा रहे थे तो वहां तीन व्यक्ति आये और उनमें से एक ने ललकार कर कहा कि अब मौके पर आ गये हैं, इन्हें जान से मार दो इस पर श्री भानुप्रताप सिंह व श्री चन्द्रभूषण पर एक व्यक्ति ने बन्दूक से फायर किया जिसके फलस्वरूप श्री भानुप्रतापसिंह को चोटें आईं। दोनों व्यक्ति जान बचाने के लिये भागे और तीनों व्यक्तियों ने उनका पीछा किया। श्री भानुप्रतापसिंह, चोटों के कारण एक धान के खेत में गिर गए तथा श्री चन्द्रभूषणसिंह भागने में सफल हुए। तीनों व्यक्ति खेत पर पहुंचे और श्री भानुप्रतापसिंह पर दुबारा फोयर किया गया और उनके सर पर बन्दूक के कुंदे से भी मारा गया। श्री भानुप्रतापसिंह बेहोश हो गये थे। उन्हें शीघ्र ही हरैया बाजार लाया गया और मरहम-पटटी के बाद डाक्टर की राय पर सदर अस्पताल, बस्ती पहुंचाया गया जहां दिनांक ६-९-६३ की शाम को उनकी मृत्यु हुई।

२—उक्त घटना की सूचना थाना छावनी पर दिनांक ३-९-६३ को श्री चन्द्रभूषणसिंह ने दी। इस सूचना पर धारा ३०७-भा० द० विधान का अभियोग दर्ज किया गया और श्री भानु-प्रताप की मृत्यु हो जाने पर धारा ३०२ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया। इसमें जांच हो रही है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

नई योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की तालिका

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	नाम	अनुमानित व्यय १९६३-६४
१	राज्य नलकूपों पर १,२५० मील लम्बी-पक्की नालियां व ४,२०० मील लम्बी-कच्ची नालियों का विस्तार ..	२७.००
२	चीनी मिलों के अरक्षित क्षेत्रों में ३२४ राज्य नलकूपों का निर्माण ..	३०.००
३	राज्य के पूर्वी जिलों में ११० नलकूपों का निर्माण ..	१०.००
	योग ..	६७,००

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

अर्ध शासकीय पत्र सं० एफ० आर० के होम

संसद सदस्य
(राज्य सभा)

सर्वोच्च पूर्वता
मोहम्मद मंजिल,
शाहगंज बिल्ली
दिनांक, १४ जुलाई, १९६३,

प्रिय गुप्त जी ,

मैं इसके साथ सरदार स्वर्ण सिंह, निवासी गुरुद्वारा सत्संग, मोहल्ला होंगी, सदर बाजार, मेरठ का प्रार्थना-पत्र दिनांक १४ जुलाई १९६३ संलग्न कर रहा हूं। इस प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित बातों से हमारे देश की प्रतिष्ठा को बडी क्षति पहुंची है। युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले सैनिकों की अनुपस्थिति में उनके परिवारों तथा उनकी सम्पत्तियों का, जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। उन्हें प्रोत्साहित करने का यही उपाय है।

कृपया इस मामले में जांच करायें और शीघ्र कार्यवाही करें। मुझे आशा है कि आप प्रार्थी की शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में अपने सद्भाव का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि युद्धरत् सैनिकों को प्रोत्साहन मिले।

इसके लिये आप का धन्यावाद। आशा है आप इस संबंध में शीघ्र उत्तर देंगें।

भवदीय ,
डा० मिर्जा अहमद अली,
संसद सदस्य

श्री सी० बी गुप्ता,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

सेवा में,

माननीय श्री सी० बी० गुप्ता,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

माननीय महोदय,

मैं आपका ध्यान सैनिक कर्मचारी के प्रति किए गए अन्याय, अत्याचार तथा असहयोग के ज्वलन्त उदाहरण की ओर आकर्षित करता हूं। निम्नलिखित तथ्यों से उक्त मामले के संक्षिप्त इतिहास का पता लगेगा।

मैं सिपाही मैसन नं० १५५८२ कान्ट्रक्शन नं० १२१ में कार्य कर रहा था तथा वर्ष १९६०-६१ में तवान एरियाज सुपर कैम्प में तैनात था। वहां मुझे अपने पड़ोसी, मेरठ के डा० रघुनाथ से एक पत्र मिला जिसमें मेरी पत्नी के लापता हो जाने तथा ३०,००० रु० के मूल्य की सम्पत्ति के लूटे जाने का उल्लेख था। मैंने सैनिक प्राधिकारियों से अपने परिवार के मामलों की देख-रेख के लिये छुट्टी स्वीकृत करने के लिये तुरन्त प्रार्थना की तदनुसार मुझे छुट्टी स्वीकृत हो गई। मैं मेरठ आया और तब मैंने देखा कि पत्र में जो कुछ लिखा था वह सही था। मैंने अपनी पत्नी को तलाश किया लेकिन सब निष्फल हुआ। बाद में मुझे अपनी पत्नी के लापता होने का यह सुराग मिला कि उसे सर्वश्री प्रतिमसिंह, रामदास, बुद्ध प्रकाश, धर्मवीर और सत्यपाल आत्मज चन्दू सुनार ग्राम डालमपुर, थाना जानी, जिला मेरठ, सर्वश्री महावीर सिंह, ग्राम डान्डापुरा, थाना मवाना, सर्वश्री कृष्णकुमार आत्मज नन्द स्वरूप, ग्राम मूमा खोरी, थाना मोरापुर, तहसील जांसठ, जिला मुजफ्फरनगर आदि ने लापता किया है। मैंने पुलिस अधिकारियों तथा अन्य जिला प्राधिकारियों के द्वार खटखटाये परन्तु किसी ने भी मेरे विनम्र निवेदन पर ध्यान न दिया। किन्तु मैंने पुलिस थाना सदर बाजार, मेरठ में १२ अप्रैल, १९६२ को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई परन्तु पुलिस ने उस मामले में जांच करने के बावजूद मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल दफ्तर कर दी। तब असहाय होकर मैं उपर्युक्त गुन्डों के कब्जे से अपनी पत्नी को बरामद करने के लिए निकला।

ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मंशाराम की जांच के फलस्वरूप में ग्राम डालमपुर, थाना जानी, जिला मेरठ गया परन्तु वहां पर ग्राम पंचायत अथवा गांव वालों से सहायता पाने के बजाय जब कि मैं मेरठ जा रहा था तो मुझे गुन्डों ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और जब शरीर के सभी स्थलों पर अनेक चोटें लगने के कारण मैं बेहोश हो गया तो होश आने पर मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। अब भी मैं पूर्णतया स्वस्थ्य नहीं हूं और तब से मैं बराबर माननीय मंत्रियों के द्वार खटखटा रहा हूं परन्तु किसी ने भी मेरे प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखलाई।

जब कि सेना में सेवारत सैनिकों के प्रति जो कि मोर्चे पर मातृ भूमि के गौरव की रक्षा के लिये युद्ध क्षेत्र में अपना जीवन न्योछावर करने जाते हैं ऐसा बर्ताव और रवैया अपनाया जाता है तो इससे सेवा रत सैनिकों को बड़ा धक्का लगता है और इससे निरुत्साहित होते हैं जिससे देश का अहित होने की सम्भावना है। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस सैनिक के हेतु एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि उसकी (सैनिक की)। अनुपस्थिति में उसका परिवार और उसकी सम्पत्ति सुरक्षित रहेंगी।

कष्ट के लिये आपको धन्यवाद। आशा है आप तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

आपका विश्वासपात्र,
(ह०) सरदार स्वर्ण सिंह
भूतपूर्व सिपाही सं० १५५८२
१२१, कान्सट्रक्शन कम्पनी, तावांग एरिया
सुपर कैम्प, आसाम,
द्वारा गुरुद्वारा सत्संग,
मुहल्ला छाकी, सदर बाजार,
मेरठ छावनी।

दिनांक, १४ जुलाई, १९६३।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

कलक्टर व अध्यक्ष

विषय :—टाइप बाबू के नोट के प्रसंग में जिसमें श्री स्वरन सिंह भू० पू० फौजी के मामले से संबंधित सभी कागजात के संबंध में मेरी रिपोर्ट निम्नलिखित है :—

कि एक प्रार्थना पत्र आई० एस० एस० एन्ड ए० बोर्ड न्यू दिल्ली के पृष्ठांकित अर्ध-पत्र द्वारा २२–४–६३ को प्राप्त हुआ था।

यू० पी० सूबेदार हरीसिंह जो भू० पू० फौजी को जानता है वह बोर्ड का एक अवैतनिक वैलफेयर वर्कर है, को यह मामला जांच के लिये दिया गया।

कलेक्ट्रेट से दूसरा पत्र १२–७–६३ को प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने स्वयं जांच की थी।

निम्नलिखित स्थानों पर इस संबंध में गया :–

मुलतान नगर — किशन पुरा

डालमपुर — गुरद्वारा सदर बाजार, मेरठ छावनी

निम्नलिखित व्यक्तियों से पूछ ताछ की :–

१—श्री हरदित सिंह, सेक्रेटरी, गुरद्वारा सत्संग। २—भू० पू० जमादार करतार सिंह। ३–ग्राम ललसाने के श्री रनवीर सिंह। ४–ग्राम मुलतान नगर के डा० रघुनाथ सहाय। ५–डालमपुर के श्री बलजीत सिंह। ६—मुलतान नगर के श्री जय प्रकाश ७—पुलिस के उप अधीक्षक श्री डी० एस० रावत।

जांच से ज्ञात हुआ कि स्वरन सिंह की पत्नी को जब वह मुलतान नगर में रह रही थी पीतम सिंह इत्यादि ने भगाया। पीतम सिंह नि० डालमपुर फौजी है।

वास्तव में उसकी अनुपस्थिति में उस के घर का सामान ले जाया गया। उस सामान की कीमत नहीं ज्ञात हो सकी।

यह भी ज्ञात हुआ कि मुलजिमों के विरुद्ध दो अभियोग चलाये गए एक मुजफ्फरनगर में व दूसरा मेरठ में। दोनों अभियोग स्वरन सिंह के विरुद्ध निर्णित हुए और यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी ने बयान दिया कि वह अपने पति स्वरन सिंह के पास नहीं रहना चाहती।

खोये हुये माल में से कुछ वस्तुएं पुलिस ने जब कि मेरठ में अभियोग चल रहा था, प्राप्त कीं, किन्तु अभियोग स्वरन सिंह के विरुद्ध निर्णित होने पर अभियुक्तों को वापस कर दी गई थी। मैंने कई बार स्वर्णसिंह से बात की किन्तु वह कभी भी तर्क को नहीं मानता और यह कहता है कि पुलिस ने अभियुक्तों का बचाव करने में सहायता की और क्योंकि वह निःसहाय है और उसके पास कोई साधन नहीं है अतः अभियोग में कुछ नहीं हो सका।

मैं स्वयं उस की पत्नी से नहीं मिल सका। एक बार मैं डालमपुर भी गया जहां का पीतम सिंह निवासी है किन्तु उसका कुछ पता नहीं चला।

मेरा विचार है कि जहां तक उसकी पत्नी के लौटाने का प्रश्न है वह निरर्थक है क्योंकि वह स्वयं स्वरन सिंह के साथ नहीं रहना चाहती किन्तु उसकी रिपोर्ट में लिखी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। मैं स्वयं पुलिस के साथ उस स्थान पर जाने को तैयार हूं जहां कि पुलिस प्रार्थी के लिये स्थानों पर प्राप्त हो सके।

(ह०) निरंजन सिंह कैप्टेन,
सेक्रेटरी, डि० एस० एस० एन० ए० बोर्ड,
मेरठ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

भुगतान तालिका १

क्रम-संख्या	नाम गृहीता	अनुदान स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत अनुदान की धनराशि	अनुदान जो दिया जा चुका	भुगतान की तिथि	धनराशि जो देना शेष है
१	रंजीत	११-७-६०	७५०-००	५००-००	७-४-६१	कुछ नहीं
				१५०-००	२५-७-६३	..
				१००-००	१८-१०-६३	..
			योग	७५०-००		
२	ब्रह्मदत्त	,,	७५०-००	५००-००	७-४-६१	..
				२५०-००	१८-१०-६३	..
			योग	७५०-००		
३	जगदीश	,,	७५०-००	५००-००	७-४-६१	..
				२५०-००	१८-१०-६३	..
			योग	७५०-००		
४	बाबूलाल	,,	७५०-००	५००-००	७-४-६१	१००-००
				१५०-००	२५-७-६३	
			योग	६५०-००		
५	चुन्नीलाल	,,	७५०-००	५००-००	७-४-६१	१००-००
				१५०-००	२१-३-६३	
			योग	६५०-००		
६	पित्तन	,,	७५०-००	५००-००	७-४-६३	१००-००
				१५०-००	२५-७-६३	
			योग	६५०-००		

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

अनुसूचित आदिम जाति घोषित करने के लिए भारत सरकार को भेजी गयी जातियों की सूची

१—गोंड,
२—भोटिया,
३—थारू,
४—भोक्सा,
५—भील,
६—कोल ,
७—भुइया,
८—कोरवा,
९—राजी अथवा वनमानुस अथवा वनरावत,
१०—चेरो,
११—खरवार,
१२—बोरा,
१३—जौनसारी,
१४—मुस्लिम गुज्जर,
१५—पनिका अथवा पंका,
१६—परहिया,
१७—अगरिया,
१८—सहारिया ।

संसद भवन

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

नक्शा अपराध त्रैमासिक थाना रामनगर, बाराबंकी

अपराध	रिपोर्ट विवेचना	चालान	सजा	रिहा	विचाराधीन	विवेचना धीन न्यायालय	लापता	विवरण
१–१–६३–से ३१–३–६३ तक								
हत्या	.. ..	..	..	..	..	..	..	
डकैती	३ ३	२	..	१	१	१	..	
राहजनी	१ १	..	..	..	..	..	..	
चोरी	१४ १२	४	..	..	४	..	८	खारिज दो की विवेचना नहीं हुई।
१–४–६३–से– ३०–६–६३ तक								
हत्या	२ २	२	..	२	..	..	..	
डकैती	१ १	१	..	..	१	..	..	
राहजनी	.. ..	..	..	..	..	..	..	
चोरी	१० १०	३	..	..	३	..	७	
१–७–६३ से ३०–९–६३ तक								
हत्या	१ १	१	..	..	१	..	..	
डकैती	.. ..	..	..	..	..	..	..	
राहजनी	१ १	..	..	..	..	..	१	
चोरी	६ ६	३	..	..	३	..	३	

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

बलिया जिले में जनवरी, १९६१ से सितम्बर, १९६३ तक सालाना तथा थानेवार हुई डकैती व कत्ल की घटनाओं का विवरण

थाना	वर्ष		डकैती	हत्या
१ कोतवाली ..	१९६१		..	४
	१९६२		२	४
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	२	३
२ थाना रसरा ..	१९६१		१	२
	१९६२		३	४
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	१	१
३ सिकन्दरपुर ..	१९६१		..	१
	१९६२		१	३
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	१	२
४ उभौन	१९६१		२	२
	१९६२		..	१
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	१	..
५ भीमपुरा ..	१९६१		२	१
	१९६२		२	१
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	..	..
६ हलधरपुर ..	१९६१		१	..
	१९६२		१	२
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	१	..
७ नगरा	१९६१		..	..
	१९६२		१	२
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	..	..
८ गरवर	१९६१		..	..
	१९६२		..	३
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	१	..
९ बन्सडीह ..	१९६१		१	१
	१९६२		३	२
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	१	३
१० सहतवार	१९६१		१	४
	१९६२		..	३
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	२	४
११ नरही	१९६१		१	..
	१९६२		१	..
	१९६३	३०-९-६३ तक ..	२	४

	थाना		वर्ष		डकैती	हत्या
१२	बैरिया ..	..	१९६१		१	१
			१९६२		१	२
			१९६३	१०-९-६३ तक ..	३	..
१३	हल्दी ..	..	१९६१		१	२
			१९६२		..	..
			१९६३	१०-९-६३ तक ..	..	१
१४	मलीयार	..	१९६१		१	..
			१९६२		१	१
			१९६३	१०-९-६३ तक ..	१	१
			योग ..		४५	६७

विधान सभा सचिवालय पटना

नथी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर)

तफतीश का संक्षिप्त विवरण

हत्या की घटना की सूचना थाने में उसी दिन शाम को ७.३० बजे श्री जगदम्बा प्रसाद द्वारा हुई जिसमें ११ व्यक्तियों के नाम दिये गये थे और यह आरोपित किया गया था कि इन्हीं व्यक्तियों ने हत्या की। इस सूचना के आधार पर एक अभियोग धारा १४७, १४८, १४९, ३२३, ३२४, ३०७, ३०२, २०१ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। सभी अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मामले में तफतीश की जा रही है।

संसद सदस्य

नकल तहरीर हिन्दी

सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं मौजा बन्थरा में रहता हूं। मेरे गांव में एक मुकदमा १०७/११७ का पुलिस ने चलाया है। मुकदमों में राजाराम, कौशलकिशोर, देवी प्रसाद, श्री राम वगैरह गांव के चालान हुए। मैं दूसरी पार्टी में, रामआसरे छोटा उर्फ सूर्य नारायण इस बात से कि मुकदमा मैंने और मेरे भाई जनक नारायन ने चलवाया है मुझसे व मेरे भाई से बुरा मानने लगे हैं और मुझको व मेरे भाई को इसी रंजिश से मारने की ताक में थे। आज मेरा भाई जनक नारायण व देवीप्रसाद शाम को चार बजे जब वे लोग गहिरा खेत देखने गये थे वहां पर मेरे भाई व देवी प्रसाद को मन्ना, रज्जन, बाबू लाल पुत्र बन्शगोपाल, सूर्य नारायण उर्फ छोटा पुत्र मदन गोपाल व राम आसरे पुत्र महगू, कामता पुत्र महादेव, छोटिया पुत्र रम्मू ने आकर घेर लिया, वे दोनों बचने के लिये गांव की तरफ भागे मेरा भाई व देवी प्रसाद मेरे पास घर पर आये और मुझे सब किस्सा बताया मैं साइकिल ले कर थाने के लिये गांव से चला। मैंने गांव के, पश्चिम तरफ से उपरोक्त लोगों के गांव की तरफ आते हुए देखा मन्ना और छोटा ने मुझे देख कर कहा कि घेर लो जाने न पावे मैं डर के मारे गंगा दीन अहीर के घर में घुस गया वह सातों आदमी गांव के बाहर-बाहर रामशंकर के मिर्चहा खेत के पूर्वी कोने पर आ गए मेरी मां चिल्लाई इन लोगों ने जगदम्बा प्रसाद निकल कर गयरिया के खेत के कोने पर आ गया शोर होने पर गांव के गंगा चरन, श्री राम, मेरी मां गांव व मेरी लड़की मुन्नी व काली चरन मेहतर की दुलहिन व गंगा चरन मेहतर की औरत व पड़ोस की औरतें व बच्चे व रंजीत व जगदीश वगैरह आ गए मन्ना उर्फ सत्यनारायण व छोटा उर्फ सूर्य नारायण बन्दूक लिए हुए व बाबू लाल कांता लिये हुए रज्जन राम आसरे व गंगाराम हाथ में बल्लम लिये हुये और कामता छोटिया व यदुनाथ उर्फ मझले के हाथ में लाठी व पुत्तन तथा बन्श गोपाल हाथ में लाठी लिये हुए थे। राम शंकर के मिर्च वाले के पूरब ग्राम समाज की जो आबादी की जगह छटी है। उसी में आकर इकट्ठा हो गए। बाबू लाल ने ललकारा कि दुश्मन आ गए मार देव इस पर सूर्य नारायण उर्फ छोटा ने बन्दूक का फायर कर दिया तथा दूसरा फायर मन्ना उर्फ सत्यनारायण ने किया जिससे जनक नारायण चोट खा कर गिर पड़ा मेरी मां दौड़ कर मेरे भाई से लिपट गई तथा रोने लगी इस पर मैं व देवी प्रसाद, जनक नारायण को उठाने के लिये बढ़े तो बन्श गोपाल ने कहा कि इन दोनों को मार दो व लाश उठा लाओ इस पर मन्ना व छोटा ने बन्दूक तानी इस पर हम लोग मारे डर के पीछे हट गए। बन्दूक के डर के मारे गांव के लोग भी, कोई आदमी लाश के नजदीक नहीं पहुंच पाए बाबू लाल ने मेरी मां को मार कर ढकेल दिया और मेरे भाई की लाश को रज्जन, बाबू लाल, राम आसरे व गंगा राम बन्श गोपाल के मकान की तरफ ले गए व लाश गायब कर दिया हम लोग बन्दूक के डर के मारे लाश नहीं पा सके। मेरा दावा उपरोक्त ग्यारह आदमियों पर मेरे भाई को जान से मार कर गायब कर देने का है।

मु० इ० न० २९० धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३२४/३०७/ ३०२/ २०१ ता० हि०

वारदात देह नं० २ मूल

वारदात हल्का नं० ९७ न्यायालय के लिये

व हल्का नं० १ प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि संग्रह की धारा १५४ के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के योग्य अपराध की प्रथम सूचना।

थाना जहानाबाद

सब डिस्ट्रिक्ट बिन्दकी

जिला फतेहपुर

संख्या २९१ दिनांक व समय घटना का समय ४ बजे शाम वकुआ दि० ४-१०-६३

दिनांक व समय जब कि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
दिनांक ४–१०–६३ समय १९.३०	ग्राम बन्थरा व फासला चार मील दक्षिण	४–१०–६३

नोट:—प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जाई गई सम्पत्ति, यदि कोई हो, का विवरण	कार्यवाही व तहकीकात में देरी का कारण	मुकदमें का परिणाम
श्री जगदम्बा प्रसाद, पुत्र बाबू राम, सा० बन्थरा, पा० जहानाबाद, जिला फतेहपुर। मुहल्ला जनक नारायण।	(१) मन्ना उर्फ सत्यनारायण, (२) रज्जन, (३) बाबू लाल, पुत्रान बन्शा गोपाल, (४) पुत्तन पुत्र बाबू लाल, (५) छोटा उर्फ सूर्य नारायण, (६) बन्शा गोपाल पुत्र नारायण प्रसाद, (७) राम आसरे पुत्र मंहगू, (८) गंगा पुत्र मंहगू, (९) कामता पुत्र महादेव, (१०) छोटिया पुत्र रम्मु, (११) यदुनाथ पुत्र रम्मे, सा० बन्थरा, थाना जहानाबाद, फतेहपुर।	बलवा सहित ज्ञात धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३२४ ३०७/३०२/२०१/ ता० हि०।	सूचना में जो कुछ विलम्ब है वादी की ओर से है हस्ब सूचना तहरीर मुकदमा कायम किया गया विवेचना श्री मनोहर सिंह एस० ओ० करेंगे।	विवेचना श्री मनोहर सिंह एस० ओ०।

(ह०) सूबेदार सिंह, एच० सी०
१२६
समयाध्यक्ष
४–१०–६३

MEDICAL REPORT OF MST. DULARI, MOTHER OF DECEASED JANAK NARAIN

Examined Mst. Dulari aged about 55 Years, wife of Babu Ram, resident of village Banthara, Police Station Jahanabad, district Fatehpur, b/b Ram Narain Constable no. 83 at 5.40 p.m. on 5th October, 1963.

An old scar 1½" X 3/10" on the upper part of lateral side of left leg.

1. Contusion 1½" X 3/4" on the left side of abdomen.
2. Complains of pain over the right side of chest.
3. Complain of pain on the right little finger and right elbow joint.

(Sd.) S. C. TANDON,
Dr. S. C. TANDON,
B.Sc., M. B. B.S.,
Medical Officer, Incharge,
Post Office Kora,
Jahanabad, Fatehpur.

Left Thumb-Impression of
Mst. DULARI,
(Sd.) S. C. TANDON.

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

जिला एटा में जनवरी, १९६३ से ३१-१०-६३ तक हुए कत्ल व डकैती व चोरियों की संख्या

अपराध	कितनी घटनाओं की रिपोर्ट हुई	तहकीकात की गई	मुकदमें चले	सफल हुए
कत्ल	४८	४८	२४	१
डकैती	२९	२९	२१	१
चोरी	१,४९२	१,२९६	३०६	११६

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

क्रम-संख्या	रिपोर्ट की पैराग्राफ संख्या	सिफारिश का सारांश	विवरण
१	७३	नियुक्त अधिकारियों को चाहिये कि वे रोजगार कार्यालयों को इस बात के लिये पर्याप्त समय दें कि वे अभ्यर्थियों के पास उन्हें बुलाने के लिये पत्र भेज सकें।	यह सिद्धांततः मान ली गई है।
२	७७	अभ्यर्थियों की मांग सम्बन्धी वर्तमान प्रपत्र का संशोधन किया जाना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई है।
३	८५	अल्पकालिक रिक्त स्थानों को भरने के लिये अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची क्रमावलि के आधार पर तैयार की जानी चाहिये।	सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है।
४	८७	आरक्षण आदेशों को प्रभावी करने के लिये २५ रिक्त स्थानों (posts) की एक आदर्श क्रमावलि निर्धारित की जाय।	मान ली गई है।
५	१०६	आरक्षण आदेशों के पालन की जांच करने के लिये नियुक्ति विभाग में एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिये।	अधिकारी की नियुक्ति हो गई है।
६	१४५	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावासों में दूसरी जातियों के मुकाबले कम से कम १० प्रतिशत छात्र लिये जायं और सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।	सिद्धांततः स्वीकार कर गयी है।
७	१४७	ज्येष्ठ (सीनियर) अधिकारियों को चाहिये कि वे अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहित करें जिससे कि वे अपने सेवा की आरम्भिक जांच अवस्थाओं में अपने भीतर विश्वास की भावना पैदा कर सकें।	स्वीकार की गयी है।
८	१५१	भरे न गये आरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति अगले दो कलेण्डर वर्षों के बजाय भर्ती के दो वर्षों में की जाय।	सिद्धांततः स्वीकार की गई है।

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १९४ पर)

तालिका

मारे गये डकैतों के नाम	किसके द्वारा मारे गये
१—प्यारे उर्फ मोती २—सुरसम उर्फ शर्मा ३—विशन दास ४—कोमिल कोरी ५—चेतराम जाटव ६—कोमिल जाटव ७—प्रीतम सिंह .. ८—सोवरन सिंह	पुलिस द्वारा
९—गंगा सिंह	.. दल के अन्य डकैतों द्वारा।

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर)

तालिका

बाजपुर कोग्रापरेटिव शुगर फैक्टरी, जिला नैनीताल के कर्मचारियों का जो १५ जुलाई, १९६३ से जिन कारणों से विघटित हुये हैं अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है इसका विवरण

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	तारीख: विघटन	तारीख: त्याग-पत्र	कारण: विघटन के	कारण: त्याग-पत्र के
१	२	३	४		५	
१	श्री यू० एस० गुप्ता	डिप्टी चीफ एकाउन्टेंट	२२-९-६३	पद की आवश्यकता न रही।		..
२	श्री बालगोविन्द प्रसाद	हेड पैनमैन	१-९-६३	उपरोक्त	..	..
३	श्री जे० पी० महेश्वरी	पर्सनल सेक्रेटरी	१९-१०-६३	उपरोक्त		..
४	श्री आई० एस० अग्रवाल	शुगर गोडा ऊन कीपर।	..	१०-१०-६३	घरेलू परिस्थितियों के कारण	
५	श्री महेश चन्द्र ..	टाइपिस्ट	..	३०-९-६३	उपरोक्त	
६	श्री एस० के० गोयल	शिफ्ट इंजीनियर।	..	२-१०-६३	कार्य से वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट न कर सके	
७	श्री बनारसी दास ..	टर्नर ..	..	१६-१०-६३	जलवायु अनुकूल न होने के कारण	
८	श्री राम नरेश सिंह	इलेक्ट्रीशियन		१७-८-६३	अन्य स्थान पर अधिक उन्नति की आशा में	
९	श्री तेज प्रकाश ..	स्वीच बोर्ड अटेंडेंट		८-१०-६३	असमर्थता के कारण	
१०	श्री भवानी दत्त ..	ओवरसियर		३-८-६३	त्याग-पत्र दे दिया	

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

तहसील का नाम	दी गई रसीद बुकों की संख्या	रसीद बुक नम्बर
कानपुर ..	१०८	२१, १२६०–१३३६।
मोगनीपुर ..	२७६	४३–४७, २१२–२१८, ४०१–४१८, ६१०, ६११–६३४, १५५७–१६४६, १६५८–१७५८, ६८६–६६७, ५१२–५१३, २६१–२६८, १५१२–१५२१।
घाटमपुर ..	३१६	६०२–६०६, ३८–४२, ४८१–४८५, १०७५–११५०, १३५१–१३७४, १८११–१८३०, २४२४–२५०३, २०२६–२०८०, १६६–१६७, १६४, १८१, १८२, १५०, ७५३–७५५, १०५–१००८, १८६–१६१, १०२१–१०३०, १३७–१७३, १७४, १५२२–१५४१।
अकबरपुर ..	१८४	२५, ४१६–४२१, २३४१–२३४२, २३८६–२३६७, १८०८–१८१०, ३३–३७, १०३१–१०५०, १२०१–१२०५, २५११–२५५४, १६६१–२०१०, २०८६–२१२१, १३२, १६२–१६४, १३७५–१३८०, १६५१–१६५६, १३३, ४४१–४५५, १६०७, १६११, १५०६–१५०७, २३६८–२४०१।
डेरापुर ..	११४	२३, १४६, १७७–१७८, १२०६–१२११, ५५३–५६६, ३३३५–३३५६, २३७०–२३७५, १६२२–१६२७, १६५४, १६६३, २०८१–२०८२, २१२२–२१२५, ४८–५२, २३२०–३३३४, १८४७–१८७६, ६७२–१००४, १६१२–१६२१, १३८, १७५–१७६, १०१०, १०२०, १८७७–१६०६।
बिल्होर ..	१२५	२२, १३१, १६६, १७०, २८–३२, ७०२३–७०३५, २३६०–२३६६, २४०२–२४२१, १३४, ७३३, ७३४–७३७, २५०४–२५१०, १८४२–१८४६, १३६, १७१–१७२, १३६४–१४०३, १६३१–१६४०, ६६१–६७०, २३३६–२३४०, १६३३–१६५२, २३०–२३६।

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ के १९६२–६३ में कक्षा १२ में पढ़ने वाले उन छात्रों की सूची जिनसे दोहरी फीस वसूल की गयी थी।

क्रम-संख्या	छात्र का नाम	कक्षा १२	वसूल की गई फीस का विवरण	फीस का धन जो वसूल किया गया
				रु०
१	ज्ञान चन्द	१२	जुलाई, १९६२ की फीस तथा परीक्षा शुल्क ..	३९.३७
२	गेंदा लाल ..	"	केवल परीक्षा शुल्क	२८.००
३	भोला नाथ ..	"	जुलाई, १९६२ की फीस तथा परीक्षा शुल्क ..	३९.३७
४	परी दीन ..	"	" " " "	३९.३७
५	राम औतार ..	"	" " "	३९.३७
६	राम जीवन ..	"	केवल परीक्षा शुल्क	२९.५०
७	छेदा लाल ..	"	" " "	२८.००
८	छोटे लाल ..	"	" " "	२८.००
९	राम स्वरूप ..	"	" " "	२९.५०
१०	श्री कृष्ण ..	"	" " "	२९.५०
११	पूरन चन्द्र ..	"	" " "	२९.५०
१२	गिन्नी लाल ..	"	" " "	२९.५०
१३	श्याम बिहारी ..	"	परीक्षा एवं विज्ञान शुल्क	४१.५०
१४	महावीर प्रसाद ..	"	जुलाई, १९६२ की फीस केवल	१२.६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०४ पर)

Copy of letter no. 3232 *A/III*—166-*I*/1962, *dated December* 21, 1962

Subject ; **Cinema shows in U. P. by Sri N. Karunesh for Defence Savings Fund**

I am directed to say that Sri N. Karunesh, has offered to give cinema and other shows in various districts of the State with a view to raise funds for defence purposes, and has requested that he may be given necessary facilities in making the arrangements. He would be paying entertainment tax at the normal rates. No profit would be made and only expenses would be deducted from the takings. The balance would be deposited in the Defence Fund.

2. I am to request that he may kindly be extended such facilities as may be necessary and permissible under the relevant rules on the subject. While no relaxations or exemption from any rule is to be given, it is desirable that Sri Karunesh is able to carry out his programme.

परिशिष्ट 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

विवरण

गत मार्च में भतौरा गाँव में एक कुआं बनाने के संबंध में एक बल्वा हो गया था। गाँव समाज के प्रधान के अनुसार कुआँ जिस भूमि पर बन रहा था वह गाँव समाज की थी। दोनों दलों का चालान कर दिया गया था। गांव समाज के प्रधान ने गवाहों को तोड़ने का प्रयास किया। इसमें सफलता न मिलने पर प्रधान की पार्टी वालों ने गवाहों के खेतों को चराना शुरू कर दिया। इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट थाने पर धारा ४४० भा० दं० वि० के अन्तर्गत लिखाई गई। १४ जुलाई को जब पुलिस का एक दल अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिये गाँव गया तो प्रधान राजनारायण तथा उनके अन्य १५साथियों ने लाठी व बल्लम लेकर गिरफ्तारी में बाधा डाली। अतः पुलिस दल वापस लौट गया और उसने अभियुक्तों के विरुद्ध एक रिपोर्ट धारा १४७, १४८ व ३५३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत लिखाई। इस मामले की जांच अमानिया के थानेदार को सौंपी गई। प्रधान १९ जुलाई को गाजीपुर शहर में पकड़े गये। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी में पुनः बाधा पड़ने की आशंका के कारण एक पुलिस पार्टी स्थानीय पुलिस की सहायता के लिये भेजी गई। पुलिस ने ग्राम में ७ अभियुक्त और गिरफ्तार किये। गिरफ्तारी के दौरान चार अभियुक्तों तथा दो पुलिस वालों को कुछ साधारण चोटें आईं पुलिस के विरुद्ध ज्यादतियों एवं लूट की शिकायतें निराधार थीं।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना ।

क्रम-संख्या	बड़े उद्योगों के नाम	अनुमानित लागत	पूर्ण होने की अवधि	अनुमानित रोजगार की क्षमता	देशों के नाम जिनकी सहायता से स्थापित होगी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लिमिटेड, ज्वालापुर, हरिद्वार।	लगभग (रुपये) ५० करोड़	तृतीय योजना काल	सही संख्या सरकार को विदित नहीं है परन्तु आशा की जाती है कि सहस्त्रों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।	रूसी सहयोग	..
२	फर्टिलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर	.. २० करोड़	..		जापानी सहयोग	..
३	ऐन्टीबायटिक्स फैक्ट्री, ऋषीकेश	.. १५ करोड़	..		रूसी सहयोग	..
४	डिजिल लोकोमोटिव, मेनुफैक्चरिंग फैक्ट्री मंडुआडीह, वाराणसी।	१०० करोड़	..		यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फार इन्टर नेशनल डेवलपमेंट।	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८२ एल० ए० १९६४—८६०।

संसद भवन विधान सभा